

कृषि आय से संबंधित निर्धारण  
वित्त मंत्रालय

लोक लेखा समिति  
(2021-22)

उनचासवां प्रतिवेदन

---

सत्रहवीं लोक सभा



लोक सभा सचिवालय  
नई दिल्ली

पीएसी सं. 2277

उनचासवां प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति

(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

कृषि आय से संबंधित निर्धारण

वित्त मंत्रालय



05/04/2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

05/04/2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022 / चैत्र, 1944 (शक)

## विषय-सूची

	पृष्ठ
लोक लेखा समिति (2021-22) की संरचना	(iii)
लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति- चार (वित्त) की संरचना	(iv)
प्राक्कथन	(v)
<b>प्रतिवेदन</b>	
<b>भाग - एक</b>	
एक. प्रस्तावना	1
दो. सहायक दस्तोवर्जों की जांच के बिना छूट (पैरा 5.9.2)	2
तीन. आईटीडी डेटाबेस में कृषि आय का गलत प्रतिबिंब (पैरा 5.9.3)	23
चार. विभाग द्वारा जांच की स्थिति (5.9.4)	60
पाँच. अनुपालन मुद्दे-निर्धारणों में त्रुटियां (5.9.5)	73

### भाग - दो

#### टिप्पणियां/सिफारिशें

#### परिशिष्ट

- \* एक. लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति - चार (वित्त) की 08.09.2021 को हुई पहली बैठक का कार्यवाही सारांश।
- \* दो. लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति - चार (वित्त) की 15.09.2021 को हुई दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश।
- \* तीन. लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति - चार (वित्त) की 03.03.2022 को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।
- \* चार. लोक लेखा समिति (2021-22) की 28.03.2022 को हुई ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

\* सलज्ज नही है

## लोक लेखा समिति (2021-22) की संरचना

श्री अधीर रंजन चौधरी

समापति

### सदस्य

#### लोक सभा

2. श्री टी.आर. बालू
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. श्री सुधीर गुप्ता
5. श्री अर्तूहरि महताब
6. श्री जगदम्बिका पाल
7. श्री विष्णु दयाल राम
8. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
9. श्री राहुल रमेश शोबाने
10. श्री जी. एम. सिद्देश्वर
11. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
12. डॉ. सत्यपाल सिंह
13. श्री जयंत सिन्हा
14. श्री बालाश्रीरी यन्लभनेनी
15. श्री राम कृपाल यादव

#### राज्य सभा

16. श्री शक्तिसिंह गोहिल
17. श्री भुबनेश्वर कालिता
18. डॉ. सी.एम. रमेश
19. श्री सुखेन्दु शेखर राय
20. डॉ. एम. धर्मीदुरई
21. श्री वि. विजयसाई रेड्डी
22. डॉ. सुधांशु तिवेदी

#### सचिवालय

1. श्री टी. जी. चन्द्रशेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री तीर्थकर दास - निदेशक
3. श्रीमती भारती एस. टुटेजा - अपर निदेशक
4. श्री गिरधारी लाल - उप सचिव
5. सुश्री प्रजा नामा - सहायक समिति अधिकारी

\*श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 29.07.2021 से निर्वाचित।

\*\*श्री अजय मिश्र टेनी, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 29.07.2021 से निर्वाचित।

# श्री राजीव चन्द्रशेखर, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 09.08.2021 से निर्वाचित।

## श्री भूपेन्द्र यादव, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 09.08.2021 से निर्वाचित।

लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति - चार (वित्त) की संरचना

- |                               |   |        |
|-------------------------------|---|--------|
| 1. श्री अधीर रंजन चौधरी       | - | सभापति |
| 2. श्री भर्तृहरि महताब        | - | संयोजक |
| 3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया | - | सदस्य  |
| 4. डॉ. सी.एम. रमेश            | - | सदस्य  |
| 5. डॉ. एम. थंबीदुरई           | - | सदस्य  |
| 6. श्री वि. विजयसाई रेड्डी    | - | सदस्य  |

## प्राक्कथन

में, लोक लेखा समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, उनकी ओर से वित्त मंत्रालय से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन सं. 9 के अध्याय-पांच पर आधारित "कृषि आय से संबंधित निर्धारण" विषय संबंधी यह अनचासवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन सं. 9 को 30.07.2019 को सभा पटल पर रखा गया था।
3. लोक लेखा समिति (2021-22) ने उपर्युक्त विषय का चयन किया और उप-समिति-चार (वित्त) को इसे जांच करने और प्रतिवेदन तैयार करने हेतु सौंपा।
4. लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति-चार (वित्त) को दिनांक 08.09.2021 को लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी प्रदान की गई। तत्पश्चात, उप-समिति ने उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 15.09.2021 को वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।
5. लोक लेखा समिति की उप-समिति-चार (वित्त) ने दिनांक 03.03.2022 को हुई अपनी बैठक में उपर्युक्त विषय से संबंधित प्रारूप प्रतिवेदन पर पहले विचार किया और इसे स्वीकृत किया। तत्पश्चात, प्रारूप प्रतिवेदन को मुख्य समिति के समक्ष विचारार्थ और स्वीकार करने हेतु रखा गया। समिति ने दिनांक 28.03.2022 को हुई अपनी बैठक में इसे स्वीकार किया। बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रतिवेदन में संलग्न हैं।
6. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है और ये प्रतिवेदन का भाग - दो हैं।
7. समिति, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों द्वारा समिति के समक्ष साक्ष्य देने और विषय की जांच के संबंध में उप-समिति-चार (वित्त) को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उनको धन्यवाद देती है।
8. समिति, इस मामले में समिति सचिवालय और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा उनको दी गई सहायता की भी सराहना करती है।

नई दिल्ली;  
31 मार्च, 2022  
10 चैत्र, 1944 (शक)

अधीर रंजन चौधरी  
सभापति,  
लोक लेखा समिति

भाग-एक

क. प्रस्तावना

मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 2019 की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी)की रिपोर्ट संख्या 9 में संघ सरकार के राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं और रिपोर्ट का अध्ययन पाँच "कृषि आय से संबंधित निर्धारण" से संबंधित है।

2. लोक लेखा समिति (2021-2022) ने उपरोक्त सीएंडएजी रिपोर्ट के इस अध्याय पाँच के पैरा नं. 5.9.2, 5.9.3, 5.9.4 और 5.9.5 जो "सहायक दस्तावेजों की जांच के बिना छूट"; "आयकर विभाग के डाटाबेस में कृषि आय को गलत रूप से दर्शाना"; "विभाग द्वारा जांच की स्थिति: और" अनुपालन मुद्दे - निर्धारणों में त्रुटियाँ "विषय से संबंधित हैं और इसे जांच के लिए इनकी उप-समितियों में से एक उप-समिति -चार (वित्त) को आवंटित किया गया है।

3. लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति - चार (वित्त) ने विस्तृत जांच के लिए विषय पर विचार किया, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया और उस पर लिखित उत्तर प्राप्त किया। मौखिक साक्ष्य और लिखित उत्तरों के आधार पर उप-समिति ने विषय की विस्तार से जांच की।

4. संविधान का अनुच्छेद 366(1) प्रावधान करता है कि संविधान में वाम्यांश 'कृषि आय का तात्पर्य भारतीय आय कर से संबंधित व्यवस्था के उद्देश्य हेतु यथा परिभाषित कृषि आय से है। आय कर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 2(1क) के अनुसार 'कृषि आय' का तात्पर्य (क) भूमि, जो भारत में स्थित है और कृषि उद्देश्य हेतु उपयोग की जाती है, से प्राप्त कोई किराया या राजस्व; (ख) कृषि उत्पाद के संसाधन सहित कृषि प्रचालनों, जिससे उत्पादों को बाजार या बिक्री के लिए उपयुक्त बनाया जा सके, द्वारा ऐसी भूमि से प्राप्त कोई आय; (ग) अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के विषयाधीन फार्म हाऊस पर आरोप्य कोई आय और (घ) नर्सरी में उगाई गई पौधे या पौधे से प्राप्त कोई आय है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(1) के अनुसार कृषि आयकरआयकर आय को कर से छूट दी गई है। कृषि आय पर कर भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सूची में प्रविष्टि 46 के तहत आता है। इस प्रकार, केवल राज्य सरकारें कृषि आय के करधान हेतु कानून बनाने में सक्षम हैं। केंद्र सरकार कृषि आय पर आय कर उग्रहण नहीं कर सकती। तथापि, आय कर देयता अर्थात् व्यक्तियों की, अविभाजित हिंदु परिवारों (एचयूएफ), व्यक्तियों के संगठन (एओपी), व्यक्तियों के निकायों (बीओआई) और बनावटी न्यायिक व्यक्तियों की अन्य करयोग्य आय पर लागू कर की दर 1 निर्धारित करते समय दर उद्देश्यों के लिए कृषि आय पर विचार किया जाता है। आयकर कानून के अंतर्गत छूट का दावा कृषि आय, कृषि भूमि की बिक्री से आय,

कृषि भूमि के अधिग्रहण हेतु सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति के रूप में अर्जित आय आदि के रूप में किया जा सकता है।

5. लेखापरीक्षा के अनुसार, राजस्व विभाग को अपने निर्धारण अधिकारियों (एओज़) के माध्यम से स्वयं को संतुष्ट करना अपेक्षित था कि निर्धारिती अधिनियम की धारा 2(1क) के साथ पठित धारा 10(1) के अंतर्गत दावा की गई छूट की अनुमति के पात्र थे। दावा की गई इस छूट को निर्धारितियों द्वारा फाइल की गई आईटीआर और अनुसूची ईआई के अंतर्गत दर्शाया गया है। विस्तृत संवीक्षा से डील करने वाले इस अधिनियम की धारा 143(3) परिकल्पना करती है कि निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और ऐसे अन्य साक्ष्य जिनकी एओ को आवश्यकता हो, को सुनने के बाद और उसके द्वारा एकत्र की गई सभी प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद एओ निर्धारिती की कुल आय का लिखित आदेश में निर्धारण करेगा तथा ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा देय राशि या उसको देय किसी राशि के प्रतिदाय को निर्धारित करेगा। इस प्रकार, एओज़ को ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती की आय निर्धारित करने और उसके द्वारा देय/उसको प्रतिदाय कर निर्धारित करने के लिए कानून द्वारा अधिदेश दिया गया है। विवरणी के साथ संलग्न लेखों, अभिलेखों तथा दस्तावेजों के साथ विभिन्न प्रकार के दावों की संवीक्षा निर्धारणों में विस्तृत जांच करना आवश्यक है। निर्धारिती की निवल कृषि आय की गणना के उद्देश्य हेतु एओ को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जैसाकि कुल आय के निर्धारण उद्देश्य हेतु आय कर अधिनियम के तहत उसे प्राप्त है। इसके अलावा, कार्यालय की कार्यप्रणाली नियमपुस्तक के अनुसार, धारा 143(2) के अंतर्गत या धारा 142(1) या धारा 131 के अंतर्गत निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान नोटिस जारी करके सुनवाई हेतु प्रेषित मामले के कार्यवृत्त आदेश पत्र में तारीख सहित दर्ज किए जाने चाहिए। प्रविष्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारिती की तरफ से सुनवाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम एवं उनका व्यवसाय, प्रस्तुत दस्तावेजों (जांच किए गए और रिटर्न किए गए तथा फाइल किए गए दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए), मांगे गए दस्तावेजों, चर्चा एवं पुनः प्रेषित मामलों, यदि कोई है, को शामिल किया जाना चाहिए। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों (वापस किए जाने वाले दस्तावेजों को छोड़ कर) को अवश्य ही एमआर में दर्ज किया जाना चाहिए। इस प्रकार कानून में यथा निर्धारित विस्तृत संवीक्षा में न केवल अभिलेखों की विस्तृत जांच शामिल है अपितु निर्धारण आदेश हेतु संवीक्षा किए गए दस्तावेजों आदि के उचित अभिलेख का रख-रखाव भी शामिल है।

ख. सहायक दस्तावेजों की जांच के बिना छूट (पैरा 5.9.2)

6. लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान चयनित मामलों में संवीक्षा निर्धारणों की समीक्षा ने दर्शाया कि है 6,778 संवीक्षा निर्धारणों में से 1527 (22.5 प्रतिशत) में कृषि आय के आधार पर छूट के दावों की अनुमति



सहायक दस्तावेजों जैसे भूमि अभिलेख, आय एवं व्यय विवरण, फसल सूचना, कृषि आय और व्यय के प्रमाण जैसे खाता बही, बिल, बीजक आदि की जांच किए बिना दी गई थी या निर्धारिती द्वारा दावा की गई कृषि आय के समर्थन में दावे की सत्यता प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। यह देखा गया कि 1527 मामलों में एओ द्वारा प्रलेखन एवं जांच अपर्याप्त थी, 716 मामलों (10.6 प्रतिशत) में भूमि अभिलेख उपलब्ध नहीं थे और 1270 मामलों (18.7 प्रतिशत) में कृषि आय और व्यय के प्रमाण जैसे खाता बही, बिल, बीजक आदि उपलब्ध नहीं थे।

7. कृषि आय पर छूट का दावा करने के लिए अपेक्षित सहायक दस्तावेज बताने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया :

"कृषि आय पर छूट का दावा करने के लिए अपेक्षित माने जाने वाले सहायक दस्तावेज मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, जिसमें निर्धारण वर्ष 2019-20 से छूट के रूप में दावा की गई कृषि आय की राशि भी शामिल है। उचित दस्तावेज और सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए, यदि वर्ष में शुद्ध कृषि आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो विस्तृत विवरण (जैसे पिन कोड के साथ जिले का नाम जिसमें कृषि भूमि स्थित है, कृषि भूमि का एकड़ में माप, कृषि भूमि स्वामित्व वाली/पट्टे पर है, वह सिंचित/वर्षा सिंचित है) को कैप्चर करने के लिए निर्धारण वर्ष 2019-20 से आईटीआर में छूट प्राप्त आय के ब्यौरे अधिक विकसित किए गए हैं। कृषि आय पर छूट के दावे की अनुमति देने के लिए आम तौर पर देखे जाने वाले दस्तावेज, अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ खसरा और खतौनी, कृषि आय अर्जित करने संबंधी व्यय का ब्यौरा, बेची गई फसल के बिक्री बीजक, कृषि भूमि, निर्धारिती की रोकड़ बही और या ऐसे बैंक विवरण जो, कृषि उपज की बिक्री संबंधी प्राप्तियों, बही खाते, बिल और बीजक को दर्शाते हों, पर स्वामित्व/अधिकार से संबंधित दस्तावेज हैं।"

8. इसके अलावा, आयकर अधिनियम के अनुसार कृषि आय के दावे की वास्तविकता का पता लगाने के लिए एकत्र की गई जानकारी के स्रोतों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया :

"आयकर निदेशालय (आईएंडसीआई ) द्वारा धारा 285ख क के तहत सूचना विभिन्न स्रोतों, जैसे, बैंकों, डाकघरों उप पंजीयक कार्यालय (एसआरओ) आदि से एकत्र की जाती है। इस तरह की जानकारी के सत्यापन से कई बार पता चलता है कि नकद जमा के स्रोत को कृषि आय के रूप में स्पष्ट किया गया है या कृषि आय के रूप में कृषि भूमि आदि की बिक्री के रूप में बताया गया है। 02/12/2020 से पहले, उक्त निदेशालय में ऐसी सूचनाओं का सत्यापन होता था। 02/12/2020 के बाद, आयकर निदेशालय (आईएंडसीआई ) में इस तरह के सत्यापन को बंद कर दिया गया है। 02/12/2020 से पहले, इस तरह की जानकारी के सत्यापन पर, ज्यूरिडिकशनल फील्ड ऑफिसर्स को कार्रवाई योग्य खुफिया रिपोर्ट (एआईआर)

के रूप में सत्यापन रिपोर्ट दी गई थी, जो कृषि आय के दावे की वास्तविकता की पहचान के लिए उचित कार्रवाई करेंगे। आयकर अधिनियम। इसके अलावा, आयकर निदेशालय (आईएंडसीआई) सैंपल डेटा के मुद्दे आधारित विशेष पायलट परियोजनाओं (एसपीपी) को निष्पादित करता है। प्रथम दृष्टया सत्यापन के बाद, रिपोर्ट को सिस्टम निदेशालय के माध्यम से कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए फील्ड फॉर्मेशन में प्रसारित किया जाता है।"

9. लेखापरीक्षा द्वारा ऐसी विसंगतियों से छूट की अनुमति के बारह उदाहरण निम्नवत हैं :

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी, कोट्टायम; नि.व. 2012-13;

अनुमत कृषि आय: ₹ 39 लाख

एओ ने 15 एकड़ में कॉफी और 20 एकड़ में काली मिर्च सहित 60 एकड़ भूमि में उगाई गई रबड़, ईलाइची, कॉफी, काली मिर्च से अर्जित कृषि आय के प्रति नि.व. 2012-13 के लिए निर्धारिती को ₹ 39 लाख की छूट दी थी (फरवरी 2015)। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2011-12 के लिए आय विवरण के अनुसार निर्धारिती के पास 60 एकड़ भूमि थी जिसके प्रति निर्धारिती ने कृषि आय का दावा किया था। तथापि, निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत संपत्ति ब्यौरों के अनुसार निर्धारिती के पास कॉफी हेतु केवल 8.88 एकड़ और काली मिर्च हेतु 9.17 एकड़ भूमि थी जिसका छूट अनुमति से पूर्व मिलान किया जाना था। संवीक्षा निर्धारण आदेश में संपत्ति ब्यौरों में विसंगति या आय विवरण के अनुसार ब्यौरों पर विचार हेतु स्पष्टीकरण का उल्लेख नहीं किया गया था।

(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, मदुरई, तमिलनाडु; नि.व. 2012-13;

अनुमत कृषि आय: ₹ 68.16 लाख;

निर्धारिती ने नारियल, सहजन, मिर्च, मक्का और कनवल्ली के बीज से अर्जित कृषि आय के प्रति नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 68.16 लाख की छूट का दावा किया और उसे छूट अनुमति दी गई (मार्च 2015)। संवीक्षा निर्धारण आदेश के अनुसार कृषि आय की खाता बहियों का सत्यापन एवं जांच की गई थी। ब्यौरे मांगे गए और इन पर चर्चा की गई तथा निर्धारिती द्वारा रिटर्न कृषि आय स्वीकार कर ली गई। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि यद्यपि निर्धारिती ने कनवल्ली के बीजों की खेती से 85 प्रतिशत से अधिक आय प्राप्त की थी, फिर भी ब्यौरे जैसे कुल भूमि क्षेत्र जिस पर कनवल्ली के बीजों का उत्पादन हुआ था, प्राप्त प्रति एकड़ आदि, अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा अदंगल लेखा, पट्टा आदि जैसे दस्तावेज/सूचना भी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। चूंकि जांच किए गए अभिलेखों के ब्यौरों का निर्धारण आदेश में उल्लेख नहीं था यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या कनवल्ली के बीजों की बिक्री से प्राप्त कृषि आय का एओ द्वारा सत्यापन किया गया था।

(ग) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, मदुरई, तमिलनाडु;

नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15

अनुमत कृषि आय: ₹ 25.38 लाख; ₹ 25.38 लाख; ₹ 25.48 लाख;

निर्धारिती ने सहायक दस्तावेजों जैसे बिक्री बीजकों, कृषि व्ययों, भूमि उपयोग हेतु भूमि स्वामित्व/अधिकार और उगाई गई फसलों, कृषि क्षेत्र जैसे डाटा प्राप्त एवं इन्हे सत्यापित किए बिना कृषि आय के प्रति नि.व. 2012-13, 2013-14, 2014-15 के लिए क्रमशः ₹ 25.38 लाख, ₹ 25.38 लाख और ₹ 25.48 लाख की छूट का दावा किया और उसे इसकी अनुमति दी गई (मार्च 2015, मार्च 2016 और दिसम्बर 2016)। नि.व. 2012-13 और 2013-14 के संवीक्षा निर्धारण आदेश के अनुसार कृषि कार्यकलापों और भूमि धारण के ब्यौरों का सत्यापन एवं जांच की गई थी तथा कृषि आय दावों को रिटर्ड के रूप में स्वीकार किया गया था। हालांकि, दस्तावेज ब्यौरे अर्थात् भूमि दस्तावेज, अदंगल, पट्टा, बिक्री, बीजक आदि को दोनों वर्षों के निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाया गया था। इसके अलावा, नि.व. 2014-15 के संवीक्षा निर्धारण आदेश में एओ ने उल्लेख किया कि ब्यौरे मांगे गए थे तथा इनकी जांच की गई थी हालांकि, दस्तावेजी साक्ष्य निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाए गए थे।

(घ) प्रभार: प्र. सीआईटी-4, कोलकाता, पश्चिम बंगाल; नि.व. 2012-13

अनुमत कृषि आय: ₹ 1.90 करोड़;

एओ ने कृषि आय और व्यय के विवरण के अलावा निर्धारिती से कोई अभिलेख प्राप्त किए बिना और कृषि आय की परिशुद्धता और यथार्थता का सत्यापन किए बिना कृषि आय के प्रति ₹ 1.90 करोड़ की छूट की अनुमति दी थी (मार्च 2015)। हालांकि, धारा 142(1) के अंतर्गत जारी नोटिस (नवम्बर 2014) के माध्यम से स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य सहित निर्धारिती द्वारा दावा की गई विभिन्न कटौतियों और छूटों के ब्यौरे मांगे गए थे फिर भी संवीक्षा निर्धारण आदेश में कृषि आय के आधार पर अनुमत दावे का कोई संदर्भ नहीं था। इसके अलावा, निर्धारिती को आईटीएनएस-150 में अनुमत दावे की पुष्टि करने हेतु अभिलेखों में कोई सहायक दस्तावेज नहीं था। (लेखापरीक्षा संवीक्षा से आगे पता चला कि निर्धारिती के नि.व. 2013-14 के लिए ₹ 2.19 करोड़ (मार्च 2016) और नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 7.20 करोड़ (दिसम्बर 2016) की छूट के दावे को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि निर्धारिती कृषि भूमि के धारण के लिए साक्ष्य, कृषि उत्पाद की बिक्री और कृषि व्ययों के ब्यौरे प्रस्तुत करने में विफल रहा।

(ड.) प्रभार: प्र. सीआईटी, मुज्जफरपुर, बिहार; नि.व. 2014-15

अनुमत कृषि आय: ₹ 1.60 करोड़;

एओ ने कृषि आय के आधार पर निर्धारिती द्वारा किए गए दावे को स्वीकारते हुए कृषि आय के प्रति ₹ 1.60 करोड़ की छूट की अनुमति (अगस्त 2016) दी थी। निर्धारण आदेश में

टिप्पणियों के अनुसार, "नि.व. 2014-15 से संबंधित वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान निर्धारिती को कृषि आय की बड़ी राशि प्राप्त हुई थी। कृषि आय की प्रमाणिकता की निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान जांच नहीं की गई थी क्योंकि पिछले वर्ष में नि.व. 2006-07 से 2011-12 के निर्धारिती के मामले को कृषि आय की प्रमाणिकता और यह विश्वास करने के कारण, कि कर पर प्रभार्य आय निर्धारण से बच गई थी, की जांच करने के लिए धारा 147 के तहत दुबारा खोला गया था। विभिन्न वर्षों के लिए धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण उपयुक्त जांच के पश्चात पूरा हुआ था और निर्धारिती की कृषि आय को स्वीकार कर लिया गया था।" एओ ने निष्कर्ष निकाला कि निर्धारिती के पास पिछले वर्षों के संशोधित निर्धारण के आधार पर ऐसी बड़ी कृषि आय निकालने के लिए प्रमाणयोग्य स्रोत था। उसी रूप में नि.व. 2014-15 के लिए छूट की अनुमति ब्यौरे, जैसे भूमि उपयोग, कृषि उत्पाद के संव्यवहार ब्यौरे, बीजों, उर्वरकों की खरीद, कृषि कार्यकलापों में उपयोग किए गए श्रमबल/मशीनरी, प्राप्त एवं इनकी जांच किए बिना दी गई थी।

(च) प्रभार: प्र. सीआईटी, कटक, ओडिशा; नि.व. 2008-09

अनुमत कृषि आय: ₹ 1.47 करोड़;

आईटीओ, कुल्लु वार्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारिती के मामले को दुबारा खोला गया (मार्च 2016) कि नि.व. 2008-09 से संबंधित पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती ने कोई कृषि संबंधी कार्यकलाप नहीं किए थे। पुनः निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान निर्धारिती ने दावा किया कि उसने कुल्लु जिला में पट्टे पर छः एकड़ भूमि अधिगृहित की थी जहां सेब उगाए थे तथा सोलन जिला में अन्य 32 एकड़ जहां टमाटर, प्याज, आलू और शिमला मिर्च उगाए गए थे। निर्धारिती ने आगे बताया कि उसने कृषि उत्पाद तथा बीजों, कीटनाशकों, उर्वरकों आदि की खरीद पर किए गए व्यय के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए थे। तथापि, एओ ने निम्नलिखित कारण (क) निर्धारिती ने एचपी कृषि बोर्ड, शिमला की मंडी रसीद के अलावा कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं दिया था (ख) नि.व. 2009-10 की निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान ₹ 5 लाख की तदर्थ अननुमति की पुष्टि करते समय सीआईटी (अपील) ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि निर्धारिती ने सेब जैसे कृषि उत्पादों की बिक्री के संबंध में मंडी समिति द्वारा जारी प्रमाण-पत्र सहित पट्टा करार की प्रतियां प्रस्तुत की थी, बताते हुए जाली आय के रूप में ₹ 16 लाख की सीमा तक कृषि आय के हिस्से की अननुमति के पश्चात कृषि आय के प्रति नि.व. 2008-09 के लिए ₹ 163.10 लाख के निर्धारिती के दावे के प्रति ₹ 147.10 लाख की छूट अनुमत की थी।

निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारिती ने पिछले नि.व. अर्थात् नि.व. 2007-08 के लिए मंडी रसीद प्रस्तुत की थी। इससे पता चला कि निर्धारिती ने नि.व. 2007-08 के दौरान किसी कृषि आय का दावा नहीं किया था और नि.व. 2009-10 के लिए ₹ 40 लाख की कृषि आय के समस्त दावे को धारा 143(3) के तहत निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान अनुमति नहीं

दी गई थी। तत्पश्चात, सीआईटी (अपील) ने नि.व. 2009-10 की कृषि आय से केवल ₹ 5 लाख की अनुमति नहीं दी थी। इसके अलावा, नि.व. 2010-11 से 2014-15 की कृषि आय (क्रमशः ₹ 37.05 लाख, ₹ 76.77 लाख, ₹ 57.26 लाख, ₹ 36.96 लाख तथा ₹ 40.26 लाख) के लिए निर्धारिती के छूट के दावे को अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि निर्धारिती उसके दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा।

(छ) प्रभार: प्र. सीआईटी, कोझीकोड, केरल; नि.व. 2012-13 से 2015-16%;

अनुमत कृषि आय: ₹ 23.50 लाख; ₹ 22.03 लाख; ₹ 22.51 लाख और ₹ 23.01 लाख

निर्धारिती ने नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए मूल विवरणियों में क्रमशः ₹ 0.48 लाख, ₹ 4.03 लाख और ₹ 15.51 लाख के पिछले दावे के प्रति धारा 133ए के अंतर्गत सर्वेक्षण करने के बाद धारा 148 के तहत जारी नोटिस के प्रति दर्ज की गई विवरणी में कृषि आय के आधार पर ₹ 23.50 लाख, ₹ 22.03 लाख और ₹ 22.51 लाख की छूट का संशोधित दावा प्रस्तुत किया था। इस प्रकार, सर्वेक्षण के दौरान अतिरिक्त आय का प्रस्ताव रखा गया था जिस पर विवरणी की फाइलिंग के समय पर निर्धारिती द्वारा विचार नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती द्वारा दावा किए गए सभी चार निर्धारण वर्षों में छूट की अनुमति (दिसम्बर 2015 - 3 नि.व. और दिसम्बर 2016) दी गई थी जिसके लिए निर्धारण अभिलेखों में कोई दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं थे।

(ज) प्रभार: प्र. सीआईटी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना;

नि.व. 2014-15; अनुमत कृषि आय: ₹ 32.46 लाख

निर्धारिती ने भूमि अभिलेखों की प्रति तथा क्षेत्राधिकारी तहसीलदार द्वारा सादे कागज पर जारी इस प्रमाण-पत्र, कि निर्धारिती के पास भूमि का स्वामित्व था और वह केले के बागानों की खेती करता था जो प्रति एकड़ ₹ 1.25 लाख से ₹ 1.50 लाख के बीच वार्षिक आय देगी, के आधार पर केले के बागानों की खेती से अर्जित कृषि आय के प्रति ₹ 32.46 लाख की छूट का दावा किया था और उसे इसकी अनुमति दी गई थी (दिसम्बर 2016)। कृषि आय की जांच हेतु सीमित संवीक्षा हेतु निर्धारिती के मामले को लेने के बावजूद कृषि आय का विवरण भी उपलब्ध नहीं पाया गया जिससे पता चलता कि ₹ 32.46 लाख की निवल कृषि आय पर कैसे पहुँचा गया था। निर्धारण आदेश में की गई टिप्पणियों के अनुसार निर्धारिती मूल रूप से कृषक था और केले उगा रहा था। निर्धारिती ने कृषि आय के समर्थन में पट्टादार पास बुक प्रस्तुत की थी। सभी सूचनाओं को अभिलिखित कर लिया गया था। तथापि, दावा की गई कृषि आय के समर्थन में विस्तृत दस्तावेजीकरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

(झ) प्रभार: प्र. सीआईटी-6, बेंगलुरु, कर्नाटक; नि.व. 2013-14;

अनुमत कृषि आय: ₹ 85.60 लाख

एओ ने कृषि उत्पाद की बिक्री प्राप्तियों में से निर्धारिती द्वारा बैंक में कराए गए नकद जमा की जांच किए बिना कृषि आय के प्रति ₹ 85.60 लाख की छूट की अनुमति दी थी (मार्च 2016)। निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान नकद प्रवाह विवरण में कृषि आय (अर्थात्) ₹ 95.05 लाख और आय गणना के विवरण (अर्थात्) ₹ 85.60 लाख में निर्धारिती के कृषि आय के दावे के बीच के अंतर की ₹ 9.45 लाख की राशि को अस्पष्ट आय माना गया था। अधिनियम की धारा 143(2) के तहत जारी नोटिस (मार्च 2016) पर दिए गए उत्तर में निर्धारिती के प्रस्तुतिकरण (मार्च 2016) के अनुसार कृषि उत्पाद की बिक्री के आधार पर बैंक में किया गया नकद जमा ₹ 2.56 करोड़ था जो ₹ 85.60 लाख की घोषित कृषि आय से काफी अधिक था। तथापि, निर्धारिती के प्रस्तुतिकरण के अनुसार नकद जमा के ब्यौरों पर संवीक्षा निर्धारण आदेश में न तो विचार किया गया और न ही चर्चा की गई। निर्धारिती के प्रस्तुतिकरण कृषि आय और व्यय विवरण के अनुसार बैंक जमा की जांच करने में चूक के परिणामस्वरूप न केवल छूट की गलत अनुमति दी गई अपितु 'अन्य स्रोतों से आय' का अवनिर्धारण भी हुआ।

(ण) प्रभार: प्र. सीआईटी-6, बेंगलुरु, कर्नाटक; नि.व. 2014-15;  
अनुमत कृषि आय: ₹ 63.43 लाख

इस मामले में वाउचरों/बीजकों के अप्रस्तुतिकरण के लिए आठ प्रतिशत कृषि आय की अननुमति के पश्चात ₹ 36.48 लाख पर आय और ₹ 63.43 लाख की कृषि आय के निर्धारण द्वारा संवीक्षा निर्धारण का निष्कर्ष निकाला गया था। यह देखा गया कि 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के दौरान गणना के अनुसार निर्धारिती को ₹ 68.95 लाख की कृषि आय प्राप्त हुई थी जबकि रोकड़ बही के अनुसार कृषि आय ₹ 4.50 लाख ही थी जिससे पता चला कि ₹ 64.45 लाख की अंतर राशि अन्य स्रोतों से आय से संबंधित है। अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के रूप में इस पर कर लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 58.93 लाख (₹ 64.45 लाख - 143(3) आदेश में अननुमत ₹ 5.52 लाख) तक कम आय गणना हुई जिसका कर प्रभाव ₹ 24.22 लाख है।

(ट) प्रभार: प्र. सीआईटी, मैसूर, कर्नाटक; नि.व. 2014-15;  
अनुमत कृषि आय: ₹ 9.99 लाख

निर्धारिती ने कृषि आय के प्रति ₹ 9.99 लाख की छूट का दावा किया और उसे इसकी अनुमति प्राप्त हुई (अगस्त 2016)। निर्धारिती के पूंजीगत लेखा से यह देखा गया कि उसे कृषि भूमि के हस्तांतरण पर ₹ 116.27 लाख मिले थे जबकि परिसंपत्ति सूची में किसी कृषि भूमि को बिका हुआ नहीं दर्शाया गया था उससे संकेत मिलता है कि अन्य कार्यकलापों से प्राप्त आय को कृषि आय माना गया तथा छूट की गलत अनुमति दी गई थी। आय को

अन्य स्रोतों से प्राप्त आय माना गया और कर लगाया गया। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 35.93 लाख के कर प्रभाव सहित आय की कम गणना हुई।

(ठ) प्रभार: प्र. सीआईटी, रायपुर, छत्तीसगढ़; नि.व. 2012-13;

अनुमत कृषि आय: ₹ 109.06 लाख

निर्धारिती ने कृषि भूमि के हस्तांतरण पर अर्जित लाभ के प्रति ₹ 109.06 लाख (बिक्री प्रतिफल ₹ 110.65 लाख घटा अधिग्रहण की लागत ₹ 1.59 लाख) की छूट का दावा किया और इसकी अनुमति दी गई (मार्च 2015)। निर्धारण अभिलेखों में धारा 2 (1ए) के अंतर्गत व्याख्या 1 में अनुबंधित शर्तों की पूर्णता के समर्थन में न तो दस्तावेज उपलब्ध थे और न ही निर्धारण आदेश में इस पर चर्चा की गई थी। ऐसे ब्यौरों के अभाव में लेखापरीक्षा छूट की अनुमति की परिशुद्धता की पुष्टि नहीं कर सका। जबकि नमूना तौर पर 6,778 मामलों की नमूना जांच के आधार पर 1,527 मामलों (22.5 प्रतिशत) में अपर्याप्त जांच अथवा अधूरे प्रलेखन के आधार पर कृषि आय दावों की छूट का अनुमत करना बताया गया है, आयकर विभाग को सभी कमिश्नरियों में आंतरिक रूप से उन सभी मामलों में जांच करने की आवश्यकता है जहां कृषि आय ₹ 10 लाख या अधिक जैसे एक निश्चित सीमा से ऊपर की हो, ताकि उपयुक्त दस्तावेजों की जांच के आधार पर केवल पात्र निर्धारितियों को छूट अनुमत की जा सकें। "

10. लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए प्रत्येक मामले पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए:

क्र. म. सं. ख्या	अध्याय	पैरा सं. ख्या	पृ. सं.	निर्धारिती का नाम	पैन	कर निर्धारण वर्ष	अनुमत कृषि आय (लाख रुपए में)	प्रधान सीसीआईटी प्रभार	पीसीआईटी प्रभार	स्थिति
1	सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के बिना	5.9. 2	77	श्री जिन्स डोमिनिक	AKIPJ 3480D	201 2-13	39	केरल	प्रधान सीआईटी, कोडायम	मंत्रालय द्वारा तथ्यात्मक कारण बताते हुए आपत्ति को स्वीकार

क्र म सं ख्या	अध्याय	पैरा सं ख्या	पृ ष्ठ सं.	निर्धारिती का नाम	पैन	कर निर्धा रण वर्ष	अनुम त कृषि आय (लाख रुपए में)	प्रधान सीसीआ ईटी प्रभार	पीसी आईटी प्रभार	स्थिति
	छूट									नहीं किया गया है। एटीएन प्रक्रियाधीन है।
2	सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के बिना छूट	5.9. 2	77	के. मुथुलक्ष्मी	AMOP M5946 M	201 2- 13	68.16	तमिल नाडु	प्रधान सीआई टी-1, मदुरै	मंत्रालय द्वारा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया है। एटीएन पर सीएजी की पुनरीक्षण टिप्पणियां भेज दी गई हैं, वे मंत्रालय द्वारा आगे की टिप्पणियों के लिए प्राप्त हो गई हैं। मामले पर आगे की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और प्रक्रियाधीन हैं



क्रम संख्या	अध्याय	पैरा संख्या	पृष्ठ सं.	निर्धारिती का नाम	पैन	कर निर्धारण वर्ष	अनुमत कृषि आय (लाख रुपए में)	प्रधान सीसीआ ईटी प्रभार	पीसी आईटी प्रभार	स्थिति
3	सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के बिना छूट	5.9.2	78	जे. जयराज	AEPP J4375 Q	2012-13, 2013-14 एवं 2014-15	25.38, 25.38 एवं 25.48	तमिल नाडु	प्रधान सीआई टी-1, मदुरै	मंत्रालय द्वारा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया है। एटीएन पर सीएजी की पुनरीक्षण टिप्पणियां भेज दी गई हैं, वे मंत्रालय द्वारा आगे की टिप्पणियों के लिए प्राप्त हो गई हैं। मामले पर आगे की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और प्रक्रियाधीन हैं।
4	सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के बिना छूट	5.9.2	78	आर्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स (प्रा.) लि.	AADC A6403 F	2012-13	190	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	प्रधान सीआई टी-4, कोलकाता	मंत्रालय द्वारा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया है। एटीएन पर सीएजी की पुनरीक्षण टिप्पणियां भेज

क्र म सं ख्या	अध्याय	पैरा सं ख्या	पृ ष्ठ सं.	निर्धारिती का नाम	पैन	कर निर्धा रण वर्ष	अनुम त कृषि आय (लाख रुपए में)	प्रधान सीसीआ ईटी प्रभार	पीसी आईटी प्रभार	स्थिति
										दी गई हैं, वे मंत्रालय द्वारा आगे की टिप्पणियों के लिए प्राप्त हो गई हैं। मामले पर आगे की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और प्रक्रियाधीन हैं
5	सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के बिना छूट	5.9. 2	79	श्री गोविंद प्रसाद राजगढ़ि या	ACMP R6557 K	201 4- 15	160	बिहार और झारखंड	प्रधान सीआई टी, मुज फ्फरपु र	मंत्रालय द्वारा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया है। एटीएन पर सीएजी की पुनरीक्षण टिप्पणियां भेज दी गई हैं, वे मंत्रालय द्वारा आगे की टिप्पणियों के लिए प्राप्त हो गई हैं। मामले पर आगे की टिप्पणियां

क्रम संख्या	अध्याय	पैरा संख्या	पृष्ठ सं.	निर्धारित का नाम	पैन	कर निर्धारण वर्ष	अनुमत कृषि आय (लाख रुपए में)	प्रधान सीसीआईटी प्रभार	पीसीआईटी प्रभार	स्थिति
										प्राप्त हुई हैं और प्रक्रियाधीन हैं
6	सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के बिना छूट	5.9. 2	79	श्री दमनजीत सिंह गेवाल	ADUP G1564 E	200 8-09	147	उड़ीसा	प्रधान सीआईटी, कटक	मंत्रालय द्वारा आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है। धारा 263 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई पूरी की गई। एटीएन सीएजी को भेजा गया। मामला सीएजी के पत्र दिनांक 14/01/2020 के माध्यम से सुलझाया गया है

क्र. म. सं. ख्या	अध्याय	पैरा संख्या	पृष्ठ सं.	निर्धारिती का नाम	पैन	कर निर्धारण वर्ष	अनुमत कृषि आय (लाख रुपए में)	प्रधान सीसीआईटी प्रभार	पीसीआईटी प्रभार	स्थिति
7	सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के बिना छूट	5.9. 2	80	डॉ जयश्री	ABVP N7638 M	201 2-13 से 201 5-16 तक	23.50 , 22.03 , 22.51 एवं 23.01	केरल	प्रधान सीआईटी, कोझीकोड	मंत्रालय द्वारा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया है। एटीएन पर सीएजी की पुनरीक्षण टिप्पणियां भेज दी गई हैं, वे मंत्रालय द्वारा आगे की टिप्पणियों के लिए प्राप्त हो गई हैं। मामले पर आगे की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और प्रक्रियाधीन हैं
8	सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के बिना छूट	5.9. 2	80	श्री मदनेनी उमामहे श्वर राव	AARP U1937 H	201 4-15	32.46	आंध्र प्रदेश	प्रधान सीआईटी, हैदराबाद	मंत्रालय द्वारा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया है। एटीएन का पुनरीक्षण हो गया है और मामला सीएजी

क्रम संख्या	अध्याय	पैरा संख्या	पृष्ठ सं.	निर्धारित का नाम	पैन	कर निर्धारण वर्ष	अनुमत कृषि आय (लाख रुपए में)	प्रधान सीसीआईटी प्रभार	पीसी आईटी प्रभार	स्थिति
										के दिनांक 13/09/2021 के पत्र के माध्यम से सुलझाया गया है।
9	सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के बिना छूट	5.9. 2	81	श्री नारायण सेट्टी श्रीनिवास	पैन: ADOP S6067 J	201 3- 14	85.6	कर्नाटक और गोवा	प्रधान सीआईटी-6, बेंगलुरु	मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है। धारा 148 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और 30/06/2021 को नोटिस जारी किया गया है। एटीएन प्रक्रियाधीन है

क्र. म. सं. ख्या	अध्याय	पैरा सं. ख्या	पृ. सं.	निर्धारित का नाम	पैन	कर निर्धारण वर्ष	अनुमत कृषि आय (लाख रुपए में)	प्रधान सीसीआईटी प्रभार	पीसीआईटी प्रभार	स्थिति
10	सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के बिना छूट	5.9.2	81	आर. के. इंटरप्राइजेज	AKFR 0910L	2014-15	63.43	कर्नाटक और गोवा	प्रधान सीआईटी-6, बेंगलुरु	मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है। एटीएन पर सीएजी की पुनरीक्षण टिप्पणियां भेज दी गई हैं, वे मंत्रालय द्वारा आगे की टिप्पणियों के लिए प्राप्त हो गई हैं। धारा 148 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और 30/06/2021 को नोटिस जारी किया गया है।
11	सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के बिना छूट	5.9.2	82	श्री एम. महेश शेनॉय	AFKPS 0922C	2014-15	9.99	कर्नाटक और गोवा	प्रधान सीआईटी, मैसूर	मंत्रालय द्वारा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया है और मामला सीएजी के पत्र दिनांक 14/01/2020 के

क्र म सं ख्या	अध्याय	पैरा सं ख्या	पृ ष्ठ सं.	निर्धारिती का नाम	पैन	कर निर्धा रण वर्ष	अनुम त कृषि आय (लाख रुपए में)	प्रधान सीसीआ ईटी प्रकार	पीसी आईटी प्रकार	स्थिति
										माध्यम से सुलझाया गया है।
12	सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के बिना छूट	5.9.2	82	चोपड़ा एग्रीकल्चर एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	AAACC 9244M	2012 -13	109.06	एम. पी. छत्तीसगढ़	प्रधान सीआई टी-1, रायपुर	मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है। आगे की टिप्पणियों के लिए मंत्रालय को पुनरीक्षण टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। अब आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) और 154 के तहत दिनांक 12.12.2019 और 09.03.2021 को 43,55,820/- रुपए की मांग का एक आदेश पारित किया गया। एटीएन प्रक्रियाधीन है।

11. उर्पयुक्त से यह देखा जा सकता है कि लेखापरीक्षा द्वारा पैरा 5.9.2 में इंगित बारह आपत्तियों में से मंत्रालय ने केवल चार को स्वीकार किया है और शेष आठ आपत्तियों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। जब समिति ने शेष मामलों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहा, तो चेयरमैन, सीबीडीटी ने मौखिक साक्ष्य के दौरान इस प्रकार उत्तर दिया:

"जिन मामलों का निपटारा होना बाकी है, उनका निपटारा किया जा रहा है। इस पर की-गर्ड कार्रवाई टिप्पण होना चाहिए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श का दूसरा दौर चल रहा है। इस संबंध में हमें और क्या उपाय करने की आवश्यकता है ताकि ये चीजें फिर से न हों, अब हमारे पास एक फेसलेस प्रणाली है जिसमें कर निर्धारणकर्ता की तुलना में करदाता की अनामिता बनाए रखनी होती है। जब फेसलेस असेसमेंट की बात आती है, जहां प्रमुख कारण कृषि आय रिपोर्टिंग में एक विसंगति है, तो 100 प्रतिशत गारंटी है या यह मानने की शायद ही कोई गुंजाइश है कि कृषि आय के संबंध में दस्तावेज फेसलेस असेसमेंट व्यवस्था में सही नहीं होंगे। मैं इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ कि यदि कोई एसओपी है जो कृषि आय की सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक है, तो हम कोशिश करेंगे और अपने संसाधनों से पता लगाएंगे। यदि कोई एसओपी नहीं है, तो क्षेत्र में आकलन करने वाले अधिकारियों को शिक्षित करने और उन्हें जागरूक करने के लिए एक एसओपी लगाने का प्रयास करें।"

12. जब समिति ने यह जानना चाहा कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि कृषि आय के दावों के कारण छूट की अनुमति देने से पहले एओ ने उचित परिश्रम किया है, तो मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"उपरोक्त पैरा में उल्लिखित 12 मामलों में क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त उत्तरों में से 8 मामलों में प्रधान मुख्य आयुक्त ने मत/स्पष्ट किया है कि संबन्धित मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा समुचित परिश्रम किया गया है। 4 मामलों में, जहां आपत्ति स्वीकार कर ली गई है, संबंधित प्रधान सीआईटी ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:"

क्रम संख्या	मामले का नाम	छूट की अनुमति देने की परिस्थितियाँ और संबंधित प्रधान सीआईटी का मत
1	दमनजीत सिंह गेवाल	निर्धारण धारा 144 के तहत किया गया था क्योंकि निर्धारित निर्धारण कार्यवाही के दौरान अनुपालन नहीं कर रहा था। निर्धारण अधिकारी ने अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार 16 लाख रुपए की वृद्धि की।
2	श्री नारायणसेठी श्रीनिवास	यह गलती वास्तविक प्रतीत होती है। कोई सतर्कता दृष्टिकोण शामिल नहीं है।
3	श्री आर.के. उद्यम	यह गलती तत्कालीन निर्धारण अधिकारी की ओर से एक चूक प्रतीत होती है। यह गलती वास्तविक



		प्रतीत होती है। कोई सतर्कता दृष्टिकोण शामिल नहीं है।
4	चोपड़ा एग्रीकल्चर एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	यह गलती वास्तविक प्रतीत होती है। कोई सतर्कता दृष्टिकोण शामिल नहीं है।

13. जब समिति ने इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदमों के बारे में पूछा, तो मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

1. "उचित प्रलेखीकरण और सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए, यदि वर्ष में शुद्ध कृषि आय 5 लाख रुपए से अधिक है तो विस्तृत विवरण (जैसे पिन कोड के साथ जिले का नाम जिसमें कृषि भूमि स्थित है, कृषि भूमि का एकड़ में माप, कृषि भूमि स्वामित्व वाली/पट्टे पर है, वह सिंचित/वर्षा सिंचित है) को कंप्यूटर करने के लिए निर्धारण वर्ष 2019-20 से आईटीआर में छूट प्राप्त आय के बग़ैरे अधिक विकसित किए गए हैं।

2. सीबीडीटी ने फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2019 (योजना) तैयार की है, जिसे वर्तमान में अधिनियम में धारा 144ख के तौर पर 01.04.2021 से प्रभावी, शामिल किया गया है। टीम आधारित निर्धारण प्रक्रिया जहां निर्धारण इकाई सत्यापन इकाई द्वारा सत्यापन का अनुरोध कर सकती है और तकनीकी इकाई से तकनीकी सहायता मांग सकती है, उचित जांच और जांच सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। इस योजना के तहत समीक्षा की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है ताकि पारित निर्धारण आदेशों में ऐसी कोई त्रुटि न हो।

3. 12 दृष्टांत मामलों में से, 04 मामलों में आपत्ति स्वीकार कर ली गई है और उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।"

14. कृषि आय की आड़ में निर्धारिती द्वारा वित्तीय प्रणाली में बेहिसाब आय/काला धन वापस नहीं लाए जाने की जांच करने के लिए व्यवस्थित सुरक्षा उपायों, यदि कोई हो, के बारे में पूछे जाने पर कि मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में, निम्नवत बताया:

1. "किसी विशेष निर्धारण वर्ष के लिए फाइल की गई विवरणियों की उल्लेखनीय संख्या को ध्यान में रखते हुए, कंप्यूटर समर्थित स्कूटनी चयन (सीएसएस) के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों और विभिन्न प्रकार के जोखिम (जिसमें जांच अपेक्षित है) के बीच संतुलन बनाने के लिए जांच के लिए चुने गए मामलों की संख्या को ठीक किया गया है। सीएसएस आईटीआर, आईटी फॉर्म, टीडीएस/टीसीएस, तीसरे पक्ष द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा, अंतर-विभागीय समझौता ज्ञापनों आदि के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जांच संबंधी मामलों के

चयन के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली है। एक प्रारम्भिक सीमा से अधिक कृषि आय वाले मामलों के चयन के लिए सीएएसएस में परिदृश्यों को शामिल किया गया है।

2. मामलों के चयन को और बेहतर बनाने के लिए और उचित दस्तावेज और सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए, यदि वर्ष में शुद्ध कृषि आय 5 लाख रुपए से अधिक है तो विस्तृत विवरण (जैसे पिन कोड के साथ जिले का नाम जिसमें कृषि भूमि स्थित है, कृषि भूमि का एकड़ में माप, कृषि भूमि स्वामित्व वाली/पट्टे पर है, वह सिंचित/वर्षा सिंचित है) को कैप्चर करने के लिए निर्धारण वर्ष 2019-20 से आईटीआर में छूट प्राप्त आय के ब्यौरे अधिक विकसित किए गए हैं।
  3. सीबीडीटी ने फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2019 (योजना) तैयार की है, जिसे वर्तमान में अधिनियम में धारा 144ख के तौर पर 01.04.2021 प्रभाव से शामिल किया गया है। टीम आधारित निर्धारण प्रक्रिया जहां निर्धारण इकाई सत्यापन इकाई द्वारा सत्यापन का अनुरोध कर सकती है और तकनीकी इकाई से तकनीकी सहायता मांग सकती है, उचित जांच और जांच सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। इस योजना के तहत समीक्षा की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है ताकि पारित निर्धारण आदेशों में ऐसी कोई त्रुटि न हो।
  4. प्रत्येक मामले के व्यक्तिगत तथ्यों के आधार पर ऐसे उपयुक्त मामलों में आयकर अधिनियम की धारा 132 में उपलब्ध खोज और जब्ती के प्रावधान, आईटी अधिनियम की धारा 133क के अनुसार सर्वेक्षण के प्रावधान, और आयकर अधिनियम की धारा 133ग के अनुसार निर्धारित आयकर प्राधिकरण द्वारा सूचना मांगने के प्रावधान भी लागू किए जा सकते हैं जिनमें प्रथम दृष्टया यह मानने का कारण हो कि निर्धारित द्वारा कृषि आय की आड़ में वित्तीय प्रणाली में बेहिसाब आय/काला धन लाया जा रहा है।"
15. यह पूछे जाने पर कि क्या विभाग ने सभी कमिश्नरियों में, जहां कृषि आय का दावा 10 लाख से अधिक है, सभी मामलों की 100 प्रतिशत जांच के लिए लेखापरीक्षा की सिफारिशों के अनुसार कार्य किया है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"अपनी आयकर विवरणियों में कृषि आय की रिपोर्ट करने वाले करदाताओं की संख्या काफी है। निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए, 21,55,368 करदाताओं ने अपनी आय कर विवरणियों में कृषि आय की सूचना दी, जिसमें से 59,707 करदाताओं ने कृषि आय 10 लाख रुपये से अधिक की सूचना दी। किसी विशेष निर्धारण वर्ष के लिए फाइल की गई विवरणियों की उल्लेखनीय संख्या को ध्यान में रखते हुए, कंप्यूटर समर्थित स्क्रीन चयन (सीएएसएस) के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों और विभिन्न प्रकार के जोखिम (जिसमें जांच अपेक्षित है) के

बीच संतुलन बनाने के लिए जांच के लिए चुने गए मामलों की संख्या को ठीक किया गया है। सीएसएस आईटीआर, आईटी फॉर्म, टीडीएस/टीसीएस, तीसरे पक्ष द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा, अंतर-विभागीय समझौता ज्ञापनों आदि के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जांच संबंधी मामलों के चयन के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली है। एक सीमा से अधिक कृषि आय वाले मामलों के चयन के लिए सीएसएस में परिदृश्यों को शामिल किया गया है। मामलों के चयन को और बेहतर बनाने के लिए और उचित दस्तावेज और सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए, यदि वर्ष में शुद्ध कृषि आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो विस्तृत विवरण (जैसे पिन कोड के साथ जिले का नाम जिसमें कृषि भूमि स्थित है, कृषि भूमि का एकड़ में माप, कृषि भूमि स्वामित्व वाली/पट्टे पर है, वह सिंचित/वर्षा सिंचित है) को कैप्चर करने के लिए निर्धारण वर्ष 2019-20 से आईटीआर में छूट प्राप्त आय के ब्यारे अधिक विकसित किए गए हैं।"

16. इस संबंध में चेयरमैन, सीबीडीटी ने अपने मौखिक साक्ष्य में निम्नवत बताया:

"इस साल, हमने चयन के लिए कुल पात्र मामलों का 0.07 प्रतिशत उठाया है। संख्या 47,000 से अधिक नहीं थी....

हमने जो किया है वह यह है कि हमने उन मापदंडों में फैक्टर किया है जो अब ईआई अर्थात 'छूट आय' श्रेणी में हैं जो प्रति एकड़, प्रति क्षेत्र, भूमि स्वामित्व प्रकार और भूमि प्रकार की बड़ी कृषि आय है। यह हमें कुछ विचार प्रदान करेगा। उसके आधार पर, हमने गैर-व्यावसायिक आईटीआर के 503 मामलों को उठाया है। बड़े कृषि आय व्यवसाय आईटीआर के संबंध में, हमने 334 मामले उठाए हैं। बड़ी कृषि आय के संबंध में जहां पिछले दो निर्धारण वर्षों के लिए आय की विवरणी दाखिल नहीं की गई थी, हमने 162 मामलों को उठाया है। पिछले रिटर्न में दर्शाई गई तुलना में कृषि आय में पर्याप्त वृद्धि के संबंध में, हमने 1385 मामलों को उठाया है। औसत कृषि आय या क्षेत्र, भूमि स्वामित्व प्रकार और भूमि के प्रकार की तुलना में बोई गई प्रति एकड़ बड़ी कृषि आय के संबंध में, हमने 1280 मामले लिए हैं। अंत में, कृषि आय के लिए दस उच्च-जोखिम मापदंडों की विषयगत मैपिंग की गई है। यह मूल रूप से एक अनुपात तुलना है - शुद्ध से सकल अनुपात, पट्टे पर बोई गई भूमि का प्रतिशत, वर्षा सिंचित का प्रतिशत, शहरी क्षेत्र में भूमि का प्रतिशत, कृषि आय का सकल कुल आय का अनुपात। हमने विषयगत मैपिंग पर 2427 मामले भी उठाए। कुल मिलाकर इस समय कृषि आय के संबंध में, चयन के लिए नए मापदंडों के आधार पर, हमने 47,000

मामलों में से 3379 मामलों को उठाया है। हमारे पास जो क्षमता है और उन मामलों के उच्च जोखिम वाले कारकों को देखते हुए, हमने इन मामलों को उठाया है।”

17. लेखा परीक्षा ने पाया कि 1527 मामलों में से 1046 मामलों(68.5) में कृषि आय का दावा फार्म आईटीआर-4 में किया गया था जिसमें 222.91 करोड़ के दावे के प्रति कृषि आय के आधार पर 210.19 करोड़ की छूट अनुमति दी गई थी। आईटीआर-4 का सर्वाधिक उपयोग दर्शाता है कि कृषि आय का व्यापक रूप से दावा किया गया एवं इस पर अनुमति दी गई जहां कारबार तथा व्यवसाय से आनुमानिक आय शामिल है।

18. यह पूछे जाने पर कि क्या आईटीडी ने आय की प्रकृति के संबंध में धारा 10(1) के तहत कृषि आय के कारण छूट प्रदान करते समय इस पहलू पर विचार किया था, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में, निम्नानुसार बताया:

“आयकर अधिनियम की धारा 44कघ में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पात्र निर्धारिती और पात्र व्यवसाय की परिभाषा में अधिनियम की धारा 2(1क) के अनुसार परिभाषित किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना में कृषि आय को शामिल करने और अधिनियम की धारा 10(1) के अनुसार इसकी छूट देने की अनुमति को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक के लिए रिटर्न फॉर्म आईटीआर -4 भरने संबंधी अनुदेशों के अनुसार, छूट प्राप्त कृषि आय का विवरण अनुसूची ईआई (छूट प्राप्त आय) में प्रस्तुत किया जा सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जहां व्यवसाय और पेशे से अनुमानित आय शामिल हो, कृषि आय का दावा किया जा सकता है और इसकी अनुमति दी जा सकती है।”

19. क्षेत्र में आकलन करने वाले अधिकारियों को शिक्षित करने और उन्हें जागरूक करने के लिए एक एसओपी लाने के संबंध में एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

“आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 2(1क) के अनुसार, कृषि आय की परिभाषा में कृषि या उपज की बिक्री से आय के अलावा किराया या राजस्व (अधिनियम की धारा 2(1क)(क), भवन से प्राप्त आय अधिनियम की धारा 2(1क)(ग) शामिल है। चूंकि अधिनियम की धारा 2(1क) के अनुसार कृषि आय की परिभाषा व्यापक है, कृषि आय के बारे में तथ्य हर मामले में भिन्न हो सकते हैं। मामलों में इस गैर-एकरूपता को ध्यान में रखते हुए, एसओपी के बजाय निर्धारण अधिकारियों को शिक्षित और प्रबुद्ध करने के लिए, विभाग

कई उपाय करता है जिसमें प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (डीटीआरटीआई) और/या लिपिकीय कर्मचारी प्रशिक्षण इकाइयों (एमएसटीयू)द्वारा पूरे भारत में उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, विभिन्न पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं उदाहरण के लिए - मूल्यांकन के लिए जांच की तकनीक, विभिन्न क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली मूल्यांकन मामलों के विशिष्ट उदाहरणों और कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करें। कृषि आय की सत्यता की जांच के क्षेत्र में ये सभी उपाय मूल्यांकन अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हैं। "

ग. आयकर विभाग के डेटाबेस में कृषि आय को गलत रूप से दर्शाना (पैरा 5.9.3)

20. लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जहां निर्धारण आदेश में अनुमत छूटों की तुलना में आयकर विभाग के डेटाबेस में दर्शाई गई छूटों के बीच मेल नहीं था। संवीक्षा निर्धारण के दौरान कृषि आय अनुमत छूट को आयकर विभाग के डेटाबेस में उचित रूप से नहीं दर्शाया गया था। आयकर विभाग में कृषि आय को निर्धारितियों द्वारा रिटर्न्ड के रूप में दर्शाया जाता रहा या उन मामलों में असंगत आकड़े दर्शाए गए जहां अनुमत कृषि आय निर्धारितियों के दावे से भिन्न थी। नौ राज्यों में लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए। 3,133 मामलों में से 48 मामलों [(बिहार(02),झारखंड (02), कर्नाटक (12),केरल( 07),राजस्थान (01), पश्चिम बंगाल (06),तमिलनाडु (09),उत्तर प्रदेश (04), नई दिल्ली (05)] में त्रुटियां देखी गई थी।

21. यह पूछे जाने पर कि क्या कृषि आय के कारण आईटीडी डेटाबेस में दर्शाए गए आंकड़ों और आकलन आदेश में अनुमत छूटों के बीच बेमेल होने के कारण की पहचान करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"निर्धारण आदेश में अनुमत छूटों के मुकाबले कृषि आय संबंधी खाते में आईटीडी डेटाबेस में परिलक्षित छूटों के बीच बेमेल होने का मुख्य कारण यह है कि निर्धारण वर्ष 2016-17 से पहले आयकर विभाग की पुरानी व्यवस्था में आकलन के बाद निर्धारित कर की गणना के लिए एक अलग मॉड्यूल उपलब्ध था। हालांकि, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से, निर्धारण आदेश अनिवार्य रूप से आयकर व्यवसाय अनुप्रयोग (आईटीबीए) नामक एक नए सॉफ्टवेयर में पास किए जाते हैं। विरासती एएसटी प्रणालियों से आईटीबीए में निर्धारण आदेश पारित करने के दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर है। आईटीबीए में, कर योग्य आय की गणना करने के लिए परिवर्धन/अस्वीकृति करते समय एओ द्वारा अधिक विस्तृत और व्यापक दृष्टिकोण का पालन किया जाना अपेक्षित है: - अब एओ सीधे आय गणना स्क्रीन में बदलाव करने में असक्षम है। एओ को आय गणना स्क्रीन में प्रदान की गई विभिन्न अनुसूचियों में परिवर्धन/अस्वीकृति करनी पड़ती है। आय संगणना बटन सबमिट करने पर विभिन्न अनुसूचियों में निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्तनों के आधार पर, सॉफ्टवेयर संशोधित किए गए विभिन्न शीर्षों में आय की गणना करता है तथा संबंधित कटौती/छूट/राहत/समायोजन के लाभ की अनुमति देता है और कर योग्य आय एवं उस पर

कर का निर्धारण करता है। इस प्रकार, इस सॉफ्टवेयर में, विभाग की प्रणालियों में डेटा निर्धारण कार्यवाही में निर्धारित कृषि आय का डेटा दिखाएगा। निर्धारिती या उसके प्रतिनिधि के साथ इंटरफेस को कम करने के लिए, निर्धारण प्रक्रिया को डिजिटलीकृत किया गया है और इसे ई-निर्धारण के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसके अलावा, घोषित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्धारण वर्ष 2018-19 से ई-निर्धारण योजना 2019 को पहले ही क्रियान्वित किया जा चुका है।"

22. लेखापरीक्षा ने पाया कि 48 मामलों में से डेटाबेस में परिलक्षित कृषि आय की राशि - 42 मामलों में एएसटी के माध्यम से और छह मामलों में मैनुअल रूप से ऑटो-पॉप्युलेट की गई थी। निर्धारण के दौरान अनुमत कृषि आय को आईटीडी डेटाबेस में दर्ज नहीं किया गया था। इस प्रकार, डेटाबेस के अद्यतन न होने के कारण कृषि आय और एमआईएस उद्देश्यों के लिए निर्धारिती को छूट की गलत रिपोर्टिंग का जोखिम है। यद्यपि, आईटीडी को डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण हुई विसंगतियों के बारे में बताया जाता है, फिर भी ऐसी त्रुटियां होती रहती हैं।

23. यह पूछे जाने पर कि क्या मूल्यांकन की मैनुअल प्रक्रिया और रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के सह-अस्तित्व के कारणों की जांच की गई है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

1. "निर्धारण की मैनुअल प्रक्रिया और रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का सह-अस्तित्व या क्योंकि उक्त प्रक्रियाएं डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में थीं हालांकि, बाद में आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने और निर्धारण की पूरी प्रक्रिया का पूर्ण डिजिटलीकरण करके सामंजस्य बिठाया है।
2. आयकर विभाग ने प्रौद्योगिकी की मदद से चरणबद्ध तरीके से रिटर्न दाखिल करने और निर्धारण की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए कई पहल की हैं। कम्प्यूटरीकरण की यात्रा में, शुरू में, आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया गया था और धीरे-धीरे यह हासिल किया गया है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को छोड़कर करदाताओं की सभी श्रेणियों के लिए आयकर विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है। इसी तरह, करदाताओं द्वारा प्रस्तुत आय की विवरणी के प्रसंस्करण को केंद्रीकृत प्रसंस्करण योजना, 2011 के शुभारंभ के साथ कम्प्यूटरीकृत किया गया था।
3. कम्प्यूटरीकरण की यात्रा को जारी रखते हुए, चरणबद्ध तरीके से प्रौद्योगिकी के उचित उपयोग के माध्यम से निर्धारण की प्रक्रिया को गैर-हस्तक्षेपी और करदाता के अनुकूल बनाने के लिए कई पहल की गई हैं।

निर्धारण के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख उपलब्धियां नीचे संक्षेप में दी गई हैं:

एक. वर्ष 2015-16 में, शुरु में, विभाग द्वारा ईमेल आधारित निर्धारण के माध्यम से जांच के संचालन के लिए मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बंगलुरु और अहमदाबाद में एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में, ई-मेल आधारित निर्धारण को दो और शहरों अर्थात् कोलकाता और हैदराबाद में विस्तारित किया गया था। इसके अलावा, इन सात मेट्रो शहरों में, करदाता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्धारण कार्यवाही के संचालन के लिए एक विकल्प दिया गया था।

दो. इसके बाद, आयकर व्यवसाय अनुप्रयोग (आईटीबीए) के निर्धारण मॉड्यूल पर 'ई-कार्यवाही' सुविधा, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक छोर से दूसरे छोर तक ढंग से निर्धारण कार्यवाही करने के लिए एक एकीकृत मंच है, 2017 में चालू हो गई और सीबीडीटी ने निर्देश दिया था कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कुछ अपवादों को छोड़कर सभी प्रकार के मामलों में निर्धारण कार्यवाही 'ई-कार्यवाही' के माध्यम से अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित की जाए।

तीन. निर्धारण प्रक्रिया के दौरान निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती के बीच अनावश्यक इंटरफेस को खत्म करने के लिए और पैमाने एवं कार्यात्मक विशेषज्ञता की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए, गतिशील क्षेत्राधिकार के साथ आयकर अधिनियम में एक टीम-आधारित निर्धारण के प्रावधान वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 में उप-धाराएं अर्थात् 3क, 3ख और 3ग सम्मिलित करके पेश किए गए हैं।

चार. उक्त प्रावधानों के अनुसरण में, 3 अक्टूबर, 2019 से ई-निर्धारण योजना, 2019 लागू की गई थी। इसके बाद, इसे फेसलेस असेसमेंट स्कीम, 2019 के लॉन्च, जिसे वर्तमान में धारा 144ख के तहत आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) में शामिल किया गया है, के द्वारा वर्ष 2020 में पूर्ण रूप से लागू किया गया है। अधिनियम की धारा 144ख के अनुसार, निर्धारण की प्रक्रिया फेसलेस हो जाने से निर्धारण प्रक्रिया के दौरान निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती के बीच इंटरफेस कम हो गया है। निर्धारण इकाइयों के साथ-साथ सत्यापन इकाइयों, तकनीकी इकाइयों और समीक्षा इकाइयों जैसी अन्य विशिष्ट इकाइयों के रूप में टीम आधारित निर्धारण के माध्यम से सभी निर्धारण कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक रूप से फेसलेस तरीके से आयोजित की जाती हैं।

पांच. अतः यह निवेदन किया जाता है कि न केवल रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया बल्कि निर्धारण की पूरी प्रक्रिया को भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक के साथ-साथ फेसलेस भी बनाया गया है।

24. जब लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए 48 मामलों में से प्रत्येक में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति के बारे में बताने हेतु कहा गया, तो मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

पैरा संख्या 5.9.3 - आईटीडी डेटाबेस में गलत कृषि आय दिखाया जाना							
क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी प्रभार	एओ प्रभार	निर्धारिती का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	स्थिति
1	बिहार	पीसीसीआ ईटी, पटना	आईटीओ वार्ड 2 (1) मुजफ्फरपुर	श्री श्याम कुमार साहनी	EAMPS 5640Q	2012 -13	इस मामले में 14.49 लाख रुपये की कर कृषि आय की गणना दर के उद्देश्य से गलत ली गई जबकि यह वास्तव में मत्स्य पालन गतिविधियों से सकल प्राप्त थी। चूंकि रिकॉर्ड से गलती स्पष्ट है, इसलिए ए.ओ. को तत्काल त्रुटि सुधार कर तदनुसार रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। अतः, मामले को निपटाया हुआ माना जाए।
2	बिहार	पीसीसीआ ईटी, पटना	एसीआईटी सर्किल -1 मुजफ्फरपुर	श्री पूर्णमाशी राम	AEUPR 8234F	2014 -15	मौजूदा मामले में निर्धारिती ने कृषि आय 22,03,470/- रुपये दिखाई है।



							<p>हालांकि, अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण कार्यवाही के समय ए.ओ. ने केवल 6,13,670/- रुपये की कृषि आय को स्वीकार किया और 15,89,800/- रुपए की शेष आय को अन्य स्रोतों से आय के तौर पर लिया है। लेकिन, निर्धारिती की कर देयता का निर्धारण करते समय, ए.ओ. गलती से दर उद्देश्यों के लिए कृषि आय 6,13,670/- रुपए के बजाए 22,03,470/- रुपए ली। इस प्रकार अभिलेखों से त्रुटि स्पष्ट है। इसलिए ए.ओ. को तत्काल त्रुटि सुधार कर तदनुसार रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। अतः, मामले को निपटाया हुआ माना जाए।</p>
3	झारखंड	पीसीसीआ ईटी, पटना	सर्कल-1, रांची	श्री बिनोद कुमार गुप्ता	ACEPG 3715C	2015 -16	इस मामले में सुधार की कार्यवाही प्रगति पर है जिसके परिणामस्वरूप

							1,41,240/- रुपये का रिफंड बनता है। विभिन्न निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारिती के खिलाफ 1,46,381/- रुपए की बकाया मांग भी है। इस प्रकार, बकाया मांग के प्रति रिफंड को समायोजित करने से पहले, निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 245 के तहत एक सूचना पत्र निर्धारिती को भेजा गया है। निर्धारिती से उत्तर प्राप्त होने पर सुधार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी
4	झारखंड	पीसीसीआ ईटी, पटना	आईटीओ वार्ड 3 (1) रांची	श्री सोमोकसुरोजीत बनर्जी	AKGPB 5207Q	2015 -16	इस मामले में इंगित की गई त्रुटि को अधिनियम की धारा 154 के तहत 31.07.2018 को पहले ही ठीक कर दिया गया है।
5	कर्नाटक	पीसीसीआ ईटी-6	सीआईटी - 6-आईटीओ वार्ड 6(3)(4)	श्री डोड्डाहनुमैय्या सिद्धारमैया	ELHPS 2995J	2014 -15	इस मामले में 2,45,000/- रुपये की कृषि आय को अन्य स्रोतों से आय के तौर पर जोड़ा गया है। विवरणित आय में इस जोड़ के

							<p>साथ और कम कृषि आय के साथ कर गणना ठीक उसी तरह है जैसे कि धारा 143(3) के तहत आदेश में है। यह कि कृषि आय को कर गणना में धारा 143(3) के तहत घटा हुआ नहीं माना गया है, यह एक सिस्टम त्रुटि प्रतीत होती है। इस प्रकार, देय कर में कोई परिवर्तन नहीं है और कोई विशेष कर प्रभाव नहीं है। इसलिए इस मामले में कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।</p>
6	कर्नाटक	पीसीसीआ ईटी-6	सीआईटी - 6- डीसीआईटी सर्कल 6(3)(1)	श्री बी प्रेमनाथ रेड्डी	AECPR 6869Q	2014 -15	<p>इस मामले में धारा 143(3) के तहत अनुमति न देकर अन्य स्रोतों से आय के रूप में कृषि आय के 50% का आकलन करके निर्धारण पूरा किया गया और कुल आय में वापस जोड़ा गया। सिस्टम (आईटीडी) पर गणना के लिए धारा 143(3) के तहत आदेश पारित</p>

							करते समय कृषि आय आय की विवरणी के अनुसार बनी रही जिससे 2,04,700/- की मांग बनाई गई जिसका निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया। यदि उसकी पुनर्गणना की जाती है तो मांग 1,48,050/- रुपये दिखाई देती है , जो संग्रहीत मांग से थोड़ा कम है। कोई राजस्व हानि नहीं है। निर्धारिती द्वारा दायर किसी भी सुधार पर ध्यान दिया जाएगा।
7	कर्नाटक	पीसीसीआ ईटी-6	सीआईटी - 6-आईटीओ वार्ड 6(2)(1)	जी के रामकृष्ण रेड्डी	ABGPR 1485B	2013 -14	इस मामले में धारा 143(3) के तहत 3,00,000/- रुपये की कृषि आय के 50% का आकलन करके 3,34,500/- रुपये की कुल आय पर पहुंचा गया था। सिस्टम (आईटीडी) पर गणना के लिए धारा 143(3) के तहत आदेश पारित करते समय कृषि आय आय की

							विवरणी के अनुसार बनी रही जिससे 31,640/- की मांग बनाई गई जिसका निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया। यदि उसकी पुनर्गणना की जाती है तो मांग 21,560/- रुपये दिखाई देती है, जो संग्रहीत मांग से थोड़ा कम है। कोई राजस्व हानि नहीं है। निर्धारिती द्वारा दायर किसी भी सुधार पर ध्यान दिया जाएगा।
8	कर्नाटक	पीसीसीआ ईटी-6	सीआईटी - 6-आईटीओ वार्ड 6(2)(1)	हल्लदा होसहल्ली मस्ती गौड़ा सौभाग्यलक्ष्मी	AUBPS 7631Q	2013 -14	इस मामले में 5,19,228/- रुपये की कृषि आय को अन्य स्रोतों से आय के तौर पर जोड़ा गया। विवरणित आय में इस जोड़ के साथ और कम कृषि आय के साथ कर गणना ठीक उसी तरह है जैसे कि धारा 143(3) के तहत आदेश में है। यह कि कृषि आय को कर गणना में धारा 143(3) के तहत घटा हुआ नहीं

							माना गया है, यह एक सिस्टम त्रुटि प्रतीत होती है। इस प्रकार, देय कर में कोई परिवर्तन नहीं है और कोई विशेष कर प्रभाव नहीं है। इसलिए इस मामले में कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।
9	कर्नाटक	पीसीसीआ ईटी-6	सीआईटी - 6-आईटीओ वार्ड 6(2)(1)	वीणा शिवप्रसाद	AOJPS 8501F	2014 -15	इस मामले में 2,50,000/- रुपये की कृषि आय को अन्य स्रोतों से आय के तौर पर जोड़ा गया है। विवरणित आय में इस जोड़ के साथ और कम कृषि आय के साथ कर गणना ठीक उसी तरह है जैसे कि धारा 143(3) के तहत आदेश में है। यह कि कृषि आय को कर गणना में धारा 143(3) के तहत घटा हुआ नहीं माना गया है, यह एक सिस्टम त्रुटि प्रतीत होती है। इस प्रकार, देय कर में कोई परिवर्तन नहीं है और कोई विशेष कर प्रभाव नहीं है।

							इसलिए इस मामले में कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।
10	कर्नाटक	पीसीसीआ ईटी-6	सीआईटी - 6-आईटीओ वार्ड 6(2)(1)	उमा बेलगावी	ABPPB 0330A	2014 -15	निर्धारित ने 9,35,020/- रुपये की कुल आय और 13,00,000/- रुपए की कृषि आय की घोषणा करते हुए आय की विवरणी भरी है। धारा 143(3) के तहत दिनांक 22.06.2016 के निर्धारण आदेश के अनुसार, 2,00,000/- रुपए कृषि आय की अस्वीकृति के रूप में विवरणित आय में वापस जोड़े गए हैं। आईटीडी डेटा बेस के अनुसार सही धनराशि 11,00,000/- रुपए दर्शाई गई है। इसलिए किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है।
11	कर्नाटक	पीसीसीआ ईटी-6	सीआईटी - 6-आईटीओ वार्ड 6(2)(1)	राजीब चौधरी	ABLPC 6333L	2014 -15	निर्धारित ने 34,86,740/- रुपये की आय घोषित करते हुए 10-02- 2015 को आय की विवरणी भरी।

निर्धारिती ने 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए 8,00,000/- रुपये की कृषि आय घोषित की और छूट प्राप्त आय के रूप में दावा किया।

3,10,000/- रुपये की कृषि आय का हिस्सा जोड़कर जांच निर्धारण पूरा किया गया और निर्धारित आय 37,96,740/- रुपये निर्धारित की गई थी। यह सही है कि निर्धारण आदेश में कृषि आय 8,00,000/- रुपए उल्लिखित है। हालांकि निर्धारण आदेश में कृषि छूट 8,00,000/- रुपये निर्धारित नहीं की गई है। अतः निर्धारण आदेश के अनुसार कृषि आय एवं छूट की गणना में राजस्व की हानि नहीं है। इसलिए इस मामले में इस निर्धारण वर्ष के लिए आगे कोई कार्रवाई



							करने की आवश्यकता नहीं है।
12	कर्नाटक	पीसीसीआईटी-6	सीआईटी - 6-आईटीओ वार्ड 6(2)(1)	हल्लादा होसहल्ली मस्ती गौड़ा सौभाग्यलक्ष्मी	AUBPS 7631Q	2014 -15	इस मामले में 5,55,600/- रुपये की कृषि आय को अन्य स्रोतों से आय के रूप में जोड़ा गया था। विवरणित आय में इस जोड़ के साथ और कम कृषि आय के साथ कर गणना ठीक उसी तरह है जैसे कि धारा 143(3) के तहत आदेश में है। यह कि कृषि आय को कर गणना में धारा 143(3) के तहत घटा हुआ नहीं माना गया है, यह एक सिस्टम त्रुटि प्रतीत होती है। इस प्रकार, देय कर में कोई परिवर्तन नहीं है और कोई विशेष कर प्रभाव नहीं है। इसलिए इस मामले में कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।
13	कर्नाटक	पीसीसीआईटी-6	सीआईटी - 6-आईटीओ वार्ड 6(2)(1)	अंजन कुमार कलारसैया	AANHA 6051J	2014 -15	इस मामले में 2,01,600/- रुपये की कृषि आय को अन्य स्रोतों से आय के रूप में जोड़ा गया

							था। विवरणित आय में इस जोड़ के साथ और कम कृषि आय के साथ कर गणना ठीक उसी तरह है जैसे कि धारा 143(3) के तहत आदेश में है। यह कि कृषि आय को कर गणना में धारा 143(3) के तहत घटा हुआ नहीं माना गया है, यह एक सिस्टम त्रुटि प्रतीत होती है। इस प्रकार, देय कर में कोई परिवर्तन नहीं है और कोई विशेष कर प्रभाव नहीं है। इसलिए इस मामले में कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।
14	कर्नाटक	पीसीसीआ ईटी-6	सीआईटी - 6-आईटीओ वार्ड 6(2)(1)	बीना श्रीधर	ALJPS 2961C	2014 -15	इस मामले में 1,55,000/- रुपये की कृषि आय को अन्य स्रोतों से आय के रूप में जोड़ा गया था। विवरणित आय में इस जोड़ के साथ और कम कृषि आय के साथ कर गणना ठीक उसी तरह है जैसे कि धारा 143(3) के तहत

							आदेश में है। यह कि कृषि आय को कर गणना में धारा 143(3) के तहत घटा हुआ नहीं माना गया है, यह एक सिस्टम त्रुटि प्रतीत होती है। इस प्रकार, देय कर में कोई परिवर्तन नहीं है और कोई विशेष कर प्रभाव नहीं है। इसलिए इस मामले में कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।
15	कर्नाटक	पीसी सीआई टी-6	सीआईटी -6- डीसीआईटी सर्कल 6(2)(1)	एच.के. सुरेश	AGSPS 8913N	2014 -15	इस मामले में घोषित विवरणित आय 3,94,15,500/- रुपए और कृषि आय 1,59,40,000/- रुपए है। 20,00,000/- रुपए के व्यय को अस्वीकार करके और 15,00,000/- रुपए की कृषि आय के हिस्से का अन्य स्रोतों से आय के रूप में निर्धारण करके धारा 143(3) के तहत निर्धारण पूरा किया गया और 4,29,15,500/- रुपए की कुल आय निकाली गई।

							सिस्टम (आईटीडी) पर गणना के लिए धारा 143(3) के तहत आदेश पारित करते समय कृषि आय आय की विवरणी के अनुसार बनी रही जिससे 17,16,730/- रुपए की मांग बनाई गई। धारा 143(3) के तहत कर गणना में कृषि आय को कम के रूप में नहीं देखा गया है, यह एक प्रणाली त्रुटि प्रतीत होती है। यदि उसकी पुनर्गणना की जाती है तो मांग वही रहती है। इसलिए, कोई राजस्व क्षति नहीं है।	
16	कर्नाटक	पीसी सीआई टी-6	सीआईटी आईटीओ 6(3)(2)	-6- वार्ड	मधुसूदन रचना	ABFPR 4824H	2014 -15	निर्धारित ने 293210/- रुपये की विवरणित आय और 1102514/- रुपए की कृषि आय की घोषणा की है। धारा 143(3) के अंतर्गत पूर्ण किए गए निर्धारण आदेश में कृषि आय में कुछ नहीं जोड़ा गया है और इसलिए, कृषि

							आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए, किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
17	नई दिल्ली	पीसी सीआई टी-7, दिल्ली	वार्ड 61(1)	बिभु दासो	AZJPD 9412B	2014 -15	लेखापरीक्षा ने पाया है कि 2014-15 में आईटीआर के साथ-साथ डेटाबेस के अनुसार 23 लाख रुपये को गलत दर्शाया गया था। रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्धारिती ने 23 लाख रुपये की छूट प्राप्त कृषि आय का दावा किया है और निर्धारण 22.12.2016 को पूरा किया गया था और इसे अस्वीकार किया गया था एवं उसे "अन्य स्रोतों से आय" के रूप में आय में वापस जोड़ा गया था। यह देखा गया था कि कर की गणना के समय, एओ ने अनजाने में कर के उद्देश्य से कृषि आय को उठाया था, जबकि निर्धारण

							में इसे पहले ही अस्वीकृत कर दिया गया था। 27.09.2019 को धारा 154 के तहत आदेश के द्वारा गलती को सुधारा गया है और सुधार के बाद, छूट प्राप्त कृषि आय शून्य है।
18	नई दिल्ली	पीसी सीआई टी-4, दिल्ली	वार्ड 33(2)	प्रदीप	BDIPP7 673J	2013 -14	इस मामले में निर्धारण कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए 55,45,954/- रुपये की आय पर पूरा किया गया था, वृद्धि अन्य स्रोतों से आय के कारण की गई थी। फिर भी, उसी कृषि आय को छूट प्राप्त आय के रूप में लिया गया था और इसका छूट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 1,13,299/- रुपए के शुद्ध कर का अधिक निर्धारण हुआ। उसे 18.02.2019 को सही किया गया था।

19	नई दिल्ली	पीसी सीआई टी-7, दिल्ली	वार्ड 61(1)	अमित सेठ	AAXPS 1385F	2014 -15	लेखापरीक्षा ने आईटीडी डेटाबेस में कृषि आय का गलत प्रदर्शन देखा। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए कृषि आय आईटीआर और डेटाबेस में परिलक्षित आय के अनुसार भी 35.09 लाख रुपए है। अन्य स्रोतों से आय के रूप में कृषि आय को अस्वीकार करते हुए निर्धारण 30.12.2016 को पूरा किया गया था। यह देखा गया था कि कर की गणना के समय, एओ ने अनजाने में कर के उद्देश्य से कृषि आय को उठाया था, जबकि निर्धारण में इसे पहले ही अस्वीकृत कर दिया गया था। 10.09.2021 को धारा 154 के तहत आदेश के द्वारा गलती को सुधार गया है और सुधार के बाद, छूट प्राप्त
----	--------------	---------------------------------	-------------	----------	----------------	-------------	---

							कृषि आय शून्य है।
20	नई दिल्ली		सर्किल 27(1), दिल्ली	अनिल मीठास	AGIPM 0679H	2014 -15	आपत्ति के अनुसार, निर्धारिती द्वारा अपने आईटीआर में दावा की गई कृषि आय को निर्धारण आदेश तैयार करते समय अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन कुल आय में जोड़ी गई धनराशि के साथ अलग कृषि आय के रूप में कर की गणना के हिस्से के रूप में वही आय अभी भी मौजूद रही। इसका प्रभाव यह था कि निर्धारिती की आय के विभिन्न हिस्से के लिए कर स्लैब बदल गए थे और इसलिए परिणामस्वरूप निर्धारिती की आय के एक हिस्से पर आयकर की उच्च दर लगाई गई थी। उसे 10.09.2021 को सही किया गया था।
21	एनड ब्ल्यूआर	पीसी आईटी गुड़गां	वार्ड 40(3)	दिनेश यादव	AAAPY 5130H	2013 -14	



22	राजस्थान	व पीसी आईटी- 1, जयपुर	आईटीओ वार्ड 3 (1) जयपुर	श्रीमती राज गिरीश अग्रवाल	ABJPA 3093R	2009 -10	निर्धारिती ने धारा 139 के तहत अपना आरओआई दाखिल नहीं किया। धारा 148 के तहत 29.03.2016 को नोटिस जारी करके निर्धारिती के मामले को फिर से खोला गया। धारा 148 के तहत नोटिस के जवाब में निर्धारिती ने वर्ष 2009-10 के लिए 9,77,146/- रुपये का नुकसान और 5,88,377/- रुपए की कृषि आय घोषित करते हुए अपना आईटीआर दायर किया। इस मामले में निर्धारण 05.12.2016 को धारा 147/143(3) के तहत 9,12,510/- रुपए की कुल आय, 4,54,096/- रुपए की कृषि आय पर तथा 9,130/- रुपए की मांग करते हुए पूरा किया गया। लेकिन, कर देयता की गणना करते समय आईटीडी में टंकण त्रुटि के
----	----------	-----------------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------	-------------	--

							कारण, 4,54,096/- रुपए की कृषि आय दर प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं ली गई थी। गलती को सुधारने के लिए 9,12,505/- रुपए की कुल आय पर दर प्रयोजन के लिए 4,54,096/- रुपए की कृषि आय पर विचार करके 27.02.2018 को धारा 154 के तहत आदेश जारी किया गया और 1,05,360/- की मांग की गई। धारा 154 के तहत आदेश पारित करने के बाद, 4,54,096/- रुपए की कृषि आय आईटीडी में मान ली गई है।
23	तमिल नाडु	पीसी आईटी-3, कोयंबटूर	कोयंबटूर, डीसीआईटी, एनसीसी-1, सीबीई	एन आनंद श्रीनिवासन	ADJPA 1819R	2013 -14	निर्धारित ने नि.व. के लिए 14-2013 को कुल आय निम्नानुसार स्वीकार करते हुए विवरणी -दाखिले की कुल आय -/1,22,90,620रुपए शुद्ध कृषि आय -/36,04,800रुपए -/76,52,392रुपए की मांग करते हुए -/1,72,59,620रुपए की कुल आय का निर्धारण करते हुए क 31.03.2016

							<p>धारा (3)143के तहत निर्धारण पूरा किया गया। निर्धारण आदेश के अनुसार एओ ने आईटी अधिनियम की धारा के तहत 68 -/1,60,30,000रुपए (बैंक में नकद जमा) -/36,04,800 और रुपए की पूर्ण कृषि आय जिसकी सकल धनराशि -/1,96,34,800रुपए बनीअस्वीकृत कर दी। लेकिन कर गणना विवरण में -/30,04,800रुपए की (कृषि आय) अस्वीकृत राशि को अनजाने में कुल आय में जोड़ने के लिए छोड़ दिया गया था और आगे कृषि आय कॉलम में कम करने के लिए छोड़ दिया गया था और इस तरह कृषि आय पर छूट की अनुमति दी गई थी।</p> <p>चूंकि यह अभिलेखों में स्पष्ट गलती है, -/36,04,800 रुपये की संपूर्ण कृषि आय को धारा के 154 -02-19 तहत दिनांक के आदेश के 2019 द्वारा इसे अन्य स्रोतों के शीर्ष के तहत लाकर सुधारा गया था जिससे कृषि आय शून्य रुपए हो गई जिसके परिणामस्वरूप -/80,43,300रुपए की मांग की गई।</p>
24	तमिल नाडु	पीसी आईटी -3, कोयंब	कोयंबटूर, डीसीआईटी, एनसीसी-1, सीबीई	कृष्णन सेकर	ARJPS 0250N	2013 -14	निर्धारित ने नि .व. 14-2013के लिए कुल आय को निम्नानुसार स्वीकार

	दूर										<p>करते हुए विवरणी दाखिल की:-कुल आय -/26,36,500 रुपए शुद्ध कृषि आय -/7,92,440रुपए धारा (3)143 के तहत निर्धारण को 24.03.2016 ,पूरा किया गया था जिसमें कृषि आय को -/4,88,240रुपये पर सीमित करके कुल आय -/29,40,700रुपये पर निर्धारित करते हुए आईटी अधिनियम की धारा के तहत 69 -/3,04,200रुपये की राशि जोड़कर पूरा किया गया थाइसके , परिणामस्वरूप -/1,29,560रुपये की मांग की गई। लेकिन कर गणना विवरण में -/3,01,200रुपये की (कृषि आय) अस्वीकृत राशि को अनजाने में कृषि आय कॉलम में कम करने के लिए छोड़</p>
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>दिया गया था।  चूंकि यह रिकॉर्ड में स्पष्ट गलती है इसे ,  को 25.10.2019 के तहत 154 धारा आदेश के द्वारा कृषि -/4,88,240 आय को रुपए तक सीमित करके सुधारा गया थाजिसके परिणामस्वरूप -/43,200रुपये का रिफंड बना।</p>
25	तमिल नाडु	पीसी आईटी -3, कोयंब टूर	कोयंबटूर, डीसीआईटी, एनसीसी-1, सीबीई	नटराजन वासूकी	ACPPV 0559A	2013 -14	<p>निर्धारितों ने नि.व. 14-2013के लिए कुल आय को निम्नानुसार स्वीकार करते हुए विवरणी दाखिल की- :-</p> <p>कुल आय -/10,27,470रुपए शुद्ध कृषि आय -/43,79,960रुपए</p> <p>धारा (3)143के तहत निर्धारण 23 03.2016.को पूरा किया गया था , जिसमें कृषि आय को -/27,27,160रुपये पर सीमित करके कुल आय -/32,74,789रुपये पर निर्धारित करते हुए आईटी अधिनियम की धारा के तहत 69 -/16,52,800रुपये , के तहत 37 धारा -/5,94,519रुपए की राशि जोड़कर पूरा किया गया थाइसके , परिणामस्वरूप -/9,82,530रुपये</p>

							की मांग की गई थी। लेकिन कर गणना विवरण में -/16,52,800रुपये की (कृषि आय) कतअस्वी राशि को अनजाने में कृषि आय कॉलम में कम करने के लिए छोड़ दिया गया था। चूंकि यह रिकॉर्ड में स्पष्ट गलती है इसे, को 2019-01-25 के तहत 154 धारा आदेश के द्वारा कृषि आय को -/27,27,160रुपए तक सीमित करके सुधारा गया था, जिसके परिणामस्वरूप -/8,34,590रुपये की मांग की गई।
26	तमिल नाडु	प्रधान सीआई टी-1, त्रिची	सर्कल-1, त्रिची	टी. तमिल सेल्वन	AABPT 8401B	2012 -13	कृषि आय को %10 -/3,84,113)रुपये (की सीमा तक अस्वीकार कर दिया गया था। आईटीडी में लागू करते समय संपूर्ण कृषि आय को अस्वीकार कर दिया गया था और अन्य स्रोतों में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। अब -/3,84,113 रुपये की कृषि आय को अस्वीकार कर दिया गया था और अन्य स्रोतों से आय में जोड़ा गया था %90 और शेषकृषि आय (यानी) - 38,41,228 =3,84,113 34,57,4115रुपए (कर गणना के को लिए ध्यान में रखा गया था।
27	तमिल नाडु	पीसी आईटी -3, कोयंब	कोयंबटूर वार्ड 2 (1), तिरुपुर	के. रामासामी एचयूएफ	AAFHK 8438P	2014 -15	यह प्रस्तुत किया जाता है कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई गलती को अधिनियम की धारा 154 के तहत

		दूर					एक आदेश पारित करके सुधारा गया था।
28	तमिल नाडु	पीसी आईटी 1, त्रिची	सर्कल 1, त्रिची	जी. ज्योति महालिंगम	ADOPJ 6984B	2013 -14	आईटीडी में इसे प्रभावी करते हुए, 3,74,366/- रुपये की कृषि आय को अस्वीकृत कर दिया गया था, अस्वीकरण के बजाय, कृषि आय में वृद्धि की गई थी। अब, इसे ठीक कर दिया गया है और 3,74,366/- रुपये की कृषि आय अस्वीकृत कर दी गई है और इसे अन्य स्रोतों की आय में जोड़ा गया है।
29	तमिल नाडु	सीआई टी1, मदुरै	वार्ड 1, डिडिगुल	मेसर्स आयकुडी एग्रो फार्म्स	AARFA 0239N	2013 -14	धारा (3)143के तहत निर्धारण आदेश में न्यूनतम रूप से पूरा किया गया और बौद्ध में सिस्टम में दर्ज किया गया। यद्यपि कृषि आय को आईटीडी में गलती से दर्ज किया गया था, न्यूनतम गणना, और सिस्टम द्वारा गणना किए गए कर के बीच कर मात्रा में कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए गलती पर किसी का ध्यान नहीं गया और यह केवल एक अनजान में हुई त्रुटि है जिसको कोई राजस्व प्रभाव नहीं है। सिस्टम में धारा के तहत दीक्षा 154 कार्रवाई द्वारा कृषि आय के संबंध में डेटा प्रविष्टि त्रुटि को सुधारा गया था।
30	तमिल नाडु	पीसी आईटी 1, त्रिची	सर्कल 2, त्रिची	श्री वी. गुनासेकर	AEZPG 8153R	2013 -14	निर्धारित आय की विवरणी में 19,76,550/- रुपये की कृषि आय घोषित की। कृषि आय के प्रमाण के रूप में, निर्धारित ने ग्राम प्रशासनिक कार्यालय से कृषि भूमि की

								सीमा और कृषि आय के संबंध में एक प्रमाण पत्र दाखिल किया है। भूमि की सीमा 8.8 हेक्टेयर है। यह अत्यधिक संदिग्ध है कि निर्धारिती को 8.8 हेक्टेयर से 19.76 लाख रुपये की कृषि आय होगी। निर्धारिती ने कृषि आय की शुद्धता के संबंध में कोई अन्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। इन परिस्थितियों में, एओ ने कृषि आय को 9,76,550/- रुपये तक सीमित कर दिया है और शेष 10,00,000/- रुपए का व्यवसाय आय के रूप में निर्धारण किया है। उसे ठीक कर दिया गया है।
31	तमिल नाडु	पीसी आईटी -3, कोयंबटूर	सर्कल तिरुपुर	-1,	आर.सुब्रमण्यन	ADQPS 5927D	2014 -15	यह प्रस्तुत किया जाता है कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई गलती को अधिनियम की धारा के तहत 154 एकआदेश पारित करके सुधारा गया था।
32	उत्तर प्रदेश	पीसी आईटी, अलीगढ़			श्री अबदेश कुमार सिंह	AGKPS 8319L	2014 -15	विचाराधीन वर्ष के दौरान, निर्धारिती को व्यवसाय और पेशे से आय, वेतन से आय, किराया और ब्याज आय के साथ-साथ कृषि आय भी प्राप्त हुई। निर्धारिती ने 82,84,191/- रुपये की कुल कृषि प्राप्तियों का दावा किया है। 22,40,191/- रुपए किए कृषि व्यय को कम करने के बाद, 40,44,000/- रुपए की शुद्ध कृषि आय दर्शाई गई है। चर्चा के बाद निर्धारिती ने स्वयं कम कृषि व्यय



						<p>के कारण 2,00,000/- रुपये की अतिरिक्त पेशकश की। इस प्रकार निर्धारिती द्वारा घोषित कृषि आय में से 2,00,000/- रुपये कम हो गए हैं, इस राशि को अन्य स्रोत से आय माना गया है और इसे एएसटी डेटाबेस पर आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत पारित सीएसएस निर्धारण आदेश दिनांक 14.09.2016 के द्वारा निर्धारिती की कैल आय में वापस जोड़ा गया है। तब शुद्ध कृषि आय की गणना 38,44,000/- (40,44,000- 2,00,000) रुपए हुई थी लेकिन गलती से, एएसटी डेटाबेस पर मामले की गणना करते समय एओ द्वारा किए गए जोड़ के कॉलम में गलती से (-)2,00,000/- के स्थान पर 38,44,000/- की प्रतिष्ठी की गई थी। इस डेटा प्रतिष्ठी त्रुटि के कारण, शुद्ध कृषि आय में गलती से 40,44,000/- की वृद्धि हुई और कुल कृषि आय 38,44,000/- रुपए के बजाए 78,88,000/- रुपए दर्शाई गई। वर्तमान समय में, इस मामले में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष धारा 153क के तहत कार्यवाही जारी है। गलती को नोट कर लिया गया है और अधोहस्ताक्षरी द्वारा आईटी अधिनियम, 1961</p>
--	--	--	--	--	--	---

						की धारा 153क के तहत कार्यवाही पूरी करने के दौरान इसे सुधारा जाएगा।
33	उत्तर प्रदेश	पीसी आईटी, अलीगढ़		श्री अरुण कुमार सिंह	AKYPS 5158H	2014 -15
						<p>विचाराधीन वर्ष के दौरान, निर्धारिती को व्यवसाय और पेशे से आय, वेतन से आय, ब्याज आय के साथ-साथ कृषि आय भी प्राप्त हुई। निर्धारिती ने 49,46,079/- रुपये की कुल कृषि प्राप्तियों का दावा किया है। 22,09,279/- रुपए के कृषि व्यय को कम करने के बाद, 27,36,800/- रुपए की शुद्ध कृषि आय दर्शाई गई है। चर्चा के बाद निर्धारिती ने स्वयं कम कृषि व्यय के कारण 1,00,000/- रुपये की अतिरिक्त पेशकश की। इस प्रकार निर्धारिती द्वारा घोषित कृषि आय में से 1,00,000/- रुपये कम हो गए हैं, इस राशि को अन्य स्रोत से आय माना गया है और इसे एएसटी डेटाबेस पर आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत पारित सीएसएस निर्धारण आदेश दिनांक 14.09.2016 के द्वारा निर्धारिती की कुल आय में वापस जोड़ा गया है। तब शुद्ध कृषि आय की गणना 26,36,800/- (27,36,800-1,00,000) रुपए हुई थी लेकिन गैलती से, एएसटी डेटाबेस पर मामले की गणना करते</p>

							<p>समयएओ द्वारा किए गए जोड़ के कॉलम में गलती से (-)1,00,800/- के स्थान पर 26,36,000/- की प्रविष्टि की गई थी। इस डेटा प्रविष्टि त्रुटि के कारण, शुद्ध कृषि आय में गलती से 21,36,800/- की वृद्धि हुई और कुल कृषि आय 26,36,800/- रुपये के बजाए 53,73,600/- रुपये दर्शाई गई है।</p> <p>वर्तमान समय में, इस मामले में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष धारा 153क के तहत कार्यवाही जारी है। गलती को नोट कर लिया गया है और अधोहस्ताक्षरी द्वारा आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 153क के तहत कार्यवाही पूरी करने के दौरान इसे सुधारा जाएगा।</p>
34	उत्तर प्रदेश	पीसी आईटी, अलीगढ़		श्री राशिद जमाल सिद्दीकी	ADBPS 5750M	2013 -14	<p>इस मामले में निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारण आदेश तत्कालीन ए.ओ., सर्कल- 4 (2) 1, फर्रुखाबाद द्वारा 27/01/2016 को आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 143 (3) के तहत पारित किया गया था (प्रतिलिपि संलग्न)। 34,01,850/- रुपये की विवरणित आय में 20,98,613/-</p>

							<p>रुपए की आय के 10% की अस्वीकृति के कारण 85,021/- रुपए जोड़े गए जिससे 34,86,871/- रुपए की निर्धारित आय दर्शाई गई। इसके अतिरिक्त, कार्यालय नोट नोटिंग के अनुसार सम्बंधित निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि आय को 20,98,613/- रुपए की मूलतः घोषित कृषि आय से घटाकर 12,48,400/- रुपये कर दिया गया।</p>
35	उत्तर प्रदेश	पीसी आईटी, लखनऊ	श्रीमती कालरा	रितु	AQPPK 8971K	2014 -15	<p>आईटीडी डेटाबेस में कृषि आय उतनी ही दर्शाती जाती रही जो श्रीमती ऋतु कालरा, पैन-AQPP8971K के मामले में विवरणित थी, इसके बावजूद कि कृषि आय कुछ तकनीकी खराबी के कारण 5,31,500/- के स्थान पर 3,98,625/- रुपये पर निर्धारित की गई थी। उक्त गलती को आईटी अधिनियम की धारा 154 के तहत दिनांक 30-11-2014 के आदेश के द्वारा सही निर्धारित कृषि आय दर्शाते हुए सुधारा गया है। अभिलेखों की जांच के बाद, यह पाया गया है कि धारा 143(3) के तहत</p>

							आदेश पारित करते समय आईटीडी सॉफ्टवेयर ने गलती से निर्धारित आय की गणना 5,31,500/- रुपए की कृषि आय के साथ 2,78,780/- रुपए की। हालांकि, त्रुटि को आईटी अधिनियम की धारा 154 के तहत 3,98,625/- रुपए की शब्द कृषि आय के साथ 2,78,775/- रुपए की कुल आय का निर्धारण करते हुए सुधारा गया है।
36	पश्चिम बंगाल	पीसी आईटी -2	डीसीआईटी, सर्कल 4(1), कोलकाता	चोइबारी टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	AABCC 2195G	2013 -14	आईटी अधिनियम की धारा के 154 तहत सुधार के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई ही की जा चुकी पहले है
37	पश्चिम बंगाल	पीसी आईटी -2	डीसीआईटी, सर्कल 4(1), कोलकाता	चोइबारी टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	AABCC 2195G	2012 -13	आईटी अधिनियम की धारा के 154 तहत सुधार के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है
38	पश्चिम बंगाल	पीसी आईटी -2	डीसीआईटी, सर्कल 4(1), कोलकाता	बिजनी इअर्स टी कंपनी लिमिटेड	AABCB 1013E	2014 -15	आईटी अधिनियम की धारा के 154 तहत सुधार के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है
39	पश्चिम बंगाल	पीसी आईटी -2	डीसीआईटी, सर्कल 4(1), कोलकाता	ईस्टर्न इअर्स टी कंपनी लिमिटेड	AAACE 5759K	2013 -14	आईटी अधिनियम की धारा के 154 तहत सुधार के

							माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है
40	पश्चिम बंगाल	पीसी आईटी -2	डीसीआईटी, सर्कल 4(1), कोलकाता	चेंगमारी टी कंपनी लिमिटेड	AABCC 0672Q	2012 -13	आईटी अधिनियम की धारा के 154 तहत सुधार के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है
41	पश्चिम बंगाल	पीसी आईटी -2	एसी, सर्कल 4(1), कोलकाता	बोर्फुकन टी कंपनी लिमिटेड	AABCB 9038K	2014 -15	निर्धारण आदेश दिनांक 29.11.2016 को अधिनियम की धारा 154 के तहत पहले ही संशोधित कर दिया गया था और निर्धारण अधिकारी द्वारा "कृषि आय" को 55,76,367/- रुपए पर सही कर दिया था।
42	केरल	पीसी आईटी, कोझी कोड	आईटीओ वार्ड 2, कलपेट्टा	अयूब खान इब्राहिमकुट्टी	AACPE 4851H	2014 -15	एओ ने गलत दर्ज की गई कृषि आय को सुधारा और आईटीडी एप्लीकेशन डेटाबेस में कृषि आय को सही किया।
43	केरल	पीसी आईटी, कोच्चि	एसीआईटी गैर कॉर्प सर्कल 1(1), कोच्चि	जॉर्ज अलेक्जेंडर	AFQPA 9432B	2014 -15	निर्धारिती ने विवाद से विश्वास योजना का विकल्प चुना है। नतीजतन, प्रधान

							सीआईटी ने 20-01-2021 को फॉर्म-5 जारी किया है।
44	केरल	पीसी आईटी, कोड़ी कोड	एसीआईटी, सर्कल 1(1), कोड़ीकोड	चोलयिल करुणाकरण नायर (पी. विलासिनियम्मा)	ABKPN 6257H	2013 -14	एओ ने आईटीडी में कृषि आय को 20,80,353/- रुपए से बदलकर 18,20,350/- रुपए करने के आदेश में सुधार किया
45	केरल	पीसी आईटी, कोड़ी कोड	एसीआईटी, सर्कल 1(1), कोड़ीकोड	कट्टिवेटिल थॉमस जोसेफ	ACMPJ 9563B	2012 -13	एओ ने आईटीडी में कृषि आय को 25,91,260/- रुपए से बदलकर 20,91,260/- रुपए करने के आदेश में सुधार किया
46	केरल	पीसी आईटी, कोड़ी कोड	एसीआईटी, सर्कल 1(1), कोड़ीकोड	चेरियाथ ताहिर पदिकालेंडी	AEVPP 0865K	2012 -13	निर्धारिती ने 29-11-2018 को समाधान आयोग से संपर्क किया। समाधान आयोग का आदेश दिनांक 04-09-2020 को प्रभावी किया गया। अतः आरएपी द्वारा उठाई गई आपत्ति समाधान आयोग के आदेश में समाहित हो गई और अंतिम हो गई है।
47	केरल	पीसी	एसीआईटी	न्यूभारत स्टोन	AAFFN	2012	एओ ने निर्धारण

		आईटी, कोड़ी कोड	सर्किल कन्नुर	1,	क्रशर एंड हॉलो ब्रिक्स	5267M	-13	आदेश और आईटीडी डेटाबेस में अनुमत छूट के बीच कृषि आय के बेमेल को सुधारा।
48	केरल	पीसी आईटी, कोड़ी कोड	आईटीओ वार्ड 2, कलपेष्टा		मथाई सेबेस्टियन कदलाकट्टी	BPQPS 7263K	2014 -15	एओ ने गलत दर्ज की गई कृषि आय को सुधारा और आईटीडी एप्लीकेशन डेटाबेस में कृषि आय को सही किया।

25. एकरूपता नहीं होने संबंधी त्रुटियों को हटाने और आईटीडी डेटाबेस में उल्लिखित मूल्यांकन आदेश में कृषि आय के संबंध में दी गई छूट को सुनिश्चित करने हेतु की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"फिलहाल, कर योग्य आय की गणना करने के लिए परिवर्धन/अस्वीकृति करते समय एओ द्वारा अधिक विस्तृत और व्यापक दृष्टिकोण का पालन किया जाना अपेक्षित है: - अब एओ सीधे आय गणना स्क्रीन में बदलाव करने में असक्षम है। एओ को आय गणना स्क्रीन में प्रदान की गई विभिन्न अनुसूचियों में परिवर्धन/अस्वीकृति करनी पड़ती है। आय संगणना बटन सबमिट करने पर विभिन्न अनुसूचियों में निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्तनों के आधार पर, सॉफ्टवेयर संशोधित किए गए विभिन्न शीर्षों में आय की गणना करता है तथा संबंधित कटौती/छूट/राहत/समायोजन के लाभ की अनुमति देता है और कर योग्य आय एवं उस पर कर का निर्धारण करता है। इस प्रकार, इस सॉफ्टवेयर में, विभाग की प्रणालियों में डेटा निर्धारण कार्यवाही में निर्धारित कृषि आय का डेटा दिखाएगा। निर्धारिती या उसके प्रतिनिधि के साथ इंटरफेस को कम करने के लिए, निर्धारण प्रक्रिया को डिजीटलीकृत किया गया है और इसे ई-निर्धारण के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसके अलावा, घोषित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्धारण वर्ष 2018-19 से ई-निर्धारण योजना 2019 को पहले ही क्रियान्वित किया जा चुका है। "

26. यह पूछे जाने पर कि क्या आयकर डेटा बेस के समुचित रखरखाव के लिए एक प्रणालीबद्ध और एक समान डेटा एंट्री मानक सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रशिक्षण दिया गया है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:



"आईटीबीए अनुप्रयोग, (आईटीआर के प्रावधानों और नियमों के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए फ़्रील्ड उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जा रहे सॉफ़्टवेयर का वर्तमान रूप होने के नाते), आईटीआर और गैर-आईटीआर डेटा को ई-फाइलिंग पोर्टल से अपने डेटाबेस में लाता है। बदले में, ई-फाइलिंग करदाता द्वारा दर्ज किए गए आईटीआर और गैर-आईटीआर डेटा का विभिन्न रूपों में ऑनलाइन भंडारण करता है। यह डेटा उपयोगकर्ता को आईटीबीए पर कार्य करते समय दिखाया जाता है। आईटीबीए अपने आप उक्त डेटा में कोई बदलाव नहीं करता, सिवाय कानून की कार्यवाही के दौरान, एओ आईटीबीए में मौजूद डेटा (जो मूल रूप से ई-फाइलिंग पोर्टल से प्राप्त किया गया था) को अपने निष्कर्षों के अनुसार संशोधित कर सकता है। आईटीबीए टीम विभिन्न कार्यक्षमताओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है जो आईटीबीए पर उपलब्ध हैं। दूसरे शब्दों में, जब भी कोई नई कार्यक्षमता शुरू की जाती है, उक्त कार्यक्षमता के उपयोग के लिए निर्देश, उक्त कार्यक्षमता के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका, ट्यूटोरियल आदि जारी किए जाते हैं और प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है। कोई कार्यक्षमता शुरू हो जाने के बाद, पूरी प्रक्रिया स्वचालित हो जाती है, हालांकि, आईटीबीए टीम द्वारा डेटा प्रविष्टि से संबन्धित कोई विशिष्ट प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं कराया जाता। "

27. यह पूछे जाने पर कि क्या विभाग ने इस तरह के असमानता के मामलों की पहचान करने के लिए सभी आयुक्तालयों में शेष मामलों की जाँच की है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"2019 की सीएंडएजी रिपोर्ट 09 के अवलोकन से पता चलता है कि पैरा 5.9.3 के अनुसार लेखापरीक्षा ने विभिन्न राज्यों से संबंधित 48 मामलों को सूचीबद्ध किया, जिनमें आईटीडी डेटाबेस में गलत प्रतिबिम्बित त्रुटियों को इंगित किया गया था। हालांकि, इस तरह के किसी अन्य मामले का कोई और विवरण या तो उक्त रिपोर्ट में या अलग से सीबीडीटी को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा, यह मान्य है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्थानीय लेखापरीक्षा इकाइयों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय डिवीजनों को बताई गई ऐसी किसी भी विसंगति का संज्ञान लिया गया होगा, और मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित सूचना सीएंडएजी की स्थानीय लेखापरीक्षा इकाइयों को तदनुसार दी गई होगी।"

28. कृषि आय की गलत रिपोर्टिंग और निर्धारिता को छूट की अनुमति के जोखिम का पता लगाने के लिए किसी भी व्यवस्थित जांच के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में, निम्नवत बताया:

“एक सीमा से अधिक कृषि आय वाले मामलों के चयन के लिए सीएएसएस में परिदृश्यों को शामिल किया गया है। मामलों के चयन को और बेहतर बनाने के लिए और उचित दस्तावेज और सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए, यदि वर्ष में शुद्ध कृषि आय 5 लाख रुपए से अधिक है तो विस्तृत विवरण (जैसे पिन कोड के साथ जिले का नाम जिसमें कृषि भूमि स्थित है, कृषि भूमि का एकड़ में माप, कृषि भूमि स्वामित्व वाली/पट्टे पर है, वह सिंचित/वर्षा सिंचित है) को कैप्चर करने के लिए निर्धारण वर्ष 2019-20 से आईटीआर में छूट प्राप्त आय के ब्यौरे अधिक विकसित किए गए हैं। सीबीडीटी ने फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2019 (योजना) तैयार की है, जिसे वर्तमान में अधिनियम में धारा 144ख के तौर पर 01.04.2021 से शामिल किया गया है। टीम आधारित निर्धारण प्रक्रिया जहां निर्धारण इकाई सत्यापन इकाई द्वारा सत्यापन का अनुरोध कर सकती है और तकनीकी इकाई से तकनीकी सहायता मांग सकती है, उचित जांच और जांच सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। इस योजना के तहत समीक्षा की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है ताकि पारित निर्धारण आदेशों में ऐसी कोई त्रुटि न हो। हालांकि, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से, निर्धारण आदेश अनिवार्य रूप से आयकर व्यवसाय अनुप्रयोग (आईटीबीए) नामक एक नए सॉफ्टवेयर में पास किए जाते हैं। विरासती एएसटी प्रणालियों से आईटीबीए में निर्धारण आदेश पारित करने के दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर है। आईटीबीए में, कर योग्य आय की गणना करने के लिए परिवर्धन/अस्वीकृति करते समय एओ द्वारा अधिक विस्तृत और व्यापक दृष्टिकोण का पालन किया जाना अपेक्षित है: - अब एओ सीधे आय गणना स्क्रीन में बदलाव करने में असक्षम है। एओ को आय गणना स्क्रीन में प्रदान की गई विभिन्न अनुसूचियों में परिवर्धन/अस्वीकृति करनी पड़ती है। आय संगणना बटन सबमिट करने पर विभिन्न अनुसूचियों में निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्तनों के आधार पर, सॉफ्टवेयर संशोधित किए गए विभिन्न शीर्षों में आय की गणना करता है तथा संबंधित कटौती/छूट/राहत/समायोजन के लाभ की अनुमति देता है और कर योग्य आय एवं उस पर कर का निर्धारण करता है। इस प्रकार, इस सॉफ्टवेयर में, विभाग की प्रणालियों में डेटा निर्धारण कार्यवाही में निर्धारित कृषि आय का डेटा दिखाएगा।”

(ग) विभाग द्वारा जांच की स्थिति (5.9.4)

29. लेखा परीक्षा ने पाया कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में फाइल किए गए जनहित याचिका (पीआईएल), जिसमें मुद्दे उठाए गए थे कि कुछ निर्धारिती न केवल अपने बेहिसाबी/अवैध धन की कृषि आय के रूप में रूटिंग में लिप्त हो सकते हैं अपितु धन शोधन कार्यकलापों में भी लिप्त हो सकते हैं, के आधार पर आय कर विभाग ने उन मामलों की विवरणियों की जांच की कार्यवाही शुरू की थी जहां निर्धारितियों की 1 करोड़ से अधिक की विवरणी आय कृषि से संबंधित है। माननीय पटना उच्च न्यायालय को तथ्यात्मक सांख्यिकी प्रस्तुत करने के लिए आयकर निदेशालय (प्रणाली) ने सभी पीसीसीआईटी/सीसीआईटी (सीसीए) को पहलुओं, जैसा कि क्या करदाताओं से विवरणी फाइल करते समय डाटा प्रविष्टि में त्रुटि हुई थी, की जांच के पश्चात डीजीआईटी को स्थिति रिपोर्ट भेजने का अनुरोध दिया था। उन मामलों में जहां संवीक्षा निर्धारण पूरा हो गया है, वह एओ को निर्धारण अभिलेखों के आधार पर प्रतिपुष्टि उपलब्ध करानी थी। जहां धारा 143 (3) के अंतर्गत कार्यवाहियां लंबित थी वहां एओ को दावे की अच्छी तरह से जांच करनी थी। डीजीआईटी (प्रणाली) ने निर्धारण वर्षों 2007-08 से 2014-15 की आयकर विवरणियों में 1 करोड़ से अधिक की कृषि आय दर्शाने वाले 2746 मामलों को चिन्हित किया और एओज को ऐसी आयकर विवरणियों में कृषि आय पर छूट के दावे की जांच करने के लिए निर्देश दिया तथा ऐसे मामलों की स्थिति रिपोर्ट मांगी। लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 136 पीसीआईटी डीजीआईटी को प्रणाली प्रस्तुत की गई थी, जिनकी स्थिति रिपोर्ट मांगी गई थी, दस राज्यों में से केवल 26 पीसीआईटी ने लेखापरीक्षा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। बिहार एवं झारखंड, गुजरात, राजस्थान, केरल, पूर्वोत्तर क्षेत्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में 327 मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई स्थिति रिपोर्ट, जैसे डीजीआईटी (प्रणाली) को भेजी गई थी, के अनुसार मामलों में निर्धारिती द्वारा फाइल की गई आईटीआर और एएसटी प्रणाली 36 में दर्ज राशि के अनुसार कृषि आय की राशि में अंतर डाटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण था।

30. यह भी देखा गया कि चूंकि ऊपर दी गई डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ दस राज्यों में केवल कुछ चयनित आयुक्तालयों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित हैं और डीएसजीआईटी (सिस्टम) को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए चयनित सभी आयुक्तालयों में सुनिश्चित नहीं किया जा सका, ₹ 1 करोड़ से अधिक के कृषि आय दावों के लिए एएसटी डेटाबेस में कृषि आय में डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के संबंध में सुधार की स्थिति सत्यापित नहीं की जा सकी। जैसा कि लेखापरीक्षा में देखा गया, 36 मामलों में से 12 मामलों में डाटा एंटी त्रुटियों को विभाग द्वारा चिन्हित किए जाने के बावजूद अभी तक ठीक नहीं किया गया था। इस प्रकार, निर्धारिती द्वारा लौटाई गई कृषि आय की तुलना में एएसटी

डेटाबेस की शुद्धता को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। डेटाबेस में त्रुटियां दोहरा जोखिम दर्शाती हैं: एक ओर कर की हानि, और दूसरी ओर करदाता का उत्पीड़न।

31. जब लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 36 मामलों में से प्रत्येक में विभाग द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों की स्थिति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

पैरा संख्या 5.9.4 - डीजीआईटी (सिस्टम) को प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट में रिपोर्ट की गई डाटा एंटी त्रुटियां

क्रम संख्या	पीसीआईटी प्रकार	निर्धारित का नाम	पैन	कर निर्धारण वर्ष	स्थिति
1	पीसीआईटी इलाहाबाद	मधु शुक्ला	CQZPS5305K	2010-11	आईटीआर के अनुसार कृषि आय 45,000/- रुपए है। विभाग द्वारा आईटीएस/एएसटी में दर्ज की गई कृषि आय 4,50,00,450/- रुपए है। दिनांक 18.06.2020 को संशोधन किया गया
2	पीसीआईटी इलाहाबाद	राज कुमार सिंह	BQBPS7557J	2010-11	आईटीआर के अनुसार कृषि आय 58500/- रुपए है। विभाग द्वारा आईटीएस/एएसटी में दर्ज की गई कृषि आय 5,85,00,585/- रुपए है। दिनांक 18.06.2020 को संशोधन किया गया
3	पीसीआईटी इलाहाबाद	दिव्या सिंह	CABPS3236D	2010-11	आईटीआर के अनुसार कृषि आय 30000/- रुपए है। विभाग द्वारा आईटीएस/एएसटी में दर्ज की गई कृषि आय 3,00,00,30,000/- रुपए है। दिनांक 18.06.2020 को संशोधन किया गया
4	पीसीआईटी इलाहाबाद	पपेन्द्र सिंह	AUJPS5691Q	2008-09	आईटीआर के अनुसार कृषि आय शून्य रुपए है। विभाग द्वारा आईटीएस/एएसटी में दर्ज की गई कृषि आय 1,02,74,780/- रुपए है। दिनांक 18.06.2020 को संशोधन किया गया
5	पीसीआईटी इलाहाबाद	पुष्पा सिंह	AWDPS3119D	2008-09	आईटीआर के अनुसार कृषि आय शून्य रुपए है। विभाग द्वारा आईटीएस/एएसटी में दर्ज की गई कृषि आय 16,40,700/- रुपए है। दिनांक 18.06.2020 को संशोधन किया गया
6	पीसीआईटी	प्रदीप	AGLPR8786R	2008-	आईटीआर के अनुसार कृषि आय शून्य रुपए है।

	इलाहाबाद	कुमार ए.के.		09	विभाग द्वारा आईटीएस/एएसटी में दर्ज की गई कृषि आय 10274175/- रुपए है। कृषि आय में सुधार 18.06.2020 को किया गया।
7	पीसीआईटी बिहार और झारखंड	भवन सिंह	BRDPS0418K	2010- 11	आईटीआर के अनुसार कृषि आय 22,500/- रुपए है। विभाग द्वारा आईटीएस/एएसटी में दर्ज की गई कृषि आय 22,50,02,65,947/- रुपए है। सुधार की तिथि 11.03.2013 है।
8	पीसीआईटी बिहार और झारखंड	राम शंकर सिंह	BDMPS9590R	2009- 10	आईटीआर के अनुसार कृषि आय 26,300/- रुपए है। विभाग द्वारा आईटीएस/एएसटी में दर्ज की गई कृषि आय 2,63,00,96,170/- रुपए है। सुधार की तिथि 06.04.2016 है।
9	पीसीआईटी बिहार और झारखंड	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	AAHHR9157A	2008- 09	आईटीआर के अनुसार कृषि आय 1,25,000/- रुपए है। विभाग द्वारा आईटीएस/एएसटी में दर्ज की गई कृषि आय 12,50,00,33,600/- रुपए है। सुधार करने की तारीख 22.03.2016 है।
10	पीसीआईटी बिहार और झारखंड	रामअयोध्या प्रसाद	BEEPP3132C	2010- 11	आईटीआर के अनुसार कृषि आय 65,000/- रुपए है। विभाग द्वारा आईटीएस/एएसटी में दर्ज की गई कृषि आय 8,00,00,262/- रुपए है। सुधार करने की तारीख 22.03.2016 है।
11	पीसीआईटी बिहार और झारखंड	अरिंदम शाही	AAGHA1527F	2009- 10	आईटीआर के अनुसार कृषि आय 4,50,000/- रुपए है। विभाग द्वारा आईटीएस/एएसटी में दर्ज की गई कृषि आय 45,00,00,23,100/- रुपए है। सुधार करने की तारीख 22.03.2016 है।
12	पीसीआईटी बिहार और झारखंड	प्रमोद कुमार अग्रवाल	AACHP3574Q	2010- 11	आईटीआर के अनुसार कृषि आय 43,400/- रुपए है। विभाग द्वारा आईटीएस/एएसटी में दर्ज की गई कृषि आय 4,34,00,262/- रुपए है। सुधार करने की तारीख 22.03.2016 है।
13	पीसीआईटी बिहार और झारखंड	मनोज प्रसाद	ASAPP5663Q	2010- 11	आईटीआर के अनुसार कृषि आय 60,000/- रुपए है। विभाग द्वारा आईटीएस/एएसटी में दर्ज की गई कृषि आय 6,00,00,15,060/- रुपए है। सुधार करने की तारीख 22.03.2016 है।
14	पीसीआईटी बिहार और झारखंड	ललिता देवी	ACKPD1599B	2010- 11	आईटीआर के अनुसार कृषि आय 1,74,900/- रुपए है। विभाग द्वारा आईटीएस/एएसटी में दर्ज की गई कृषि आय 17,49,00,12,100/- रुपए है।

					संशोधन की तिथि 29.01.2014 है।
15	पीसीआईटी बिहार और झारखंड	लाल बाबू शर्मा	BBZPS2320E	2010- 11	आईटीआर के अनुसार कृषि आय 1,80,000/- रुपए है। विभाग द्वारा आईटीएस/एसटी में दर्ज की गई कृषि आय 18,00,00,06,0,000/- रुपए है। सुधार करने की तारीख 29.01.2014 है
16	पीसीआईटी बिहार और झारखंड	रामेश्वर सिंह	BAIPS6989R	2010- 11	आईटीआर के अनुसार कृषि आय 2,60,500/- रुपए है। विभाग द्वारा आईटीएस/एसटी में दर्ज की गई कृषि आय 105000155/- रुपए है। सुधार करने की तारीख 22.03.2016 है
17	पीसीआईटी बिहार और झारखंड	अर्जुन सोनी	DGSPS3308N	2011- 12	आईटीआर के अनुसार कृषि आय 34,000/- रुपए है। विभाग द्वारा आईटीएस/एसटी में दर्ज की गई कृषि आय 3,40,00,151/- रुपए है। सुधार करने की तारीख 22.03.2016 है
18	पीसीआईटी बिहार और झारखंड	राज कुमार सोमानी	AAEJR5919K	2011- 12	आईटीआर के अनुसार कृषि आय 32,400/- रुपए है। विभाग द्वारा आईटीएस/एसटी में दर्ज की गई कृषि आय 32,40,07,708/- रुपए है। सुधार करने की तारीख 22.03.2016 है
19	पीसीआईटी बिहार और झारखंड	विजय कुमार तिवारी	ADHPT2918C	2011- 12	आईटीआर के अनुसार कृषि आय 42,000/- रुपए है। विभाग द्वारा आईटीएस/एसटी में दर्ज की गई कृषि आय 4,20,00,520/- रुपए है। सुधार की तिथि 22.03.2016 है।
20	पीसीआईटी बिहार और झारखंड	अवध हजरा	AEYPH8764N	2011- 12	आईटीआर के अनुसार कृषि आय 50,200/- रुपए है। विभाग द्वारा आईटीएस/एसटी में दर्ज की गई कृषि आय 50,20,01,54,093/- रुपए है। सुधार करने की तारीख 22.03.2016 है
21	प्रधान सीआईटी- 3, जयपुर	शारदा देवी पांडिया	AWPPP5742D	2013- 14	इस मामले में, निर्धारिती ने 2,68,632/- रुपए की सही आय के बजाए 2,30,27,645/- रुपये की गलत कृषि आय दिखाते हुए अपना रिटर्न दाखिल किया। निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान एओ द्वारा इस मुद्दे की जांच की गई और निर्धारिती द्वारा आईटीआर में दिखाई गई 2,30,27,645/- रुपये की कृषि आय को 18.01.2016 को धारा 143(3) के तहत

					निर्धारण आदेश पारित करते समय 2,68,632/- रुपए पर सही किया गया है।
22	प्रधान सीआईटी- 1, जयपुर	आभा प्रेसिजन प्रा. लिमिटेड	AAECA1136G	2012- 13	विवरण के अवलोकन पर, यह पाया गया है कि आय की विवरणी में निर्धारिती ने 8,26,19,934/- रुपये की कृषि आय दिखाई थी। हालांकि, कुल आय की गणना के साथ-साथ लाभ और हानि खाते में ऐसी कोई आय घोषित नहीं की गई थी। निर्धारिती का मामला आई.टी.अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत दिनांक 25.03.2015 को पूरा किया गया था। निर्धारण कार्यवाही के दौरान, निर्धारिती ने यह कहते हुए उत्तर भी दाखिल किया कि उसके द्वारा कोई कृषि आय अर्जित नहीं की गई थी, लेकिन संबन्धित धनराशि कृषि भूमि की बिक्री से संबंधित है न कि वर्ष 2012-13 के दौरान कृषि आय से। निर्धारिती द्वारा बताए गए तथ्यों के सत्यापन के बाद, निर्धारिती के उत्तर को वास्तविक मानते हुए, निर्धारिती के मामले को धारा 143(3) के तहत पूरा किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारिती कंपनी ने आय की विवरणी में कृषि आय के फील्ड को भरते समय अनजाने में डेटा प्रविष्टि संबंधी त्रुटि की।
23	प्रधान सीआईटी- 1, जयपुर	राजस्थान एजेंसी प्रा. लिमिटेड	AAACR7504F	2012- 13	इस मामले में धारा 254(एस.ए.)/143(3) के तहत 20.12.2018 को 2,01,89,600/- रुपए की कुल आय पर निर्धारण, 59,33,810/- रुपए की मांग उठाते हुए, शून्य रुपए की कृषि आय पर पारित किया गया लेकिन गणना पत्रक में गलती से कृषि आय 1,89,24,521/- रुपए दर्शाई गई। प्रविष्टि एक टंकण त्रुटि थी।
24	प्रधान सीआईटी-	सुरुचि पुनिया	AORPP5114M	2009- 10	शून्य रुपये की कुल आय की घोषणा करते हुए 12.06.2009 को आरओआई दायर किया गया

1, जयपुर			<p>था, जिसमें निर्धारिती ने 1,45,00,000/- रुपये की शुद्ध कृषि आय दिखाई है तथा इसे 24.11.2009 को संसाधित किया गया जिससे शून्य रुपये की मांग बनी। इसके बाद, निर्धारिती ने शून्य रुपये की कुल आय पर 31.03.2010 को संशोधित आरओआई दायर किया, जिसमें निर्धारिती ने सुधारी गई 1,45,00,000/- रुपये की शुद्ध कृषि आय दिखाई है तथा इसे 14.05.2010 को धारा 143(1) के तहत संसाधित किया गया जिससे शून्य रुपये की मांग बनी। इसके अलावा, इस मामले में धारा 143(3) के तहत 29.11.2011 को कुल शून्य रुपए की आय पर निर्धारण पूरा किया गया जिससे शून्य रुपए की मांग बनी जिसमें कृषि आय 1,45,000/- रुपये पर निर्धारित की गई थी।</p>												
25 प्रधान सीआईटी- 1, जयपुर	सीता राम माली	ANJPM1315N	<p>2010-11</p> <p>निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए आरओआई एएसटी से डाउनलोड किया गया था, जिसमें उन्होंने 57,20,62,10,912/- रुपये की कृषि आय दिखाई है, जो कल्पना की सीमा से बहुत परे है और यह टाठी नहीं हो सकता क्योंकि निर्धारण वर्ष 2008-09 से 2012-13 (एएसटी के अनुसार) के लिए निर्धारिती की कुल आय और कृषि आय संबंधी तुलनात्मक चार्ट निम्नानुसार है: -</p> <table border="1" data-bbox="890 1496 1401 1899"> <thead> <tr> <th>निर्धारण वर्ष</th> <th>कुल आय</th> <th>कृषि आय</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008-09</td> <td>108920</td> <td>48415</td> </tr> <tr> <td>2009-10</td> <td>149930</td> <td>50264</td> </tr> <tr> <td>2010-11</td> <td>159660</td> <td>57206210912</td> </tr> </tbody> </table>	निर्धारण वर्ष	कुल आय	कृषि आय	2008-09	108920	48415	2009-10	149930	50264	2010-11	159660	57206210912
निर्धारण वर्ष	कुल आय	कृषि आय													
2008-09	108920	48415													
2009-10	149930	50264													
2010-11	159660	57206210912													



					<table border="1"> <tr> <td>2011-12</td> <td>159857</td> <td>शून्य</td> </tr> <tr> <td>2012-13</td> <td>179563</td> <td>शून्य</td> </tr> </table> <p>उपरोक्त चर्ट से यह स्पष्ट है कि आईटीआर में दर्शाई गई 57,20,62,10,912/- रुपए की कृषि आय सही नहीं हो सकती क्योंकि तुरंत पहले के दो वर्षों की कृषि आय 48,415/- रुपए एवं 50,264/- रुपए थी तथा अगले दो वर्ष में शून्य आय है। इसलिए, विवरणी भरते समय डेटा प्रविष्टि त्रुटि प्रतीत होती है।</p>	2011-12	159857	शून्य	2012-13	179563	शून्य
2011-12	159857	शून्य									
2012-13	179563	शून्य									
26	पीसीआईटी-1, जोधपुर	अर्जुन सिंह भाकर	AICPB0059N	2009-10	<p>इस मामले में एओ ने सूचित किया है कि निर्धारिती की कर निर्धारण वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 की आईटीआर की जांच करने पर पय पाया गया कि निर्धारिती ने यह आईटीआर निर्धारण वर्ष 2009-10 (आईटीआर-1) के लिए दायर की थी जिसमें वेतन शीर्ष के अंतर्गत कुल आय 1,49,860/- रुपए घोषित की गई थी। उसने आगे सूचित किया कि कुल आय और कृषि आय के सम्बंध में एएसटी पर डेटा लोड करते समय लिपीकिय गलती के कारण कॉलम 6 - शुद्ध कृषि आय, में कुल विवरणित आय के आंकड़े अर्थात 1,49,860/- रुपए दो बार 1,49,86,01,49,860/- रुपए के रूप में टंकित हो गए जबकि निर्धारिती की निर्धारण वर्ष 2009-10 से संगत वित्त वर्ष 2008-09 में कोई कृषि आय नहीं थी।</p>						
27	पीसीआईटी-2, जोधपुर	सत्य नारायण सोनी	AEPPS3130Q	2008-09	<p>इस मामले में एओ ने यह कहते हुए सूचित किया है कि निर्धारिती ने आय की विवरणी में आईटीआर-3 में कृषि आय 4,37,11,220/- रुपए (छूट प्राप्त आय)</p>						

					दर्शाई है। निर्धारण धारा 143(3) के तहत 24.12.2010 को पूरा किया गया। निर्धारण प्रक्रिया के दौरान, यह स्पष्ट किया गया है कि निर्धारिती ने 07.11.2007 को बेची गई कृषि भूमि की बिक्री पर 43,71,220/- रुपए का लाभ अर्जित किया। एओ ने 43,71,00/- रुपए और जोड़े जो कृषि भूमि की बिक्री से लाभ के कारण थे और उसे कारोबारी आय माना। एओ ने यह भी कहा कि आईटीआर में 4,37,11,220/- रुपए की कृषि आय दर्शाई गई थी। इसके अलावा 43,71,200/- रुपए की इस कृषि आय को निर्धारण आदेश में कारोबारी आय के अंतर्गत जोड़ा गया और कृषि आय शून्य रुपए निर्धारित की गई।
28	पीसीआईटी (सी)-2, कोलकाता	कोनकास्ट इस्पात लि.	AAACC9996J	2010-11	इस मामले में, संबंधित एओ [डीसीआईटी, सीसी -3 (3), कोलकाता] और रेंज हेड {जेसीआईटी, सेंट्रल रेंज -3, कोलकाता} ने कहा है कि, कृषि आय को व्यावसायिक आय के रूप में माना गया था और इसे आईटी अधिनियम की धारा 143(3) के तहत किए गए निर्धारण आदेश में दिनांक 22.05.2009 को निर्धारिती की व्यावसायिक आय में वापस जोड़ा गया था।
29	पीसीआईटी (सी)-2, कोलकाता	दनकुनी स्टील लि.	AABCD9406F	2007-08	इस मामले में, संबंधित एओ [डीसीआईटी, सीसी -3 (3), कोलकाता] और रेंज हेड {जेसीआईटी, सेंट्रल रेंज -3, कोलकाता} ने कहा है कि, कृषि आय को व्यावसायिक आय के रूप में माना गया था और इसे आईटी अधिनियम की धारा 143(3) के तहत किए गए निर्धारण आदेश में दिनांक 11.03.2013 को निर्धारिती की व्यावसायिक आय में वापस जोड़ा गया था।
30	पीसीआईटी (सी)-2,	विजयश्री इंडस्ट्रीज	AAACV9938K	2008-09	इस मामले में, संबंधित एओ [एसीआईटी, सीसी -4 (3), कोलकाता] ने कहा है कि, ऑडिट

	कोलकाता	प्रा. लिमिटेड			पार्टी ने 3,91,04,354/- रुपए की छूट प्राप्त आय को कृषि आय के रूप में गलत तरीके से देखा होगा। निर्धारिती ने धारा 139(1) के तहत और साथ ही धारा 153क के तहत नोटिस के अनुपालन में रिटर्न दाखिल किया है। लेकिन, इसने कृषि आय के लिए किसी छूट का दावा नहीं किया। निर्धारिती ने एलटीसीजी के रूप में रु.3,88,84,947/- रुपए का दावा किया है, जिस पर एसटीटी का भुगतान किया गया था और 2,19,407/- रुपए का लाभांश आय के रूप में दावा किया गया था, जिसका कुल 3,91,04,354/- रुपए बनता है। इसलिए, इस मामले में कोई डेटा प्रविष्टि त्रुटि नहीं हुई।
31	पीसीआईटी- 17, कोलकाता	देवनंदन प्रसाद सिंह	BMTPS0876E	2015- 16	भारत सरकार द्वारा कृषि भूमि के अधिग्रहण के कारण निर्धारिती द्वारा मुआवजे के रूप में प्राप्त राशि को गलती से निर्धारण वर्ष 2015-16 की आय की विवरणी में कृषि आय के रूप में दिखाया गया था और इस मुद्दे को दिनांक 16.12.2017 को धारा 143(2) के तहत पारित आदेश द्वारा सही किया गया है। उक्त राशि को धारा 145क के तहत अन्य स्रोतों से आय के रूप में माना गया है।
32	पीसीआईटी- बर्दवान	अरूण कुमार दास	AIZPD9382R	2008- 09	निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए श्री अरूण कुमार दास द्वारा 27-03-2009 को दायर आईटीआर-4 से सिस्टम में डेटा की प्रविष्टि में टाइपिंग त्रुटि थी। निर्धारिती ने कुल आय 105700 /- रुपये और कृषि आय 5000/- रुपए का खुलासा किया। लेकिन कृषि आय सम्बंधी बॉक्स में पहले कृषि आय और फिर कुल आय की प्रविष्टि के परिणामस्वरूप कृषि आय 5000105700/- रुपये दिखाई दे रही थी।  इस मामले को 14.03.2010 को धारा 143(1) के तहत कुल आय शून्य रुपए और कृषि आय

					5000105700/- रुपए पर संसाधित किया गया। बाद में 10-05-2016 को धारा 154 के तहत 105700/- रुपए की कुल आय और 5000/- रुपए की कृषि आय दर्शाते हुए प्रोसेसिंग को सुधारा गया , जिसके परिणामस्वरूप कोई मांग या रिफंड नहीं बना। धारा 143(1) के तहत प्रसंस्करण और धारा 154 के तहत सुधार दोनों के स्क्रीनशॉट एक अनुलग्नक में दिए गए हैं।
33	पीसीआईटी (सी)-1, कोलकाता	ओमप्रकाश अग्रवाल	AERPA2883A	2011-12	इस मामले में 27.02.2014 को धारा 143(3) के तहत जांच निर्धारण के पूरा होने पर, मामले को ठीक कर दिया गया है और आईटीडी मॉड्यूल में निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारिती की कुल आय की गणना पत्रक के अनुसार कृषि आय को शून्य दर्शाया गया है।
34	पीसीआईटी-9, कोलकाता	लक्ष्मण मलिक	AFVPM5847F	2008-09	डाटा बेस के अनुसार उक्त निर्धारण वर्ष में दिनांक 13/09/2021 को सुधार किया गया है।
35	प्रधान सीआईटी, शिलांग	सीएमजे फाउंडेशन	AAATC6117A	2012-13	चूंकि लेखापरीक्षित खातों में रिपोर्ट की गई संपूर्ण कृषि आय को धारा 146(3) के अंतर्गत निर्धारण आदेश में धारा 68 के तहत कर योग्य बनाया गया था और इसे एएसटी सिस्टम में विधिवत अपलोड किया गया था, इसलिए सीएण्डएजी का अवलोकन स्वीकार्य नहीं है।
36	पीसीआईटी, टिब्रूगढ़	असम कंपनी इंडिया लिमिटेड	AAACT7590B	2013-14	निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए मैसर्स असम इंडिया कंपनी लिमिटेड का जांच निर्धारण 30.03.2016 को पूरा किया गया और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (3) के तहत आदेश पारित किया गया।

32. यह पूछे जाने पर कि क्या सुधारात्मक उपाय के रूप में, ऐसे किसी भी मामले में नोटिस जारी किए गए थे जहां डेटा प्रविष्टि त्रुटियों की सूचना दी गई थी, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“उपयुक्त उपचारात्मक आदेश पारित करके सुधारात्मक उपाय किए गए थे। उस के संबंध में वैधानिक रूप से अपेक्षित नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि, अधिकांश मामलों में जहां सुधार आदेश पारित किया गया है, नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं मानी गई है क्योंकि परिणामी उपचारात्मक प्रभाव के कारण निर्धारिती द्वारा देय करों में कमी आई है। “

33. समिति ने पाया कि जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया है, डेटाबेस में त्रुटियां एक तरफ कर के नुकसान का जोखिम और दूसरी तरफ करदाता के उत्पीड़न का जोखिम दर्शाती हैं।

34. इस संदर्भ में यह पूछे जाने पर कि मंत्रालय इस त्रुटि को कैसे दूर करने का प्रस्ताव करता है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया::

“कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से, निर्धारण आदेश अनिवार्य रूप से आयकर व्यवसाय अनुप्रयोग (आईटीबीए) नामक एक नए सॉफ्टवेयर में पास किए जाते हैं। विरासती एएसटी प्रणालियों से आईटीबीए में निर्धारण आदेश पारित करने के दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर है। आईटीबीए में, कर योग्य आय की गणना करने के लिए परिवर्धन/अस्वीकृति करते समय एओ द्वारा अधिक विस्तृत और व्यापक दृष्टिकोण का पालन किया जाना अपेक्षित है: - अब एओ सीधे आय गणना स्क्रीन में बदलाव करने में असक्षम है। एओ को आय गणना स्क्रीन में प्रदान की गई विभिन्न अनुसूचियों में परिवर्धन/अस्वीकृति करनी पड़ती है। आय संगणना बटन सबमिट करने पर विभिन्न अनुसूचियों में निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्तनों के आधार पर, सॉफ्टवेयर संशोधित किए गए विभिन्न शीर्षों में आय की गणना करता है तथा संबंधित कटौती/छूट/राहत/समायोजन के लाभ की अनुमति देता है और कर योग्य आय एवं उस पर कर का निर्धारण करता है। इस प्रकार, इस सॉफ्टवेयर में, विभाग की प्रणालियों में डेटा निर्धारण कार्यवाही में निर्धारित कृषि आय का डेटा दिखाएगा।”

35. एएसटी में दर्ज की गई निर्धारण राशि और राशि के बीच बेमेल के कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

“विरासत आईटीडी-एएसटी में करदाताओं द्वारा ई-फाइल किए गए आईटीआर और पेपर आईटीआर में दिए गए आंकड़ों के अनुसार कृषि आय की राशि ली गई थी। मैनुअल रूप से डेटा दर्ज करने के बाद एएसटी में आईटीडी अधिकारियों द्वारा पेपर

रिटर्न संसाधित किए गए थे। निर्धारण अधिकारी/डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में कृषि आय से संबंधित डेटा को पंच करते समय डाटा एंट्री त्रुटियां काफी हद तक की गई हैं। निर्धारण अधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया है कि कुछ मामलों में करदाताओं ने भी आयकर रिटर्न दाखिल करते समय डेटा प्रविष्टि की गलतियों की हैं। इस प्रकार, आकलन से पहले एएसटी में कृषि आय का डेटा असत्यापित/कच्चा डेटा है। मूल्यांकन में, प्रत्येक मामले में उचित सत्यापन और तथ्यों की जांच के बाद निर्धारण अधिकारियों द्वारा कृषि आय का विवरण निकाला जाता है और इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए दो आंकड़ों के बीच अंतर होता है।"

36. ई-निर्धारण के कार्यान्वयन के बाद कृषि आय के छूट मामलों के निरीक्षण के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"निर्देश संख्या 16/2008 विभाग में निरीक्षण को नियंत्रित करता है और वर्तमान में केवल निम्नलिखित तीन कार्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है:

- i) सीआईटी (ए)
- ii) रेंज हेड
- iii) एओ

इसके अलावा, यहां यह बताना है कि निरीक्षण केवल कार्यालयों के लिए किए जाते हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि निरीक्षण एओ द्वारा निर्धारित मामलों या निर्धारितियों द्वारा घोषित शीर्षवार आय से नहीं किए गए हैं।"

37. यह सुनिश्चित करने के साधनों के बारे में पूछे जाने पर कि एएसटी में हुई डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ आईटीबीए डेटा में नहीं होंगी, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"लिंगेसी आईटीडी-एएसटी में करदाताओं द्वारा ई-फाइल किए गए आईटीआर और पेपर आईटीआर में दिए गए आंकड़ों के अनुसार कृषि आय की राशि ली गई थी। पेपर रिटर्न को मैनुअल रूप से डेटा दर्ज करने के बाद एएसटी में आईटीडी अधिकारियों द्वारा संसाधित किया गया था। निर्धारण अधिकारियों/डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में कृषि आय से संबंधित डेटा को पंच करते समय डाटा एंट्री त्रुटियां काफी हद तक की गई हैं। हालांकि, आईटीबीए में लगभग सभी रिटर्न ई-फाइलिंग से आवक

होते हैं क्योंकि सभी रिटर्न अब ई-फाइल किए जाते हैं (सुपर सीनियर सिटीजन के संबंध में कुछ पेपर रिटर्न को छोड़कर)। पेपर आईटीआर में भी, छूट वाली आय की अधिकतम राशि केवल ₹5.000/- ही दिखाई जा सकती है। इस प्रकार, आईटीबीए में कृषि आय के मामले में डेटा प्रविष्टि त्रुटियों की गुंजाइश लगभग न के बराबर है। इसलिए, इस तरह की जवाबदेही बेमेल जो एएसटी में हो रही थी, आईटीबीए में ऐसा होने की संभावना नहीं है। ”

ड अनुपालन मुद्दे-निर्धारणों में त्रुटियां ( पैरा 5.9.5)

38. लेखापरीक्षा ने 20 मामलों में अधिनियम के प्रावधानों का आंशिक अननुपालन देखा जिसमें कृषि भूमि से प्राप्त आय हेतु गलत छूट की अनुमति, आंशिक कृषि आय के लिए छूट की गलत अनुमति, गलत निर्यात टर्नओवर अपनाने के कारण पुनः बुआई व्यय की गलत अनुमति और मछली की बिक्री, बकरी की बिक्री, सुखे अंगूरों की बिक्री, दूध की बिक्री आदि के आधार पर गैर-कृषि आय को दी गई छूट शामिल है। ऐसे नौ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, कोयम्बटूर, तमिलनाडु: नि.व. 2013-14;

अनुमत कृषि आय: 734.04 लाख

अधिनियम की धारा 2 (1क)(क) प्रावधान करती है कि कृषि आय में भारत में अवस्थित और कृषि उद्देश्य हेतु उपयोग की गई भूमि के किसी किराए या उससे प्राप्त राजस्व को शामिल किया है। धारा 2(1क) के अंतर्गत व्याख्या 1 बताती है कि भूमि से प्राप्त राजस्व भूमि के हस्तांतरण से सृजित किसी आय को शामिल नहीं किया जाएगा जोकि पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्धारण का भाग बनता है।

एक कंपनी के मामले में एओ ने फरवरी 2016 धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण 2.82 लाख की आय पर पूरा किया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने 8.74 करोड़ के बिक्री प्रतिफल जिसमें पंजीकृत बिक्री विलेख में दर्शाए गए बिक्री प्रतिफल के 5.32 करोड़ और 3.42 करोड़ का प्रीमियम, जिसे पंजीकृत बिक्री विलेखों में नहीं दर्शाया था और इसमें प्रीमियम भुगतान के लिए किसी स्टैप शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, के लिए बिलपट्टी गांव, कोडाई कनाल तालुक, डिंडिगुल जिला में कृषि भूमि बेची थी। निर्धारिती ने कृषि भूमि के हस्तांतरण पर अर्जित लाभ के प्रति धारा 2 (1क)(क) के अंतर्गत ₹ 7.34 करोड़ की छूट का दावा किया था और उसे इसकी अनुमति मिली थी। चूंकि अचल संपत्ति के हस्तांतरण हेतु बिक्री प्रतिफल को पंजीकृत बिक्री विलेखों के अनुसार लिया जाना था, विक्रेता द्वारा पंजीकृत बिक्री प्रतिफल के अतिरिक्त प्राप्त किया गया प्रीमियम 'अन्य स्रोतों से प्राप्त आय' माना जाना था। ऐसा करने में हुई चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.11 करोड़ के कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 3.42 करोड़ की अस्वीकार्य छूट अनुमति दी गई। आयकर विभाग ने मामले की जांच करने पर सहमति दी (अक्टूबर 2018)।

(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-2, पुणे, महाराष्ट्र: नि.व. 2012-13;

अनुमत कृषि आय: ₹ 23.50 लाख

एओ ने मार्च 2015 में धारा 143 (3) के अंतर्गत नि.व. के लिए निर्धारण 3.49 करोड़ पर पूरा किया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने देवलाली में कृषि भूमि बेची थी और इससे अर्जित लाभ के लिए धारा 2(1क) (क) के अंतर्गत ₹ 172.74 लाख की छूट का दावा किया था चूंकि, यह भूमि देवलाली छावनी बोर्ड से आठ किलोमीटर क्षेत्र में अवस्थित थी, अतः भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति माना जाना था। ऐसा करने में हुई चूक के परिणामस्वरूप 35.58 लाख के कम कर उद्ग्रहण सहित ₹ 172.74 लाख की अस्वीकार्य छूट अनुमति दी गई।

(ग) प्रभार प्र. सीआईटी-1, कोयम्बटूर, तमिलनाडु:

नि.व. 2012-13; नि.व. 2013-14 और नि.व. 2014-15;

अनुमत कृषि आय: 246.68 लाख, 291.85 लाख और 436.50 लाख

एओ ने उगाई गई एवं विनिर्मित चाय की बिक्री से प्राप्त कृषि आय के प्रति मार्च 2015, दिसम्बर 2015 और दिसम्बर 2016 में क्रमशः नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए निर्धारिती को ₹2.47 करोड़, ₹2.92 करोड़ और ₹ 4.37 करोड़ की छूट की अनुमति दी थी। विक्रेता द्वारा भारत में उगाई गई एवं विनिर्मित चाय की बिक्री से प्राप्त आय की गणना ऐसे की जाएगी जैसे कि यह व्यावसायिक आय है और इस आय के चालीस प्रतिशत को कर हेतु दायी माना जाएगा। शब्दावली से प्राप्त का व्यापक अभिप्राय नहीं हो सकता जिससे कि ऐसी आय को शामिल किया जा सके जिसे किसी तरीके से व्यवसाय से जोड़ा जा सके। आय के स्रोत को सीधे व्यव और उसके उत्पादन से जोड़ा।

यह न्यायिक रूप से कहा गया कि ब्याज आय, शुल्क वापसी प्राप्तियों एवं डीईपीबी लाभों, सरकार से प्राप्त मालभाड़ा सब्सिडी/परिवहन सब्सिडी को सीधे ग्राह्य व्यवसाय से प्राप्त नहीं माना जाएगा।

व्यवसाय के करयोग्य लाभ की गणना करते समय नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए क्रमशः ₹ 80.30 लाख, ₹ 60.44 लाख और ₹ 70.75 लाख तक की शुल्क वापसी और डीईपीबी लाइसेंस आय को व्यवसाय से प्राप्त आय के रूप में गलत रूप से हिसाब में लिया गया था और ऐसी आय के 60 प्रतिशत पर छूट अनुमति दी गई थी। ऐसी आय को शामिल न करने के कारण ₹ 41.17 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 126.89 लाख की अधिक छूट अनुमति दी गई थी।

(घ) प्रभार: प्र. सीआईटी, डिब्रुगढ़, असम; नि.व. 2014-15;



अनुमत कृषि आय: ₹ 11.01 लाख

एओ ने उगाई गई एवं विनिर्मित चाय की बिक्री से प्राप्त कृषि आय के प्रति ₹ 11.01 लाख की छूट की अनुमति दी थी (मार्च 2016)। खरीदी गई पत्तियों से चाय के विनिर्माण से प्राप्त व्यावसायिक आय के करयोग्य लाभ की गणना करते समय ₹ 39.54 लाख के कृषि व्यय की गलती से अनुमति दी गई थी। ऐसे व्ययों को शामिल न करने के कारण व्यवसाय आय का ₹ 23.48 लाख तक अवनिर्धारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.25 लाख का कम कर उद्ग्रहण हुआ था।

(ड.) प्रभार: प्र. सीआईटी-6, बेंगलुरु, कर्नाटक; नि.व. 2013-14;

अनुमत कृषि आय: ₹ 353.37 लाख

एओ ने निर्धारिती को ₹ 3.53 करोड़ की कृषि आय के प्रति छूट की अनुमति दी थी (मार्च 2016) जिसमें छायादार वृक्षों (अर्थात्) सिल्वर ओक के वृक्ष तथा नीलगिरी वनों की बिक्री से प्राप्त ₹ 26.86 लाख की आय शामिल थी। यह न्यायिक रूप से कहा गया कि चाय/कॉफी एस्टेट के मालिक गेविलिया वृक्षों को कोई आय प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं अपितु चाय/कॉफी के पौधों को छाया प्रदान करने हेतु उगाते हैं तथा यह छाया चाय/कॉफी की उचित कृषि हेतु आवश्यक है। इन वृक्षों को काटा गया और इन्हें समय के साथ बेकार होने के बाद बेच दिया गया था। चाय/कॉफी एस्टेट में सिल्वर ओक के वृक्ष पूंजीगत संपत्ति होते हैं और बिक्री द्वारा इनसे प्राप्त आय अधिनियम के तहत कृषि आय नहीं होगी। छायादार वृक्षों की बिक्री को पूंजीगत प्रवृत्ति की मानने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 26.86 लाख की अधिक छूट अनुमति दी गई और ब्याज के अलावा ₹ 5.53 लाख के पूंजीगत प्राप्ति कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(च) प्रभार: प्र. सीआईटी-3, पुणे, महाराष्ट्र; नि.व. 2012-13;

अनुमत कृषि आय: ₹ 1,294.76 लाख

एओ ने नवम्बर 2014 में धारा 143(3) के अंतर्गत नि.व. 2012-13 के लिए निर्धारण को ₹ 95.15 लाख की आय पर पूरा किया था। कुल आय की गणना करते समय फूलदार और सजावटी पौधों के निर्यात से अर्जित आय को व्यावसायिक आय माना गया था और तदनुसार निर्धारिती के ₹ 1,338.22 लाख की कृषि आय के दावे में से ₹ 43.45 लाख की राशि की अनुमति नहीं दी गई। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि उपरोक्त व्यावसायिक आय की गणना करते समय निर्यात टर्नओवर को ₹ 322.12 लाख के वास्तविक निर्यात टर्नओवर के प्रति ₹ 218.80 लाख के रूप में गलती से लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.52 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 103.32 लाख की अधिक छूट अनुमति दी गई थी।

(छ) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, कोयम्बटूर, तमिलनाडु; नि.व. 2014-15;

अनुमत कृषि आय: ₹ 23.61 लाख

एओ ने निर्धारिती को कृषि आय, जिसमें ₹ 7 लाख तक बकरियों की बिक्री भी शामिल थी जिसे कृषि भूमि से प्राप्त आय नहीं माना जा सकता, के प्रति नि.व. 2014-15 के लिए निर्धारिती को ₹ 23.61 लाख की छूट अनुमति (अगस्त 2016) दी थी। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक रूप से यह पाया गया कि निर्धारिती की बकरियों को निर्धारिती की निजी संपत्ति नहीं माना जा सकता और तदनुसार आयकर हेतु बकरियों की बिक्री से प्राप्त आय निर्धारणीय है। छूट की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.16 लाख का कम कर उद्ग्रहण हुआ।

(ज) प्रभार: प्र. सीआईटी, बर्धवान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल; नि.व. 2012-13;

अनुमत कृषि आय: ₹ 30 लाख

एओ ने निर्धारिती को ₹ 30 लाख की कृषि आय, जिसमें ₹ 16.66 लाख तक मछलियों की बिक्री से प्राप्त आय शामिल थी, जिसे कृषि भूमि से प्राप्त आय नहीं माना जा सकता, के प्रति छूट की अनुमति दी थी (मार्च 2015)। यह निर्णय लिया गया कि जलाच्छादित भूमि जिसे किसी कृषि उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया गया है, पर मछलीपालन से प्राप्त आय को कृषि से प्राप्त आय नहीं माना जा सकता, यहां तक कि मछली को भूमि उत्पादन नहीं माना जा सकता क्योंकि उनका मूल तत्व पानी है, अतः इनका कल्टिवेशन एवं देखभाल किसी भी प्रकार से कृषि पर निर्भर नहीं करती। गैर-कृषि आय हेतु गलत छूट अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 6.63 लाख का कम कर प्रभारित हुआ।

(ज) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, पुणे, महाराष्ट्र; नि.व. 2014-15;

अनुमत कृषि आय: ₹ 117.21 लाख

एओ ने निर्धारिती को कृषि आय, जिसमें ₹ 93.31 लाख के सुखे अंगुरों की बिक्री और ₹ 0.37 लाख की दूध की बिक्री आय शामिल थी, के प्रति नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 117.21 लाख की छूट की अनुमति दी थी (दिसम्बर 2016)। चूँकि सूखे अंगूर (किशमिश) कृषि आधारित औद्योगिक उत्पाद है और दूध डेयरी उत्पाद है इसलिए इससे प्राप्त आय को कृषि

भूमि से प्राप्त आय नहीं माना जा सकता। शीर्ष न्यायालय ने निर्णय लिया कि दूध की बिक्री की नियमितता प्रमाणित थी और बेचे गए दूध की मात्रा ने दर्शाया कि निर्धारिती ने जो संचालित किया था वह दूध उत्पादन और वाणिज्यिक प्रस्ताव के रूप में इसे बेचने का नियमित व्यवसाय था। दावे की अननुमति में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 28.95 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 93.68 लाख की अधिक छूट अनुमति दी गई थी

39. लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए प्रत्येक मामले पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए:

पैरा संख्या 5.9.5 - अनुपालन मुद्दे - निर्धारण में त्रुटियाँ								
क्रम संख्या	राज्य	सी आई टी प्रभार	एओ प्रभार	निर्धारिती का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (लाख रुपये में)	उत्तर
1	असम	पीसी आई टी जोरहाट	एसीआईटी सीआर, जोरहाट	मरंगी प्रा.लि.	AACCM 3316	2013-14	1.87	लेखापरीक्षा ने यह कहते हुए आपत्ति उठाई है कि प्रतिरोपण व्यय को 6,05,052/- रुपए की प्राप्त पुनरोपण सब्सिडी की सीमा तक समायोजित नहीं किया गया था और इस प्रकार 1,86,961/- रुपए कर के कम उद्ग्रहण के रूप में निर्धारित हुए। फिर भी, लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आई.टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10(30) के

पैरा संख्या 5.9.5 - अनुपालन मुद्दे - निर्धारण में त्रुटियां

क्रम संख्या	राज्य	सी आई टी प्रकार	एओ प्रकार	निर्धारिती का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (लाख रुपये में)	उत्तर
								<p>अनुसार कहा गया है की अन्य बातों के साथ-साथ, "किसी उस निर्धारिती के मामले में जो भारत में चाय उगाने और उत्पादन करने का व्यवसाय करता है, चाय के पुनरोपण या प्रतिस्थापन के लिए ऐसी किसी भी योजना के तहत चाय बोर्ड से या उसके माध्यम से प्राप्त कोई भी सब्सिडी की राशि, जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करती है"।</p> <p>तदनुसार, इस मामले में राजस्व लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्ति स्वीकार्य नहीं है और इसे हटाया जाना अपेक्षित है।</p>
2	असम	पीसी	एसीआईटी	भौराम	AABFB66 82L	2009-	6.99	मामला धारा 147 के

पैरा संख्या 5.9.5 - अनुपालन मुद्दे - निर्धारण में त्रुटियाँ

क्रम संख्या	राज्य	सी आई टी प्रभार	एओ प्रभार	निर्धारिती का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (लाख रुपये में)	उत्तर
		याई टी, डिब्रू गढ़	सी-2, डिब्रूगढ़	जोधराज		10		तहत फिर से खोला गया था, लेकिन 29.08.2016 को धारा 147 के तहत पारित आदेश में इस मुद्दे पर कोई परिवर्धन नहीं किया गया था क्योंकि आनुपातिक आधार पर व्यय के विभाजन संबंधी लेखापरीक्षा आपत्ति पुनर्निर्धारण के दायरे से बाहर थी, एओ का यह निर्णय सीआईटी बनाम जेट एयरवेज 331 आईटीआर 236 (बॉम्बे हाई कोर्ट) पर आधारित है।
3	छत्तीसगढ़	प्रधान सी आई टी-2, रायपुर		गणेश बाई बघेल	BOXPB2 888R	2013-14	4.73	फील्ड की रिपोर्ट के अनुसार निर्धारिती के मामले को फिर से खोला गया और धारा 148 के तहत 04/02/2020 को नोटिस जारी किया गया तथा यह मामला पुनर्निर्धारण के लिए

पैरा संख्या 5.9.5 - अनुपालन मुद्दे - निर्धारण में त्रुटियां

क्रम संख्या	राज्य	सी आई टी प्रभार	एओ प्रभार	निर्धारिती का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (लाख रुपये में)	उत्तर
								लंबित है।
4	कर्नाटक		आईटीओ वार्ड 1 बेल्लारी	एस अनिल कुमार	ABSPA8 022B	2013-14	4.94	आपत्ति स्वीकार कर ली गई है। धारा 148 के तहत 27.11.2018 को नोटिस जारी किया गया।
5	पंजाब		बठिंडा	जीसीए मार्केटिंग प्रा. लिमिटेड	AACCG3 515F	2009-10 से 2011-12	206.64	स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि मसौदा पैरा की विषय-सामग्री लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा दल द्वारा उठाई गई आपत्तियों से मेल नहीं खाती। वर्तमान लेखापरीक्षा आपत्ति सही नहीं है क्योंकि कृषि भूमि से प्राप्त आय से कोई गलत छूट, भत्ते, पुनर्प्राप्ति के लिए अतिरिक्त भत्ता आदि प्रदान नहीं किए गए। इस मामले में निर्धारिती द्वारा दिखाई गई संपूर्ण कृषि आय को अन्य स्रोतों से आय के रूप में निर्धारित किया

पैरा संख्या 5.9.5 - अनुपालन मुद्दे - निर्धारण में त्रुटियां

क्रम संख्या	राज्य	सी आई टी प्रभार	एओ प्रभार	निर्धारिती का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (लाख रुपये में)	उत्तर
								<p>गया है और तदनुसार कर लगाया गया है। इस मामले में 206.64 लाख रुपये के कम राजस्व का आंकड़ा धारा 234 के तहत ब्याज की कम उगाही से संबंधित है न कि कृषि भूमि से प्राप्त आय से दी गई गलत छूट, भत्ते, पुनः रोपण के लिए अधिक भत्ता आदि के लिए। कम ब्याज लगाने संबंधी गलती को दिनांक 06.05.2019 को धारा 154 के तहत सुधारा गया है और ब्याज की कम उगाही के संबंध में आपत्ति पर रिपोर्ट 02-08-2019 को भेजी गई है।</p>
6	तमिलनाडु	पीसी आई टी-		सी थंगाराज	ABTPT52 17E	2014- 15	97.89	आपत्ति स्वीकार कर ली गई है। अधिनियम की धारा 263 के

पैरा संख्या 5.9.5 - अनुपालन मुद्दे - निर्धारण में त्रुटियां

क्रम संख्या	राज्य	सी आई टी प्रकार	एओ प्रकार	निर्धारिती का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (लाख रुपये में)	उत्तर
		3, कोयंबटूर						<p>तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।</p> <p>लेखापरीक्षा मुद्दे पर विचार करने के बाद सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में निर्धारण को रद्द करते हुए पुनर्निर्धारण करने के लिए धारा 263 के तहत 27.03.2019 को आदेश पारित किया गया। नतीजतन, निर्धारण अधिकारी ने धारा 143(3) के साथ पठित धारा 263 के तहत 11-12-2019 को 2,07,47,746/- रुपये की सकल मांग और प्रीपेड करों के बाद 2,04,22,830/- रुपए की शुद्ध मांग का निर्धारण कराते हुए आदेश पारित</p>



पैरा संख्या 5.9.5 - अनुपालन मुद्दे - निर्धारण में त्रुटियाँ								
क्रम संख्या	राज्य	सी आई टी प्रभार	एओ प्रभार	निर्धारिती का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (लाख रुपये में)	उत्तर
								किया। अभी यह मांग देय नहीं है। जुटाई गई अतिरिक्त धनराशि 2,04,22,830/- रुपए है।
7	तमिलनाडु	पीसी आई टी- 1, कोयंबटूर		मेसर्स स्टेन्स अमलगमे टेड एस्टेट्स लिमिटेड	AACCS7 196Q	2014-15	6.32	आपत्ति स्वीकार कर ली गई है। धारा 148 के तहत 13.12.2019 को नोटिस जारी किया गया। निर्धारण 13.12.2019 को फिर से खोला गया और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
8	तमिलनाडु	पीसी आई टी- 1, कोयंबटूर		मै. केपीआर डेवलेपर्स लि.	AADCK4 094J	2012-13	2.61	आपत्ति स्वीकार कर ली गई है। दिनांक 06.07.2018 को धारा 154 के तहत नोटिस जारी किया गया, 20/07/2018 को उपचारात्मक कार्रवाई आदेश पारित किया गया। 3,51,890/- रुपए (91,334- रुपए की ब्याज राशि सहित) की अतिरिक्त

## पैरा संख्या 5.9.5 - अनुपालन मुद्दे - निर्धारण में त्रुटियां

क्रम संख्या	राज्य	सी आई टी प्रकार	एओ प्रकार	निर्धारित का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (लाख रुपये में)	उत्तर
								मांग की गई।
9	तमिलनाडु	पीसी आई टी-3, कोयंबटूर		के. वसुनाथन	ABPPV85 47H	2014-15	97.89	<p>आपत्ति स्वीकार कर ली गई है। सीएसएस कारणों में न तो भूमि खरीद न ही धारा 53(2)(vii)(ख)(ii) के प्रावधानों को दर्शाया गया था।</p> <p>अधिनियम की धारा 263 के तहत नोटिस जारी करके 07.03.2019 को उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई।</p> <p>लेखापरीक्षा मुद्दे पर विचार करने के बाद सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में निर्धारण को रद्द करते हुए पुनर्निर्धारण करने के लिए धारा 263 के तहत 20.03.2019 को आदेश पारित किया गया।</p> <p>नतीजतन, निर्धारण अधिकारी ने धारा 143(3) के साथ</p>

## पैरा संख्या 5.9.5 - अनुपालन मुद्दे - निर्धारण में त्रुटियां

क्रम संख्या	राज्य	सी आई टी प्रभार	एओ प्रभार	निर्धारिती का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (लाख रुपये में)	उत्तर
								पठित धारा 263 के तहत 11-12-2019 को 1,99,08,455/- रुपये की सकल मांग और प्रीपेड करों के बाद 1,99,08,455/- रुपए की शुद्ध मांग का निर्धारण करते हुए आदेश पारित किया। अभी यह मांग देय नहीं है। 1,70,07,423/- रुपए की अतिरिक्त मांग की गई।
10	पश्चिम बंगाल	पीसी आई टी- 3, कोल काता		पीसीएम एगो प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड	AADCP14 49A	2015-16	1.21	डाटा एंट्री त्रुटि को सुधारने पर विचार किया जा रहा है।
11	दिल्ली	पीसी आई टी- 12	वार्ड 36(1)	मो. युसूफ ठोकेर	ACLPT90 92Q		5.71	धारा 154 के तहत दिनांक 13.09.2021 को आपत्ति स्वीकार कर ली गई है

क्रम संख्या	अध्याय	पैरा संख्या	पृष्ठ सं.	निर्धारित का नाम	पैन	कर निर्धारण वर्ष	अनुमत कृषि आय (लाख रुपए में)	प्रधान सीसीआईटी प्रभार	पीसीआईटी प्रभार	स्थिति
12	अनुपालन मुद्दे - निर्धारणों में त्रुटियाँ	5.9.5	90	तमराई क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	AABCT 1235C	2013-14	734.04	तमिल नाडु	प्रधान सीआईटी-1, मदुरै	मंत्रालय द्वारा आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है और मामला सीएजी के पत्र दिनांक 31/03/2021 के माध्यम से सुलझाया गया है
13	अनुपालन मुद्दे - निर्धारणों में त्रुटियाँ	5.9.5	90	श्री बी. राजेंद्र सुखदेव मिरगाने	ABEPM 4559M	2012-13	23.5	पुणे	प्रधान सीआईटी-2, पुणे	मंत्रालय द्वारा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया है और मामला सीएजी के पत्र दिनांक 31/03/2021 के माध्यम से सुलझाया गया है
14	अनुपालन मुद्दे - निर्धारणों में त्रुटियाँ	5.9.5	91	यूनाइटेड नीलगिरी टी एस्टेट्स कंपनी लिमिटेड	AAABC T1209H	2012-13, 2013-14 एवं 2014-15	246.68, 291.85 एवं 436.50	तमिल नाडु	प्रधान सीआईटी-1, मदुरै	मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है। आगे की टिप्पणियों के लिए मंत्रालय को पुनरीक्षण टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। एटीएन में आगे की टिप्पणियों को शामिल किया गया है, फ़ील्ड के उत्तरों

क्रम संख्या	अध्याय	पैरा संख्या	पृष्ठ सं.	निर्धारिती का नाम	पैन	कर निर्धारण वर्ष	अनुमत कृषि आय (लाख रुपए में)	प्रधान सीसीआईटी प्रभार	पीसीआईटी प्रभार	स्थिति
						15				के आधार पर संसाधित किए जा रहे हैं।
15	अनुपालन मुद्दे - निर्धारणों में त्रुटियाँ	5.9.5	91	बंशीधर सेवाभगो वन एंड कंपनी	AADFB 7480J	2014-15	11.01	एनड ब्ल्यूआर	प्रधान सीआईटी, टिबूगढ़	मंत्रालय द्वारा आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है और मामला सीएजी के पत्र दिनांक 31/03/2021 के माध्यम से सुलझाया गया है
16	अनुपालन मुद्दे - निर्धारणों में त्रुटियाँ	5.9.5	92	श्री रमेश बोम्मेगौड़ा	AEJPG 7473A	2013-14	353.37	कर्नाटक और गोवा	प्रधान सीआईटी-6, बंगलुरु	मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है। एटीएन प्रक्रियाधीन है।
17	अनुपालन मुद्दे - निर्धारणों में त्रुटियाँ	5.9.5	92	राइज एन शाइन बायोटेक प्रा. लिमिटेड	AACCR 7252G	2012-13	1,294.76	पुणे	पीसीआईटी-3, पुणे	मंत्रालय द्वारा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया है और मामला सीएजी के पत्र दिनांक 17/08/2021 के माध्यम से सुलझाया

क्रम संख्या	अध्याय	पैरा संख्या	पृष्ठ सं.	निर्धारिती का नाम	पैन	कर निर्धारण वर्ष	अनुमत कृषि आय (लाख रुपए में)	प्रधान सीसीआईटी प्रभार	पीसीआईटी प्रभार	स्थिति
										गया है
18	अनुपालन मुद्दे - निर्धारणों में त्रुटियाँ	5.9.5	92	श्री पी. पलानीचाम्य	AFYPP 0598M	2014-15	23.61	तमिल नाडु	प्रधान सीआईटी-1, कोयंबटोर	मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है। आगे की टिप्पणियों के लिए मंत्रालय को पुनरीक्षण टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। एटीएन में आगे की टिप्पणियों को शामिल किया गया है, फ़ील्ड के उत्तरों के आधार पर संसाधित किए जा रहे हैं।
19	अनुपालन मुद्दे - निर्धारणों में त्रुटियाँ	5.9.5	93	श्री सुतानु सरकार	AVIPS7 034H	2012-13	30	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	प्रधान सीआईटी- बर्दवान	मंत्रालय द्वारा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया है और मामला सीएजी के पत्र दिनांक 14/01/2020 के माध्यम से सुलझाया गया है।
20.	अनुपालन मुद्दे - निर्धारणों में	5.9.5	93	बेलापुर इंडस्ट्रीज	AAACB 0105A	2014-15	117.21	पुणे	प्रधान सीआईटी-1,	मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है। आगे की टिप्पणियों

क्रम संख्या	अध्याय	पैरा संख्या	पृष्ठ सं.	निर्धारिती का नाम	पैन	कर निर्धारण वर्ष	अनुमत कृषि आय (लाख रुपए में)	प्रधान सीसीआ ईटी प्रभार	पीसी आईटी प्रभार	स्थिति
	त्रुटियाँ			लि.					पुणे	के लिए मंत्रालय को पुनरीक्षण टिप्पणियां दो बार प्राप्त हुई हैं। क्षेत्रीय कार्यालय से जवाब मिलने के बाद आगे की टिप्पणियों को शामिल किया गया है। सीएण्डएजी को एटीएन दिनांक 03/02/2021 को भेज दिया गया है

**भाग - दो**  
**समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें**

**प्रस्तावना**

भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए कृषि आय का प्रमुख स्रोत है। संविधान के अनुच्छेद 366(1) में यह कहा गया है कि संविधान में 'कृषि आय' अभिव्यक्ति का अर्थ भारतीय आय कर से संबंधित अधिनियमों के उद्देश्य से परिभाषित कृषि आय है। आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 2(1क) इस अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है, जिसका अन्य बातों के साथ-साथ तात्पर्य यह है कि कृषि आय वह आय है जो किराए के रूप में या किसी अन्य रूप में प्राप्त होती है जो भारत में स्थित भूमि से अर्जित की जाती है और जिसका उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। आयकर अधिनियम की धारा 10(1) कृषि आय को कर से छूट देती है। किसानों की दशा सुधारने के लिए कर में छूट दी गई है।

मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 2019 की सीएंडएजी की वर्ष 2019 की प्रतिवेदन संख्या 9 में संघ सरकार - राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम अंतर्विष्ट हैं और प्रतिवेदन का अध्याय-पांच "कृषि आय से संबंधित निर्धारण" के बारे में है। उपर्युक्त सीएंडएजी प्रतिवेदन के अध्याय-पांच के पैरा संख्या 5.9.2, 5.9.3, 5.9.4 और 5.9.5 जो "सहायक दस्तावेजों की जांच के बिना छूट"; "आयकर विभाग के डेटाबेस में कृषि आय को गलत रूप से दर्शाना"; "विभाग द्वारा जांच की स्थिति: और "अनुपालन मुद्दे - निर्धारणों में त्रुटियां" विषयों से संबंधित है जिनकी समिति द्वारा जांच की गई है और अनुवर्ती पैराओं में उपर्युक्त रूप से टिप्पणी की गई है।



### सहायक दस्तावेजों की जांच के बिना छूट (5.9.2)

1. वर्ष 2008-09 से 2013-14 के दौरान चयनित मामलों में संवीक्षा निर्धारणों की लेखापरीक्षा समीक्षा ने यह इंगित किया कि 6,778 संवीक्षा निर्धारणों में से 1,527 (22.5 प्रतिशत) में भूमि अभिलेख, आय और व्यय विवरण, फसल की जानकारी, लेजर खाता, बिल, चालान आदि जैसे कृषि आय और व्यय का प्रमाण जैसे सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के बिना कृषि आय पर छूट के दावे को अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 1,527 मामलों में, 716 मामलों (10.6 प्रतिशत) में भूमि अभिलेख उपलब्ध नहीं थे और 1,270 मामलों (18.7 प्रतिशत) में लेजर खाता, बिल, चालान आदि जैसे कृषि आय और व्यय के प्रमाण उपलब्ध नहीं थे। इन मुद्दों पर मंत्रालय के लिखित उत्तर के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2019-20 से, कृषि आय पर छूट का दावा करने के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज, छूट के रूप में दावा की गई कृषि आय की राशि सहित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। आम तौर पर कृषि आय पर कर से छूट के दावे की अनुमति देने के लिए देखे जाने वाले दस्तावेजों में अन्य के साथ-साथ खसरा और खतौनी, कृषि आय अर्जित करने में किए गए व्यय का विवरण, बेची गई फसल के बिक्री चालान, कृषि भूमि पर स्वामित्व/अधिकार से संबंधित दस्तावेज, कृषि उत्पाद की बिक्री से हुई धन की प्राप्ति को दर्शाने वाला निर्धारिती की रोकड़ बही और/या बैंक विवरण, लेजर खाता, बिल और चालान हैं। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने मौखिक साक्ष्य के दौरान आगे बताया कि निर्धारण वर्ष (एवाई) 2019-20 से लागू किए गए आईटीआर के अनुसार, करदाता को आईटीआर में उल्लेख करना होगा: पिन कोड के साथ जिले का नाम जिसमें कृषि भूमि स्थित है; एकड़ में कृषि भूमि की माप; क्या कृषि भूमि स्वामित्व में है या पट्टे पर है; और क्या कृषि भूमि सिंचाई की जाती है या वर्षा द्वारा सिंचित होती है। सीबीडीटी ने एक फसलेस असेसमेंट स्कीम 2019 तैयार

किया है, और इसे धरा 144ख के रूप में 01.04.2021 से अधिनियम में शामिल किया है। इसके अलावा, उचित जांच और अन्वेषण सुनिश्चित करने के लिए टीम आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया को लागू किया गया है। इस संबंध में समिति का सुविचारित मत है कि जहां निर्धारण अधिकारियों (एओ) के लिए छूट की अनुमति देने के लिए संवीक्षा के चरण में सहायक दस्तावेजों को सत्यापित करना अनिवार्य है, वहीं कृषकों के पास जटिल कर नियमों को समझने और उसका अनुपालन करने के लिए आवश्यक साधन नहीं हो सकते हैं, और इसलिए, एओ द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इस संबंध में समिति महसूस करती है कि मंत्रालय को भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ अन्य स्रोतों के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों को एकीकृत करने के लिए अन्य संबंधित मंत्रालयों की सहायता लेने की आवश्यकता है ताकि दावों की संवीक्षा के समय, ऐसे मामलों को शामिल करते हुए जहां दस्तावेजीकरण की कमी या अपूर्णता देखी गई है, अपेक्षित जानकारी आसानी से उपलब्ध और सुलभ हो सके।

2. इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने तीसरे कर प्रशासन सुधार आयोग की रिपोर्ट (2014) की टिप्पणियों का भी उल्लेख किया है जिसमें यह नोट किया गया कि गैर-कृषकों की कृषि आय, कर से बचने और धन शोधन के एक तरीके के रूप में तेजी से उपयोग किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सालाना करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है। समिति यह इंगित करना चाहती है कि कृषक एक विषम श्रेणी है जिसमें छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ कॉर्पोरेट घराने आदि भी शामिल हैं। इसलिए, मंत्रालय उन किसानों, जिनके पास कृषि के साथ-साथ गैर-कृषि स्रोतों से आय है, की तुलना में उन किसानों के लिए अलग-अलग कोड पेश करने की संभावना पर विचार कर सकता है, जिनकी केवल कृषि स्रोतों से आय होती है। समिति की यह राय है कि इससे अन्य मामलों से पूरी तरह से कृषि स्रोतों से आय वाले मामलों को अलग करने

में मदद मिलेगी, और बेहतर लक्ष्य निर्धारण और मामलों की संवीक्षा में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाते खोलने के कारण वित्तीय समावेशन में वृद्धि के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार कृषि क्षेत्र में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित कर सकती है। मंत्रालय ओडिशा जैसे राज्यों में अपनाई जा रही पद्धतियों पर भी गौर कर सकता है और उनका विश्लेषण कर सकता है जहां कृषि उपज सहकारी समितियों को बेची जाती है और उसके लिए भुगतान निर्धारितियों के बैंक खातों में जमा किया जाता है, जिससे अर्जित आय का आसान सत्यापन होता है।

3. समिति नोट करती है कि विस्तृत संवीक्षा से संबंधित अधिनियम की धारा 143(3) में परिकल्पना की गई है कि निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और ऐसे अन्य साक्ष्यों को सुनने के बाद, जिनकी एओ को आवश्यकता हो सकती है, और एकत्रित सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए, एओ लिखित में एक आदेश द्वारा, निर्धारिती की कुल आय का आकलन करेगा, और इस तरह के आकलन के आधार पर उसके द्वारा देय राशि या उसके कारण किसी भी राशि की प्रतिदायगी का निर्धारण करेगा। इसके अलावा, कार्यालय प्रक्रिया के विभागीय नियमावली के अनुसार, आयकर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों अर्थात् धारा 143(2) या 142(1) या 131 आदि के तहत आकलन कार्यवाही के दौरान एक नोटिस जारी करके सुनवाई के लिए पोस्ट किए गए मामले का कार्यवाही सारांश को आदेश-पत्र में तिथि के साथ प्रविष्ट की जानी चाहिए। प्रविष्टि में, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारिती की ओर से सुनवाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम और उनका व्यवसाय, प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, (दस्तावेजों की जांच की गई और लौटाए गए और दाखिल किए गए दस्तावेज विनिर्दिष्ट करते हुए), मांगे गए दस्तावेज, चर्चा किए गए मुद्दे और पुनः पोस्टिंग, यदि कोई हो, शामिल होना चाहिए। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (उन्हें छोड़कर जिन्हें वापस किया जाना है) विविध रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना

चाहिए। इस प्रकार, जैसा कि कानून में निर्धारित है, विस्तृत संवीक्षा में न केवल अभिलेखों की विस्तृत जांच शामिल है, बल्कि निर्धारण आदेश तक पहुंचने में जांचे गए दस्तावेजों आदि के उचित रिकॉर्ड का अनुरक्षण भी शामिल है। निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया है, जांच किए गए मामलों में न तो मूल्यांकन आदेश और न ही आदेश-पत्र यह दर्शाता है कि ऊपर संदर्भित ऐसे दस्तावेजों/डेटा या किसी अन्य दस्तावेज़ पर पर्याप्त भरोसा किया गया है। समिति चाहती है कि संवीक्षा के दौरान आयकर अधिनियम की संबंधित धाराओं और कार्यालय प्रक्रिया के विभागीय नियमावली की शर्तों के कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी कमिश्नरियों को जारी की गई निर्धारित प्रक्रिया और आवश्यक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

4. समिति नोट करती है कि लेखापरीक्षा में बारह उदाहरण बताए गए हैं जहां कृषि आय के कारण छूट के दावे को सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के बिना अनुमति दी गई थी। यह कृषि आय से संबंधित निर्धारण की प्रक्रिया में कमियों का द्योतक है। समिति यह भी नोट करती है कि छूट के लिए कृषि आय की गलत 'अनुमति' के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाए गए बारह उदाहरणों में से, मंत्रालय ने 147 लाख रुपए, 85.6 लाख रुपए, 63.43 लाख रुपए और 109.06 लाख रुपए की चार आपत्तियों को स्वीकार किया है और शेष आठ मामलों के लिए टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया है, जिनके लिए 666.90 लाख रुपए की वित्तीय बाध्यता है। इस मुद्दे पर अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि मामले निपटाए जाने की प्रक्रिया में हैं या एटीएन प्रक्रियाधीन हैं; और यह कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श का दूसरा दौर चल रहा है। समिति चाहती है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए ताकि सीएंडएजी के साथ चल रहे परामर्श के बाद शेष मामलों का निपटारा किया जा सके।

5. समिति को यह बताया गया है कि उचित दस्तावेजीकरण और सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए एक सुधारात्मक उपाय के रूप में, मंत्रालय ने कई कार्रवाई की है जैसे कि आईटीआर में प्रस्तुत की जाने वाली छूट वाली आय का विवरण निर्धारण वर्ष 2019-20 से अधिक विस्तृत किया गया है; फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2019 और टीम आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया जहां असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट द्वारा वेरिफिकेशन का अनुरोध कर सकती है और शुरू की गई टेक्निकल यूनिट से तकनीकी सहायता मांग सकती है। मंत्रालय ने आगे बताया है कि चूंकि अधिनियम की धारा 2(1क) के अनुसार कृषि आय की परिभाषा व्यापक है, कृषि आय से संबंधित तथ्य मामले दर मामले भिन्न हो सकते हैं। मामलों में गैर-एकरूपता के पहलू को ध्यान में रखते हुए, एओ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, विभाग पूरे भारत में प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (डीटीआरटीआई) और/या मंत्री स्तरीय कर्मचारी प्रशिक्षण इकाइयों (एमएसटीयू) द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने जैसे विभिन्न उपाय कर रहा है। इसके अलावा, कई पुस्तकें भी प्रकाशित की गई हैं यथा - 'टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टीगेशन फॉर असेसमेंट', 'लेट अस शेयर' आदि जिसमें मूल्यांकन के मामलों के विशिष्ट उदाहरण और विभिन्न क्षेत्रों में पालन की जाने वाली कुछ सर्वोत्तम पद्धतियां अंतर्विष्ट हैं। मंत्रालय के अनुसार, ये सभी उपाय क्षेत्र में निर्धारण अधिकारियों (एओ) का कृषि आय की सत्यता की जांच करने में मार्गदर्शन करते हैं। समिति चाहती है कि मूल्यांकन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने और मार्गदर्शन के साधन के रूप में कार्य करने वाली पुस्तकों को प्रकाशित करने जैसे उपायों के अलावा, मंत्रालय छूट के लिए दावा किए गए कृषि आय की सत्यता की जांच की प्रक्रिया में सम्मिलित मूल्यांकन अधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिए एसओपी भी तैयार करे। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय अपने अनुभव के साथ-साथ मूल्यांकन आदेशों के रिकॉर्ड के आधार पर संभावित स्रोतों की सूची; और कार्यालय प्रक्रिया नियमावली के आयकर

अधिनियम की संबंधित धाराओं में परिकल्पित आदेश पत्रक का एक ऑनलाइन संग्रह उपलब्ध कराए।

6. समिति नोट करती है कि जहां तक सभी कमिशनरियों, जहां कृषि आय का दावा 10 लाख रुपए से अधिक है, में लेखापरीक्षा द्वारा सभी मामलों की 100 प्रतिशत जांच के लिए सिफारिश के कार्यान्वयन की दिशा में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई का संबंध है, मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ बताया है कि एवाई 2020-21 के लिए, 21,55,368 करदाताओं ने अपने आयकर रिटर्न में कृषि आय की सूचना दी, जिनमें से 59,707 करदाताओं ने 10 लाख रुपए से अधिक के कृषि आय की सूचना दी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी खास कर निर्धारण वर्ष के लिए दाखिल आयकर रिटर्नों की संख्या अच्छी खासी है, तो संवीक्षा के लिए चयनित मामलों की संख्या आईटीआर, आईटी फार्मों, टीडीएस/टीसीएस, तीसरे पक्षों से रिपोर्ट किए गए आंकड़ों, अंतर-विभागीय समझौता ज्ञापनों आदि के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों से मिली जानकारी पर आधारित संवीक्षा के मामलों के चयन की केंद्रीकृत प्रणाली कम्प्यूटर एडेड स्क्रीनी सेलेक्शन (सीएसएस) के जरिए उपलब्ध संसाधनों और विभिन्न प्रकार के जोखिमों (जिन्हें जांच कराए जाने की आवश्यकता है) के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से अनुकूलतः ठीक है। इसके अलावा, सीएसएस को निम्नतम स्तर से ऊपर कृषि आय के मामलों के चयन हेतु परिदृश्यों का पता लगाने के पहलू से लैस किया गया है। सीबीडीटी के चेयरमैन ने समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए इस बात का उल्लेख किया था कि उक्त वर्णित कुल 2155368 मामलों में से 3379 मामलों का चयन किया गया है। समिति को बताया गया है कि उन सभी आयुक्तालयों में जहां दावा की गई कृषि आय 10 लाख रुपए से ऊपर है, सभी मामलों की शतप्रतिशत जांच के ख्याल से मंत्रालय ने इसे संभालने के लिए मैनपावर के अभाव में संवीक्षा के निमित्त मामलों का पता लगाने हेतु अपने खुद का मेकैनिज्म तैयार किया है। समिति सिफारिश करती है कि इस

मुस्तैदी से चुने गए 3379 मामलों की जांच-पड़ताल के लिए एक सिस्टम डिजायन किया जाए और इन आकलनों के आधार पर संवीक्षा हेतु मामलों के चयन की प्रक्रिया के परिशोधन के लिए सीएएसएस में नए परिदृश्य को शामिल किया जाए। समिति नोट करती है कि सीबीडीटी द्वारा चुने गए 3379 मामलों में 10 लाख रूपए से कम कृषि आय बताने वाले करदाताओं के मामले शामिल हैं। इस संबंध में समिति की सुविचारित राय है कि जांच का फोकस अधिक कृषि आय बताने वाले निर्धारितियों पर होना चाहिए। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय कृषि से होने वाली आय के मामले को सीएएसएस में तीन स्लैबों में अर्थात् 10 लाख से ऊपर, 50 लाख और 1 करोड़ रूपए की आय के स्लैबों में वर्गीकृत करने का मेकैनिज्म उक्त वर्णित वर्गों में उच्च जोखिम वाले मामलों के बेहतर लक्ष्य के लिए तैयार करने पर विचार करे। ऐसे उपायों से मंत्रालय/सीबीडीटी के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों से विभिन्न प्रकार के कृषकों की संवीक्षा भी सुगम होगी और राजस्व की संभावित चोरी भी रुकेगी।

7. समिति यह भी नोट करती है कि किसानों का एक बड़ा हिस्सा उन व्यावहारिक कठिनाइयों की वजह से आयकर रिटर्न फाइल करने में अनिच्छुक है जो अन्य बातों के साथ-साथ जागरूकता का अभाव, बारंबार आयकर कार्यालय जाने और आयकर कार्यालय तक जाने में उनके सामने आने वाली कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं आदि से जुड़ी हुई है। इसका परिणाम यह रहा है कि आईटीडी डाटाबेस के लिए कृषि उत्पादन, भूमि अभिलेख आदि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अनुपलब्ध रही है। किसानों की आशंका यह भी है कि आयकर डाटाबेस में उनकी व्यक्तिगत जानकारी को शामिल किए जाने से वे सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। किसानों की अनिच्छा विश्वास की कमी और आयकर भरने की प्रक्रिया के संबंध में नकारात्मक सोच का द्योतक है। समिति का मानना है कि यदि किसानों के आंकड़े आईटीडी डाटाबेस में शामिल कर दिए जाते हैं तो इससे न केवल देश के

कर आधार में वृद्धि होगी, बल्कि आईटीडी से कालेधन को वैध बनाने की बेहतर निगरानी हो पाएगी और ऐसे मामलों का बेहतर तरीके से पता भी लगाया जा सकेगा। हालांकि, समिति यह नोट करती है कि वेबसाइट से रिटर्न भरने की प्रक्रिया दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में किसानों के लिए विशेषकर जागरूकता के अभाव, डिजिटल डिवाइड की कमी और संसाधनों के सीमित होने से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इस तरह, समिति का सुविचारित मत है कि मंत्रालय आईटीआर भरने की प्रक्रिया के संबंध में जागरूकता लाने और विश्वास की कमी को पाटने की दिशा में प्रयास करें। समिति चाहती है कि मंत्रालय इन समस्याओं को दूर करने और रिटर्न दाखिल करने एवं कृषि से होने वाली आय पर छूट का दावा करने के लिए लघु व सीमांत किसानों में विश्वास पैदा करने का काम करने एवं शैक्षिक संगोष्ठी आयोजित करने के निमित्त पंचायत/प्रखंड स्तरीय अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों की सहायता लेने की संभावना पर विचार करें। रिटर्न भरने की प्रक्रिया को आगे और आसान बनाने और जैसाकि कम्प्यूटर उपकरणों व स्थायी इंटरनेट कनेक्शन के अभाव में किसानों के सामने आने वाली बुनियादी समस्याओं का हल निकालने के लिए मंत्रालय डाकघरों की मदद ले सकते हैं जिनकी ग्रामीण स्तर पर अच्छी-खासी शाखाएं हैं। मंत्रालय इस बात पर भी विचार कर सकता है कि धन वापसी, यदि कोई हो तो, आधार आधारित भुगतान प्रणाली की सहायता से शुरू की जा सकती है जिससे कि धन वापसी का दावा करने वाले कर निर्धारितियों को किराया भाड़ा लगाकर आयकर कार्यालय गए बगैर उनके खुद के घरों के दरवाजों पर ही उन्हें नकद में धन वापस मिल सके।

#### आयकर विभाग के डाटाबेस में कृषि आय को गलत रूप से दर्शाना (5.9.3)

8. समिति नोट करती है कि नौ राज्यों में जांच किए गए 3133 मामलों में से 48 मामलों में [बिहार (02), झारखंड (02), कर्नाटक (12), केरल (07),



राजस्थान (01), पश्चिम बंगाल (06), तमिलनाडु (09), उत्तर प्रदेश (04), नई दिल्ली (05)] लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि आईटीडी डाटाबेस में दर्शाई गई जानकारी की तुलना में कर निर्धारण आदेश में अनुमत छूटों के बीच कोई तालमेल नहीं है। यहां तक कि आईटीडी डाटाबेस में कृषि से होने वाली आय को कर निर्धारितियों के रिटर्न में कृषि आय के रूप में नहीं दर्शाया गया या उन मामलों में असंगत आंकड़ों को चित्रित किया जहां अनुमति कृषि आय के आंकड़े उन आंकड़ों से अलग थे जिनके कर निर्धारितियों ने दावे किए थे। इस संबंध में मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत आदेश पारित कर उक्त वर्णित मामलों के संदर्भ में गलतियों में सुधार किए गए। इसके अलावा, मंत्रालय को उत्तर की गहन संवीक्षा पर समिति पाती है कि चिंता के अन्य मुद्दे हैं जिनमें चूकों में सुधार की प्रक्रिया में विसंगतियां और कुछ मामलों में उत्तरों को प्रस्तुत न किया जाना शामिल हैं। साथ ही, मंत्रालय ने पीसीआईटी गुड़गांव के एक मामले के संदर्भ में की-गई-कार्रवाई की स्थिति पर कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। चूकों में सुधार की प्रक्रिया में विसंगतियों और कुछ मामलों में उत्तर प्रस्तुत न किए जाने को ध्यान में रखते हुए समिति यह अनुमान लगाने के लिए बाध्य है कि निगरानी सिस्टम कमियों से भरा पड़ा है। अतः समिति चाहती है कि ऐसी चूकों के कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए और यदि आवश्यक हो तो, जवाबदेही ही तय की जाए। इसके अलावा, चूंकि आईटीबीए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है, इसलिए मंत्रालय एक ऐसा मॉड्यूल विकसित करने पर विचार करें जहां लंबित मामलों के संदर्भ में की गई कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट निकलती है और इसे नियमित समयांतराल पर पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ साझा किया जाता है जिससे कि मंत्रालय के अंदर निगरानी सुगम हो सके।

9. समिति पाती है कि आईटीडी डाटाबेस में लेखा परीक्षा में उद्धृत किए गए 48 मामलों में से 42 मामले एएसटी के माध्यम से स्वतः दर्ज हुए थे और छह मामले मैन्युअल तरीके से प्रविष्ट किए गए थे। मंत्रालय ने बताया कि कर निर्धारण वर्ष (एवाई) 2016-17 से पहले कर निर्धारण और गणना आयकर विभाग की पुरानी प्रणाली के अनुसार की जाती थी। हालांकि, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के बाद से कर निर्धारण आदेश इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन (आईटीबीए) नामक एक नए सॉफ्टवेयर में पास किए जाते हैं। आईटीबीए में कर निर्धारण अधिकारी को कर योग्य आय की गणना करने के लिए 'परिवर्धन छूट के दावे को अस्वीकार' करते समय अधिक विस्तृत और व्यापक दृष्टिकोण का पालन करने की आवश्यकता होती है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बनाई गई विभिन्न अनुसूचियों में परिवर्धन/अस्वीकृत के आधार पर सॉफ्टवेयर उन विभिन्न मर्दों में आय की गणना करता है जिनमें संशोधन किया गया है और प्रासंगिक कटौती/छूट/राहत/समायोजन के लाभ की अनुमति देता है और कर योग्य आय तथा उस पर कर का निर्धारण करता है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सिस्टम में डाटा कर निर्धारण कार्यवाही में यथानिर्धारित कृषि आय के डाटा को दर्शाता है। साथ ही, निर्धारिती या उसके प्रतिनिधि के साथ इंटरफेस को कम करने के लिए कर निर्धारण प्रक्रिया को डिजिटाइज किया गया है और इसे ई-कर निर्धारण के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसके अलावा, ई-असेसमेंट स्कीम्स, 2019 कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से ही लागू की जा चुकी है। समिति पाती है कि एएसटी सिस्टम में डाटाबेस को अपडेट न किए जाने की वजह से कर निर्धारण के दौरान अनुमत कृषि आय आईटीडी डाटाबेस में दर्ज नहीं की गई थी और एमआईएस प्रयोजनार्थ निर्धारिती को अनुमत कृषि आय और छूट की गलत रिपोर्टिंग का खतरा था। समिति आशा करती है कि इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन (आईटीबीए) ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए उपयुक्त रूप से सुसज्जित हो। समिति चाहती है कि मंत्रालय आईटीबीए की

प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए अध्ययन कराएं जिससे कि एएसटी सिस्टम से विरासत में चले आ रहे मुद्दे को किसी भी रूप में आईटीबीए में बरकरार न रखा जा सके।

10. जहां तक आईटीबीए का सवाल है, एक दूसरा पहलू जो समिति की नोटिस में आया वह यह रहा है कि इस नई प्रणाली की प्रचालन दक्षता की जांच करने के लिए मंत्रालय द्वारा लेखा परीक्षा को आईटीबीए तक पहुंच प्रदान नहीं की गई थी। समिति चाहती है कि लेखा परीक्षा को आईटीबीए के प्रासंगिक क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान किए जाने की जरूरत है क्योंकि इससे मंत्रालय को सिस्टम में आगे और सुधार करने में मदद मिलेगी।

#### विभाग द्वारा जांच की स्थिति (5.9.4)

11. समिति लेखा परीक्षा संवीक्षा से यह नोट करती है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) के आधार पर आयकर (आईटीडी) विभाग ने उन मामलों में रिटर्न के सत्यापन की कार्रवाई शुरू की थी जिनमें कर निर्धारितियों ने कृषि से एक करोड़ रूपए से अधिक की आय का रिटर्न फाइल किया था। साथ ही, माननीय पटना उच्च न्यायालय में तथ्यात्मक आंकड़ें प्रस्तुत करने के लिए आयकर निदेशालय (सिस्टम) ने सभी पीसीसीआईटी/सीसीआईटी (सीसीए) को यह निर्देश दिया कि वे उन पहलुओं की जांच कर डीजीआईटी को स्थिति रिपोर्ट भेजें कि क्या करदाताओं ने रिटर्न फाइल करते समय डाटा एन्ट्री संबंधी कोई भूल की होगी। समिति को उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक डीजीआईटी (सिस्टम) ने 2746 मामलों का पता लगाया जिनमें यह बताया गया कि कर निर्धारण वर्ष 2007-08 से 2014-15 के आईटीआर में एक करोड़ रूपए से अधिक की कृषि आय को दर्शाया गया है और कर निर्धारण अधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे ऐसे आईटीआर में कृषि से होने वाली आयकर पर छूट के दावे का सत्यापन करें और ऐसे मामलों

में स्थिति रिपोर्ट की मांग की गई। समिति नोट करती है कि लेखापरीक्षा में आयकर के चयनित उन 136 प्रधान आयुक्तालयों (पीसीएसआईटी) में से जहां से डीजीआईटी (सिस्टम) को प्रस्तुत की गई स्थिति रिपोर्ट की मांग की गई थी, दस राज्यों में केवल 26 प्रधान आयुक्तालयों (पीसीएसआईटी) ने लेखापरीक्षा में स्थिति रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। इस संबंध में समिति का यह मानना है कि उस तथ्य पर प्रकाश डालना उचित होगा कि भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के तहत केंद्र सरकार की आय की लेखा परीक्षा करता है। इसलिए, लेखापरीक्षा के लिए अपेक्षित विवरण को प्रस्तुत न किया जाना एक गंभीर चूक है और इसकी सरसरी तौर पर जांच किए जाने की जरूरत है। तदनुसार, समिति चाहती है कि अन्य बातों के अलावा शेष 110 आयुक्तालयों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए लेखापरीक्षा में आयकर के चयनित 136 प्रधान आयुक्तालयों में से केवल 26 प्रधान आयुक्तालयों के मामले में स्थिति रिपोर्ट मुहैया कराए जाने के कारणों के विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए जाएं।

12. लेखापरीक्षा में किए गए खुलासे से समिति आगे यह नोट करती है कि डीजीआईटी (सिस्टम) में यथाअग्रेषित बिहार और झारखंड, गुजरात, राजस्थान, केरल, पूर्वोत्तर क्षेत्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 327 मामलों में से 36 मामलों में डाटा एन्ट्री की त्रुटि की वजह से कर निर्धारितियों के दायरे आईटीआर के अनुसार कृषि आय की राशि और एएसटी सिस्टम में प्रविष्ट राशि में अंतर था। इस संबंध में मंत्रालय ने बताया कि सिस्टम में कृषि आय से संबंधित डाटा की पंचिंग करते समय कर निर्धारण अधिकारियों/डाटा एंटी ऑपरेटरों से डाटा एन्ट्री संबंधी चूक बड़े पैमाने पर हुई है और कुछ मामलों में कर निर्धारितियों ने भी आयकर रिटर्न फाइल करते समय डाटा एन्ट्री संबंधी गलतियों की हैं। यह बात भी नोटिस में आई कि

जैसा कि डाटा एन्ट्री संबंधी त्रुटि दस राज्यों में केवल कुछ चयनित आयुक्तालयों से मिली जानकारी पर आधारित है और डीएसजीआईटी (सिस्टम) में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अनुपालन को लेखापरीक्षा के लिए चयनित सभी आयुक्तालयों में सुनिश्चित नहीं किया जा सका, इसलिए एक करोड़ रूप से अधिक के कृषि आय संबंधी दावों के लिए एएसटी डाटाबेस में कृषि से होने वाली आय में डाटा एंट्री से संबंधित त्रुटि के संदर्भ में संशोधन की स्थिति का सत्यापन नहीं किया जा सका। जैसाकि लेखापरीक्षा में पाया गया, विभाग की ओर से डाटा एंट्री संबंधी त्रुटियों का पता लगाए जाने के बावजूद 36 में से 12 मामलों में अभी भी इन त्रुटियों में संशोधन किया जाना शेष था। इस तरह, कर निर्धारितियों द्वारा फाइल किए जाने वाले रिटर्न में कृषि आय की तुलना में एएसटी डाटाबेस की शुद्धता को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता था। समिति को इस बात से अवगत कराया गया है कि उपयुक्त उपचारात्मक आदेश पारित कर सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और सभी 36 मामलों में संशोधन आदेश पारित किए गए हैं। समिति चाहती है कि स्थिति रिपोर्ट में किए गए दावों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए और साथ ही, स्थिति रिपोर्टों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो वैसी स्थिति में दोषी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए।

#### अनुपालन मुद्दे - निर्धारणों में त्रुटियां (5.9.5)

13. लेखा परीक्षा में यह बात नोटिस में आई कि उन 20 मामलों में अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन है जिनमें कृषि भूमि से हुई आय में गलत तरीके से छूट देने, आंशिक कृषि आय में अनुचित रूप से छूट देने की अनुमति, पौधरोपण व्यय पर/अनुचित निर्यात कारोबार की वजह से अत्यधिक छूट देने और मछली, बकरियों, किशमिश, दूध आदि की बिक्री से होने वाली गैर-कृषि आय पर छूट देने की बातें निहित हैं और ऐसे नौ मामलों को उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है। समिति मंत्रालय के उत्तर से यह नोट करती है कि इन

20 मामलों में प्रत्येक मामले में उपचारात्मक कार्रवाई की पहल की गई है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(1क) के अनुसार 'कृषि आय' से तात्पर्य (क) भारत में स्थित और कृषि प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भूमि से अर्जित किसी किराए या राजस्व; (ख) कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण जिससे कि इसे ऐसे उत्पाद के विपणन या उसकी बिक्री के लिए उपयुक्त बनाया जा सके, समेत कृषि ऑपरेशनों से ऐसी भूमि से अर्जित ऐसी किसी आय; (ग) अधिनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों के पालन की दशा में किसी फार्म हाउस से होने वाली किसी प्रकार की कोई आय; और (घ) नर्सरी से उगाए गए पौधे या अंकुर से होने वाली किसी आय से है। उदाहरण के लिए, प्रधान आयकर आयुक्त-1, पुणे, महाराष्ट्र के प्रभारी कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारिती को कर निर्धारण वर्ष 2014-15 में कृषि आय के मद में 117.21 लाख रूपए की छूट (दिसंबर, 2016 में) दे दी, जबकि इस आय में 93.31 लाख रूपए के किशमिश और 0.37 लाख रूपए के दूध की बिक्री भी शामिल थी। जैसाकि किशमिश कृषि आधारित औद्योगिक उत्पाद है और दूध एक डेयरी प्रोडक्ट है, इसलिए इनसे होने वाली आय को कृषि भूमि से होने वाली आय के रूप में नहीं माना जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने माना कि दूध की बिक्री की नियमितता प्रभावित हुई है और जितनी मात्रा में दूध की बिक्री हुई है उससे यह पता चलता है कि कर निर्धारिती ने जो कुछ भी किया वह वाणिज्यिक कारोबार के रूप में दूध का उत्पादन करने और उसे बेचने का एक नियमित व्यवसाय था। छूट के दावे को अस्वीकृत नहीं करने से 93.68 लाख रूपए की अत्यधिक छूट दे दी गई जिसमें 28.95 लाख रूपए का कर प्रभावित हुआ। मंत्रालय ने बताया है कि चूंकि अधिनियम की धारा 2(1क) के अनुसार कृषि आय की परिभाषा व्यापक है, इसलिए कृषि से होने वाली आय के संबंध में वस्तुस्थिति मामले-दर-मामले में अलग-अलग हो सकती है। इस संबंध में, समिति का मानना है कि यदि कर निर्धारण अधिकारी को कृषि आय की परिभाषा से संबंधित अद्यतन 'केस

कानून से अवगत कराया गया हो तो ऐसे मामलों में रोक लगाया जा सकता है। समिति चाहती है कि कृषि आय की परिभाषा की व्याख्या से संबंधित मुद्दों को कर निर्धारण अधिकारियों से 'केस कानून' को संक्षेप में, सारगर्भित तरीके से नियमित रूप से अद्यतन करते हुए स्पष्ट किया जा सकता है; जैसाकि सिफारिश की गई है ताकि कर निर्धारण अधिकारियों को कृषि से होने वाली आय के कर निर्धारण के लिए आवश्यक सभी अद्यतन जानकारी सिंगल डिजिटल संकलन से मिल सके।

नई दिल्ली;  
31 मार्च, 2022  
10 चैत्र, 1944 (शक)

अधीर रंजन चौधरी  
सभापति,  
लोक लेखा समिति

\*\*\*\*\*